

सम्पादक
मुनि धनंजयकुमार



जैन विश्व भारती प्रकाशन

लोकतंत्र :

नया व्यक्ति नया समाज



आचार्य महाप्रज्ञ

ISB No. 81-7195-033-7

आथिक सौजन्य : स्व० श्री रामकुमार सरावगी एव
श्रीमती गगादेवी सरावगी, फरीदाबाद

जैन विश्व भारती, लाडनू-३४१ ३०६

सुतीय संस्करण : नवम्बर, १९९६

मूल्य : पचीस रुपये/प्रकाशक : जैन विश्व भारती, लाडनू, नागौर (राज०)
मुद्रक : जैन विश्व भारती प्रेस, लाडनू-३४१ ३०६ ।

LOKTANTRA . NAYA VYAKTI NAYA SAMAJ
Acharya Mahaprajna

Rs. 25.00

आशीर्वचन

विश्व के किसी भी कोने में कोई समस्या पैदा होती है, वह पूरे विश्व को प्रभावित कर सकती है। व्यक्ति, समाज या राष्ट्र की समस्या का इतना प्रभाव हो सकता है तो उसके समाधान का प्रभाव क्यों नहीं होगा? समस्या की तरह समाधान भी देश और काल की सीमाओं में আবद्ध नहीं रहता। किन्तु वर्तमान युग की स्थिति कुछ विचित्र है। इस समय ऐसे व्यक्ति कम दिखाई देते हैं, जो समस्याओं से आहत होने के बजाए उनका समाधान खोज सकें और युग के प्रवाह को मोड़ सकें।

समस्या के दो रूप हैं—शाश्वत और युगीन। युगीन समस्याओं का समाधान युग के परिप्रेक्ष्य में ही खोजा जा सकता है, फिर चाहे वह समस्या लोकतंत्र की हो, धर्म निरपेक्षता की हो, आर्थिक महत्वाकांक्षा की हो, सम्प्रदायवाद की हो, अमीरी-गरीबी की हो या सुविधावादी दृष्टिकोण की हो। हमारे धर्मसंघ में ऐसे प्रश्नों पर भी गम्भीर चिन्तन होता रहता है। आचार्य महाप्रज्ञ शाश्वत मूल्यों के बारे में जितना सोचते हैं, युगीन प्रश्नों के सदर्थ में भी कम नहीं सोचते। उनकी अन्तर्दृष्टि जागृत है। केवल अध्ययन के बल से नहीं, उन्होंने अपने प्रज्ञाबल से युगीन समस्याओं के समाधान खोजे हैं। खोज का सिलसिला जारी है। 'लोकतंत्र . नया व्यक्ति नया समाज' महाप्रज्ञ के ऐसे ही निबन्धों का संकलन है। प्रस्तुत कृति अपने पाठकों की चेतना को झकझोरने, उनकी प्रज्ञा जगाने, तीसरी आंख खोलने और युगीन समस्याओं के समाधान खोजने में निमित्त बने, यही इसके सृजन एवं संकलन में लगे क्षणों की सार्थकता है।

—गणाधिपति तुलसी



प्रस्तुति

गणित की भाषा में एक और एक का योग होता है—दो । व्यवस्था की भाषा में एक और एक का योग होता है—तंत्र । तंत्र पर के सापेक्ष में बना हुआ है । यदि आदमी पर-तन्त्र—पर के तन्त्र में नहीं होता उसे स्व-तन्त्र—अपने तन्त्र की अपेक्षा नहीं होती ।

समाज और तन्त्र—दोनों में गहरा अनुबन्ध है । समाज का कोई भी सदस्य असीम नहीं रह सकता । प्रत्येक के लिए जरूरी है सीमा और सीमा को बनाए रखने के लिए जरूरी है तन्त्र । कुल से लेकर लोकतन्त्र तक तन्त्र ने लम्बी यात्रा की है । वर्तमान का चिन्तन है कि तन्त्र के इतिहास में लोकतन्त्र सर्वोत्तम विकल्प है । क्या वास्तव में लोक का तन्त्र है । इस यक्ष प्रश्न का उत्तर कौन देगा ?

इस अनुत्तर के क्षण में न पुराना मनुष्य अस्तित्व में है और न नए मनुष्य का जन्म हुआ है । न पुराना समाज श्वास ले रहा है और न नए समाज का बीज अकुरित हुआ है । इस सन्धि-वेला में जरूरत है त्याग की और जरूरी है त्यागी । जरूरत है तप की और जरूरी है तपस्वी । जरूरत है अहिंसा की और जरूरी है अहिंसक । जरूरत है अपरिग्रह की और जरूरी है अपरिग्रही ।

धन की लालसा ने प्रत्येक क्षेत्र की पवित्रता को विखण्डित किया है । इस विखण्डता ने त्यागी, तपस्वी, अहिंसक और अपरिग्रही कहलाने वाले साधु-सन्यासियों को भी अपनी चपेट में ले लिया है । कैसे आशा की जा सकती है कि व्यवसायी, उद्योगपति और राजनीति के कर्णधार उसकी चपेट में न आएँ ? यह कैसे संभव है कि परिग्रह की आग पर रखा हुआ जल गर्म न हो, समाज हिंसा और आतंक से उद्वेलित न हो ?

गणाधिपति तुलसी ने भारतीय लोकतंत्र के उद्भव क्षणों में

आठ

अणुव्रत का अभियान शुरू किया था। आशय यह था—जनता और जन-सेवक—दोनों व्रती बनें, लोक का तत्र सही अर्थ में अपना उद्देश्य पूरा कर सकें। आशय पूरा हो सकता है यदि धर्म, राजनीति और बुद्धिजीवी वर्ग के लोग परस्पर मिलकर व्यवस्था परिवर्तन और हृदय-परिवर्तन की धारा को प्रवाहित करने का सकल्प लें। यह एक उपाय है, जिसका प्रयोग कर लोकतंत्र को उसकी आत्मवेदी पर प्रतिष्ठित किया जा सकता है।

प्रस्तुत ग्रन्थ के सम्पादन में मुनि धनजयकुमार ने निष्ठापूर्ण श्रम किया है।

—आचार्य महाप्रज्ञ

सम्पादकीय

- बहुधा पूछते हैं एक प्रश्न
आचार्य महाप्रज्ञ
करते है सवाद
जनता के साथ ।
कितनी है इस देश की जनसख्या ?
उत्तर मिलता है—बस्सी करोड
कितने हैं धार्मिक ?
उभरता है स्वर—साठ-सत्तर करोड
ईमानदार और नैतिक ?
हो जाते हैं सब अवाक् ।
महाप्रज्ञ कहते हैं—
उनकी सख्या करोड़ों मे नही,
शायद लाखो मे भी नही है
यह कैसी विडम्बना है ?
व्यक्ति धार्मिक है पर नैतिक नही,
धार्मिक है पर ईमानदार नही
कैसे हैं वे धार्मिक ?
जो धार्मिक भी हैं और अनैतिक भी ।
- कुछ वर्ष पहले सोवियत संघ मे
एक प्रखर स्वर उभरा—
हमे मार्क्स नही चाहिए
हमे ईसा भी नही चाहिए
हमे वह चाहिए
जो ईसा भी हो, मार्क्स भी हो ।
- सन् १९८९
आचार्यश्री तुलसी का अनूठा अभिक्रम
योगक्षेम वर्ष

अभिनव प्रकल्प
 महान् संकल्प—
 ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण
 जो न केवल आध्यात्मिक
 न केवल वैज्ञानिक
 किंतु हो आध्यात्मिक-वैज्ञानिक ।

◦ आज एक नए मनुष्य की जरूरत है
 जो नैतिकता से सम्पन्न धार्मिक हो ।
 आध्यात्मिक + वैज्ञानिक हो,
 ईसा + मार्क्स हो ।

◦ महाप्रज्ञ का प्रस्तुत ग्रन्थ
 लोकतंत्र : नया व्यक्ति नया समाज
 मौलिक चिन्तन
 मौलिक अवदान
 नया प्रकल्प
 नया विकल्प
 जिसका सकल्प है—
 नए व्यक्ति का जन्म
 नए समाज का उदय
 नए विश्व का अभ्युदय
 जो बन जाए
 युग के लिए वरदान
 लोकतन्त्र का प्रतिमान ।

२१-९-९३
 नाहर भवन
 राजलदेसर

—मनि धनंजयकुमार

अनुक्रम

१ लोकतंत्र और धर्म-निरपेक्षता	१
२. लोकतंत्र : समस्या भी समाधान भी	९
३ आवश्यक है लोकतंत्र का परिष्कार	१५
४. लोकतंत्र और थामने वाले पवित्र हाथ	२०
५. धर्म और राजनीति का द्वन्द्व	२३
६ आत्म-धर्म, समाज-धर्म और राष्ट्र-धर्म	२७
७ राजनीति का धर्म	३६
८. धर्म-निरपेक्ष-राज्य का धर्म	४०
९. राष्ट्र की अपेक्षा	४५
१०. समस्या का मूल : गरीबी या चारित्रिक-पतन	५०
११. भारत की गरीबी के लिए कौन जिम्मेदार ?	५३
१२. नये मनुष्य का जन्म हो	५७
१३. नए समाज की रचना	६२
१४. व्यक्ति-स्वातन्त्र्य और अहिंसा	६८
१५. मानवीय सबंध कैसे सुधरे ?	७३
१६. हृदय-परिवर्तन की प्रक्रिया	७८
१७. क्या सम्भव है अहिंसा का प्रशिक्षण ?	८३
१८. अहिंसा के प्रशिक्षण की आधारभूमि	८७
१९ अहिंसा-प्रशिक्षण और जीवन-मूल्य	९५
२० अहिंसा का प्राणतत्त्व	९८
२१ अनेकांत और अहिंसा	१०४
२२ लोकतंत्र और अहिंसा	१११
२३ पर्यावरण-विज्ञान और अहिंसा	११५
२४. शिक्षा और अहिंसा	१२०
२५ अहिंसा और समाज	१२७
२६. समाज-व्यवस्था के मौलिक आधार	१३०

वारह

२७. समाज और जीवन-मूल्य
२८. समाज और समानता
२९. समाज और स्वावलम्बन
३०. वासना पर बुद्धि का नियन्त्रण
३१. अणुव्रत का दर्शन
३२. धर्म और आज का युवा मानस

१. लोकतंत्र और धर्म-निरपेक्षता

विचार संप्रेषण का सर्वाधिक शक्तिशाली और व्यापक माध्यम है शब्द । सही अर्थ में प्रयुक्त शब्द क्रांति को जन्म देता है । गलत अर्थ में प्रयुक्त शब्द भ्रांति को जन्म देता है । कुछ शब्दों का प्रयोग व्यापक स्तर पर भ्रांति पैदा कर रहा है । जैसे—

- राजनीति के संदर्भ में धर्म
- लोकतंत्र के संदर्भ में धर्म-निरपेक्ष
- विधि के संदर्भ में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक
- हिन्दू धर्म
- सर्वधर्म समभाव

१. धर्म और राजनीति

नीति के तीन विभाग प्राचीन काल से विश्रुत हैं— समाज-नीति, राजनीति और धर्मनीति । आधुनिक संदर्भ में चौथा विभाग हो सकता है—अर्थनीति । समाज, राज धर्म और अर्थ—सब अपने-अपने नय के साथ चलते हैं और अपने-अपने लक्ष्य तक पहुँचाने की सबसे शक्ति है इसलिए इन्हें नीति कहा गया है ।

समाजनीति का लक्ष्य है—संगठित शक्ति का उपयोग और परस्परता का विकास ।

राजनीति का लक्ष्य है— अपने क्षेत्र में रहने वाले नागरिकों की सुरक्षा, आजीविका, शिक्षा और चिकित्सा की व्यवस्था करना, अपराध की रोकथाम और हित का संपादन करना ।

धर्मनीति का लक्ष्य है—परमार्थ की चेतना को जगाना, आत्मा से परमात्मा होने की दिशा में प्रस्थान कराना अथवा परमात्मा के साथ सम्बन्ध स्थापित कराना ।

अर्थनीति का लक्ष्य है— प्रत्येक व्यक्ति को आवश्यकता पूर्ति की साधन सामग्री उपलब्ध कराना ।

इन चारों नीतियों का परस्पर सम्बन्ध है, पर ये एक दूसरे के द्वारा शासित अथवा संचालित नहीं हैं ।

समाजधर्म आत्मधर्म

भारतीय चिंतन में त्रिवर्ग अथवा पुरुषार्थ चतुष्टयी की कल्पना बहुत महत्त्वपूर्ण है। त्रिवर्ग सिद्धांत में काम, अर्थ और धर्म—ये तीन पुरुषार्थ सम्मत है। पुरुषार्थ चतुष्टयी में काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष—ये चार पुरुषार्थ मान्य है। त्रिवर्ग सम्मत धर्म समाज-धर्म है। उसका अर्थ न्याय और व्यवस्था है। त्रिवर्ग में मोक्ष नहीं है इसलिए उसमें मोक्षधर्म अथवा आत्मधर्म की कल्पना नहीं की जा सकती। पुरुषार्थ चतुष्टयी में धर्म का अर्थ बदलता है। वहाँ मोक्ष अथवा आत्मा से परमात्मा होने का सिद्धांत स्वीकृत है, इसलिए धर्म का अर्थ हो जाता है परमात्मा होने की साधना, परम तत्त्व अथवा परम अर्थ की साधना।

शब्द एक अर्थ अनेक

धर्म शब्द के अनेक अर्थ होते हैं—

- | | |
|--------------------|----------------------------|
| १. प्रकृति का नियम | ७. सामाजिक नियम |
| २. मान्यता | ८. कानून |
| ३. विश्वास | ९. नैतिक नियम |
| ४. सामाजिक आधार | १०. चरित्र |
| ५. शिष्टाचार | ११. सम्प्रदाय, मत आदि-आदि। |
| ६. रीति-रिवाज | |

धर्म शब्द का अनेक अर्थों में प्रयोग हुआ है। उसका काल-क्रमिक इतिहास है। इस अनेकार्थकता ने अनेक भ्रान्तियाँ भी उत्पन्न की हैं। समाज-व्यवस्था के लिए भी धर्म शब्द का प्रयोग हुआ है। समाज-व्यवस्था को विशुद्ध बनाने वाले चरित्र और नैतिक नियम का नाम भी धर्म है।

दो विचारधाराएं

धर्म का मुख्य लक्ष्य है आत्मोपलब्धि, परमात्मपद की प्राप्ति अथवा मोक्ष। क्या मोक्षधर्म के द्वारा समाज और राज्य की व्यवस्था संचालित या शासित हो सकती है? इस प्रश्न के उत्तर में दो विचारधाराएँ सामने आती हैं। एक विचारधारा है कि समाज और राज्य की व्यवस्था मोक्षधर्म के द्वारा संचालित या शासित होनी चाहिए। दूसरी विचारधारा है कि समाज और राज्य की

व्यवस्था मोक्षधर्म के द्वारा संचालित या शासित नहीं हो सकती। वह समाज और राज्यधर्म के द्वारा ही संचालित या शासित होनी चाहिए। इसका हेतु है लक्ष्य की भिन्नता। दो भिन्न लक्ष्यों की पूर्ति एक साधन से नहीं हो सकती।

जिस विचारधारा में समाज और राज्य की व्यवस्था तथा धर्म की साधना में भिन्नता नहीं है, वही समाज और राज्य की व्यवस्था के नियम और धर्म की आचार-सहिता में भेद नहीं होता, इसीलिए वही धर्म और कानून के बीच कोई भेदरेखा नहीं खींची जा सकती।

धर्मनीति और राजनीति की दिशाएँ

धर्म की धारणा सबकी समान नहीं होती। राज्य की धारणा सबके लिए समान है। एक राज्य में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। यदि राज्य की व्यवस्था धर्म के द्वारा संचालित या शासित हो तो किस धर्म के द्वारा शासित हो, यह प्रश्न सहज ही उभर आएगा। इसका उत्तर सरल नहीं है। चारित्र्यात्मक धर्म सबका समान है इसलिए उसके द्वारा राज्य की व्यवस्था संचालित हो सकती है, यह स्थापना भी सर्वथा निर्विवाद नहीं है। राज्य में कुछ लोग शाकाहारी होते हैं और कुछ मासाहारी। कुछ शराब की वर्जना करने वाले होते हैं और कुछ शराब पीने वाले भी होते हैं। राज्य मास और शराब की भी व्यवस्था करता है। विवाह सस्था के नियम भी सब धर्मों के समान नहीं हैं। एक राज्य में कानून प्रत्येक नागरिक के लिए समान होता है, धर्म की अवधारणा सबकी समान नहीं होती। निवृत्ति प्रधान धर्म विवाह आदि सस्कारों का विधान नहीं करता। प्रवृत्ति प्रधान धर्म जन्म, विवाह आदि सभी सस्कारों का विधान करते हैं। धर्म के क्षेत्र में ऋजुता मान्य है। राज्य व्यवस्था के लिए कटनीति भी प्रयोजनीय है। ऐसे अनेक प्रसंग हैं, जहाँ धर्मनीति और राजनीति की दिशाएँ भिन्न होती हैं। इस दिग्गभेद के आधार पर यह सिद्धांत फलित होता है कि राज्य-व्यवस्था धर्म से संचालित या शासित नहीं हो सकती।

क्या धर्मविहीन राजनीति और राज्य-व्यवस्था खतरनाक नहीं होगी? इस प्रश्न का उत्तर विभज्यनाद के आधार पर ही दिया जा सकता है। साम्प्रदायिक कट्टरता वाले धर्म से विहीन

राजनीति और राज्य-व्यवस्था खतरनाक नहीं होती। वह राजनीति या राज्य-व्यवस्था खतरनाक होती है, जो अहिंसा, सत्य, प्रामाणिकता रूपी चरित्र धर्म से प्रभावित नहीं होती।

धर्म के दस प्रकार

भगवान् महावीर ने धर्म के दस प्रकार बतलाए हैं—

१. ग्रामधर्म—ग्राम व्यवस्था की आचार-संहिता।
२. नगरधर्म—नगरपालिका की आचार-संहिता।
३. गणधर्म—गणराज्य की आचार-संहिता।
४. राष्ट्रधर्म—राष्ट्र की आचार-संहिता।
५. कुलधर्म—कुल की आचार-संहिता।
६. सघधर्म—सघ—गण समूह की आचार-संहिता।
७. पाषण्डधर्म—विविध सम्प्रदायो द्वारा सम्मत आचार-व्यवस्था।

८-९. श्रुतधर्म और चारित्रधर्म—मोक्ष के साधक, आत्म-उत्थान के हेतुभूत तत्त्व।

१० अस्तिकायधर्म—पचास्तिकाय का स्वभाव।

इनमें श्रुतधर्म और चारित्रधर्म—ये आध्यात्मिक धर्म हैं। ग्रामधर्म, नगरधर्म आदि व्यवस्थात्मक धर्म हैं। ग्राम और नगर की व्यवस्था का प्रत्यक्ष सम्बन्ध ग्राम और नगरधर्म से है, परोक्ष सम्बन्ध आध्यात्मिक धर्म से है। आध्यात्मिक धर्म से व्यवस्था का संचालन नहीं होता, व्यवस्था का विशोधन होता है। वह समाज-व्यवस्था अच्छी होती है, जिसका संचालन समाजधर्म अथवा समाज की आचार-संहिता से होता है। वह राज्य-व्यवस्था अच्छी होती है, जिसका संचालन राज्यधर्म अथवा राज्य की आचार-संहिता से होता है।

२. धर्म-निरपेक्ष

हिन्दुस्तान लोकतांत्रिक देश है। सविधान में उसे सेक्युलर स्टेट माना गया है। इसका अनुवाद किया गया धर्म-निरपेक्ष राज्य। इस धर्म-निरपेक्ष शब्द ने पुरानी पीढ़ी के मन में एक विद्रोह की भावना पैदा की और नई पीढ़ी के मन में एक भ्रांति को जन्म दिया। लोकतंत्र में राज्य का शासन किसी सम्प्रदाय विशेष के हाथ

मे नहीं होता। वह सम्प्रदायातीत अथवा असाम्प्रदायिक होता है। इस उदात्त भावना को धर्म-निरपेक्ष शब्द अभिव्यक्ति नहीं दे सका, फलतः भ्राति पैदा हो गई। आचार्य तुलसी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी से धर्म-निरपेक्ष शब्द को बदलने की बात कही और मुझाव दिया—‘धर्म-निरपेक्ष के स्थान पर सम्प्रदाय-निरपेक्ष अथवा पथ-निरपेक्ष शब्द का प्रयोग किया जाए।’ अभी जो सविधान का हिन्दी अनुवाद मुद्रित हुआ है, उसमें सेक्युलर का अर्थ पथ-निरपेक्ष किया गया है।

लोकतंत्रीय राष्ट्र पर किसी सम्प्रदाय अथवा पथ का आधिपत्य हो तो वह अपने लोकतंत्रीय स्वरूप को सुरक्षित नहीं रख सकता। इसलिए लोकतंत्रीय राष्ट्र का सम्प्रदाय अथवा पथ-निरपेक्ष होना अनिवार्य है। सम्प्रदाय-निरपेक्ष होने का तात्पर्य धर्म-निरपेक्ष, धर्महीन अथवा धर्मविरोधी होना नहीं है। कोई भी राष्ट्र किसी भी धर्म या सम्प्रदाय के द्वारा शासित हुआ है, तब जनता के साथ न्याय नहीं हो सका, अपने प्रतिपक्षी धर्मों के साथ अन्याय हुआ। सुकरात को जहर का प्याला पिलाया गया। गेलेलियो को फासी दी गई। गांधी और मार्टिन लूथर किंग की हत्या की गई। साम्प्रदायिक कट्टरता में सहिष्णुता नहीं होती। वह अपने से भिन्न विचार को सहन करना जानती ही नहीं है, इसीलिए यह विचार मन को आकर्षित करता है कि राजनीति किसी सम्प्रदाय विशेष की अवधारणा से संचालित नहीं होनी चाहिए।

३ हिन्दू धर्म

आज जिस भूखण्ड का नाम हिन्दुस्तान है, प्राचीनकाल में उसका नाम भारत या भारतवर्ष था। ऋषभपुत्र भरत के नाम से उसका भारत नामकरण किया गया। पारस (वर्तमान ईरान) आदि मध्य एशियाई देशों के सम्पर्क के कारण इसका नाम हिन्दु देश प्रचलित हुआ। आचार्य कालक ने कहा—आओ! हम हिन्दु देश चले—एहि हिन्दुकदेशं वच्चामो। यह निशीथचूर्णि का प्रयोग है। भारतीय साहित्य के उल्लेखों में यह सबसे प्राचीन है। पारसी सम्राट् द्वारा महान् (छठी शताब्दी ई० पू०) के अभिलेखों में सिंधु प्रदेशों के लिए हिन्दु शब्द का प्रयोग मिलता है। जैसे राजस्थान आदि कुछ प्रदेशों में ‘स’ का उच्चारण ‘ह’ किया जाता है, वैसे ही

प्राचीन फारसी बोली में भी 'स' का उच्चारण 'ह' होता था। पारसी लोग 'सप्तसिन्धु' का उच्चारण 'हप्तहिन्दु' करते थे। मूल प्रकृति के अनुसार हिन्दु शब्द देश या राष्ट्र का वाचक है। वह किसी धर्म का वाचक नहीं है।

भारतवर्ष में चिरकाल से धर्म की दो धाराएँ प्रवाहित रही श्रमण और वैदिक। श्रमण परम्परा का तन्त्र क्षत्रियों के हाथ में था। वैदिक परम्परा का सूत्रधार ब्राह्मण वर्ग था। साख्य, जैन, बौद्ध और आजीवक ये सब श्रमण परम्परा के धर्म हैं। मीमांसा, वेदान्त—ये वैदिक परम्परा के धर्म हैं। हिन्दु नाम का कोई भी प्राचीन धर्म नहीं है। मुसलमानों के आगमन के पश्चात् हिन्दु और मुसलमान पक्ष और प्रतिपक्ष बन गए। प्राचीनकाल में श्रमण और ब्राह्मण पक्ष और प्रतिपक्ष में प्रतिष्ठित थे। संस्कृत व्याकरणकारों ने श्रमण और ब्राह्मण का नित्य विरोधी के रूप में उल्लेख किया है। आधुनिक काल में श्रमण और ब्राह्मण का विरोध मन्द हो गया, उसका स्थान हिन्दु और मुसलमान ने ले लिया। एक श्रमण ब्राह्मण धर्म में दीक्षित हो जाता और एक ब्राह्मण श्रमण धर्म में दीक्षित हो जाता, उससे कोई जाति-परिवर्तन नहीं होता। हिन्दु और मुसलमान में कोरा धर्म सम्प्रदाय का भेद ही नहीं है, जातिभेद भी है। जातिभेद के आधार पर हिन्दु और मुसलमान शब्द प्रचलित हुआ। उसका प्रभाव धर्म की धारणा पर भी पड़ा। फलतः हिन्दु धर्म जैसा शब्द भी प्रचलित हो गया।

क्या जैन हिन्दु हैं ?

आधुनिक युग में धर्म का वर्गीकरण सनातन, वैष्णव, जैन, बौद्ध, शैव, शाक्त आदि रूपों में रहा। हिन्दु धर्म की व्याख्या वैदिक धर्म के रूप में की गई, तब जैन, बौद्ध, शैव, सिख आदि उस धारा से भिन्न हो गए। हिन्दु शब्द यदि राष्ट्र और जाति का वाचक रहे तो जैन, बौद्ध आदि सभी हिन्दु शब्द के द्वारा वाच्य हो सकते हैं। किसी के सामने कोई उलझन नहीं होनी चाहिए। आचार्यश्री तुलसी ने एक वार कहा था—हिन्दुस्तान में रहने वाला प्रत्येक नागरिक हिन्दु है। धर्म या मजहब की दृष्टि से भले फिर वह ईसाई हो, इस्लाम का अनुयायी हो, पारसी अथवा और कोई भी हो। 'हिन्दु धर्म', इस शब्द ने हिन्दुत्व को संकुचित बना दिया। केवल

मुसलमान, ईसाई और पारसी ही हिन्दुत्व से पृथक् नहीं हुए हैं, जैन, बौद्ध और सिख भी उससे पृथक् हुए हैं ? पूना के कुछ पंडितों ने आचार्यश्री तुलसी से पूछा—जैन हिन्दु हैं या नहीं ? आचार्यश्री ने उत्तर में कहा—यदि आप हिन्दु का अर्थ वैदिक परम्परा का अनुयायी करते हैं तो जैन हिन्दु नहीं हैं और यदि हिन्दु का अर्थ राष्ट्रीयता से है तो जैन हिन्दु हैं ।

हिन्दु शब्द : व्यापक अर्थ

हिन्दु शब्द व्यापक अर्थ में भारत का पर्यायवाची है । सिन्धु नदी से उपलक्षित होने के कारण यह हिन्दु देश कहलाया और इसी आधार पर इसका नाम हिन्दुस्तान हुआ । इस व्यापक सन्दर्भ में हिन्दुस्तान का प्रत्येक नागरिक हिन्दु कहलाए, इसमें कोई प्रतिवाद नहीं होना चाहिए किंतु हिन्दु एक जाति वन नई, इसे भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता । नेपाल हिन्दु राष्ट्र है । वहाँ हिन्दु अधिक संख्या में हैं । विश्व के अनेक देशों में हिन्दु रहते हैं । उनमें कुछ हिन्दुस्तान के नागरिक हैं और कुछ अन्य राष्ट्रों के नागरिक । इसलिए हिन्दु एक जाति भी है, इसे अस्वीकार नहीं किया जा सकता । हिन्दु जाति का मूल आधार देश या राष्ट्र ही है । विश्व के किसी भी कोने में जो हिन्दु हैं, उसका मूल हिन्दुस्तान रहा है इसलिए उनका वर्तमान अतीत से जुड़ा हुआ है । इस प्रकार राष्ट्र और जाति—दोनों के बीच एक सरल अनुबन्ध और सम्बन्ध प्रतीत होता है ।

सबसे अच्छा है, हम हिन्दु शब्द को राष्ट्र के साथ अनुबन्धित करें । उससे आगे बढ़ना चाहे तो उसे जाति के साथ अनुबन्धित करें । इससे आगे न बढ़े । पहला विकल्प व्यापक है दूसरा विकल्प व्यापकता को सीमित करता है । उससे तीसरे विकल्प की ओर बढ़ना एक आदमकद शीशे को शत खण्ड करना है, जिसमें अपना प्रतिबिम्ब भी नहीं देखा जा सकता ।

४. अल्पसंख्यक . बहुसंख्यक

शब्दार्थ की दृष्टि से अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक—दोनों शब्द सार्थक हैं किंतु राजनीतिक सन्दर्भ में दोनों बहुत त्रुटिपूर्ण हैं । राजनीति के क्षेत्र में इन शब्दों का सदुपयोग कम हुआ है, अधिकांशतः दुरुपयोग हुआ है । उत्तेजना फैलाने और हिंसा भड़काने

मे ये शब्द वाहक बने है। राष्ट्र का प्रत्येक नागरिक नागरिकता की दृष्टि से समान होता है। जब हम अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक प्रयोग करते है, तब राष्ट्र को गौण, जातीयता और प्रातीयता को प्रधान बना देते हैं। मुसलमान इस्लाम के अनुयायी हैं। हिन्दुस्तान मे इस्लाम के अनुयायी अल्पसंख्या मे है और उसे न मानने वाले अधिक संख्या मे। इस अल्पसंख्यकता और बहुसंख्यकता का आधार धर्म-सम्प्रदाय है, राष्ट्रीयता नही। राष्ट्रीयता की दृष्टि से न कोई अल्पसंख्यक है और न कोई बहुसंख्यक। अल्पसंख्यक को वही अधिकार प्राप्त है, जो बहुसंख्यक को है और बहुसंख्यक को वही अधिकार प्राप्त है, जो अल्पसंख्यक को है। धार्मिक विश्वास के आधार पर जैन और बौद्ध भी अल्पसंख्यक है। वैदिक धर्म भी अनेक सम्प्रदायो में विभक्त है। बहुसंख्यक कौन है, यह निष्कर्ष निकालना सरल नही है। राष्ट्रीय मंच पर अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का प्रयोग न हो, यह राष्ट्र के हित मे है।

५. सर्वधर्म-समभाव

इस प्रयोग मे समभाव शब्द अस्पष्ट है। उससे भ्रात धारणा जन्म लेती है। समभाव का अर्थ यदि सबको समान मानना है तो वह यथार्थ से परे है। प्रत्येक धर्म की धारणा मे भेद है तो उन धर्मों के प्रति समानता की बुद्धि कैसे उत्पन्न होगी ? समभाव का अर्थ यदि विभिन्न धर्मों की विभिन्न धारणाओ के प्रति अपना दृष्टिकोण समतापूर्ण रखना है तो समभाव के स्थान पर सर्वधर्म सहिष्णुता का प्रयोग अधिक सार्थक हो सकता है। हम अपने से भिन्न विचार के प्रति असहिष्णु न बने, यह साम्प्रदायिक उत्तेजना को रोकने का बीजमंत्र है। वैचारिक असहिष्णुता ही साम्प्रदायिक झगड़ो को उत्पन्न करती है, इसलिए सर्वधर्म सहिष्णुता का पाठ हमारे लिए अधिक श्रेयस्कर हो सकता है।

जैन दर्शन में निक्षेप पद्धति का महत्त्वपूर्ण स्थान है। उसका तात्पर्यार्थ है —शब्द प्रयोग का वैज्ञानिक दृष्टिकोण। शब्द का वह प्रयोग वाञ्छनीय होता है, जो प्रतिनियत अर्थ को प्रकाशित करे। उसमे अव्याप्ति और अतिव्याप्ति के लिए अवकाश न हो, वह सशय और भ्रम को जन्म न दे। हमारी सफलता और विफलता शब्द और अर्थ की परिक्रमा कर रही है इसलिए शब्द-प्रयोग के प्रति हमारी जागरूकता नितांत स्पृहणीय है।

२. लोकतंत्र : समस्या भी समाधान भी

हमारी दुनिया की एक विशेषता यह है कि इसमें कोई परिपूर्ण नहीं है। यदि मनुष्य या पदार्थ परिपूर्ण होता तो ये दो शब्द गठित नहीं होते। 'समस्या और समाधान'—ये दो शब्द इसीलिए गढ़े गये हैं कि सब अपूर्ण है। पानी प्यास बुझा देता है पर भूख नहीं मिटा सकता। रोटी भूख मिटा देती है पर प्यास नहीं बुझा सकती। दोनो शक्तियाँ किसी एक में नहीं हैं। हर व्यक्ति एक-एक काम करता है और हर पदार्थ भी एक-एक काम करता है। इसीलिए सापेक्ष है हमारा जीवन और सापेक्ष है हमारी व्यवस्था। अगर शासक सब कुछ कर दे तो शासित के होने की जरूरत नहीं। यदि व्यक्ति अकेला होता तो कोई समस्या नहीं होती और समाधान की जरूरत नहीं होती, पर अकेला भी समस्या से मुक्त नहीं है। अकेले में भी सुख कहा है? जब तक व्यक्ति अहमिन्द्र बनकर उत्कृष्ट सुख की भूमिका में नहीं पहुँच जाता तब तक अकेला रहना भी भयकर बन जाता है।

दो केन्द्र

समाचार पत्र में पढा—वैज्ञानिकों ने मस्तिष्क के दो केन्द्र खोज लिए हैं। एक केन्द्र है सुख का और एक केन्द्र है दुःख का। जैन दर्शन की भाषा में कहा जा सकता है—एक केन्द्र है सातवेदनीय का और एक केन्द्र है असातवेदनीय का। दो श्रेणी में बन्दरो को बाटा गया। एक श्रेणी के बन्दरो को इलेक्ट्रोड सुख के केन्द्र पर लगाना सिखाया। उसे इतना सुख मिला कि वह खाना-पीना भूल गया। वह बार-बार इलेक्ट्रोड लगाता है और आनन्दमग्न हो जाता है। दूसरी श्रेणी के बन्दरो के व्यथा केन्द्र पर इलेक्ट्रोड लगाये, वे बेचारे दुःखी हो गये, व्यथित हो गये। इधर-उधर भटकने की चेष्टा करने लगे। दोनो केन्द्र पकड लिये गये। कल्पना करे—आदमी अकेला बैठा है और ध्यान व्यथा के केन्द्र पर केन्द्रित हो गया तो वह दुःख से भर जायेगा। अकेला होने से भी समस्या

का समाधान नहीं है और दो होने से भी समस्या का समाधान नहीं है ।

अपूर्णता की समस्या

जब तक यह अपूर्णता की समस्या है, जब तक शिव, अचल, अमर और अरुज वाली स्थिति नहीं बनती तब तक समस्या और समाधान—दोनों बातें साथ-साथ चलेंगी । तत्र का होना भी समस्या है और तत्र का न होना भी समस्या है । हम यह मानकर चले कि यदि हमें जीना है तो समस्या और समाधान—दोनों के बीच जीना है ।

लोकतत्र का प्राणतत्त्व

मनुष्य समस्या और समाधान—दोनों के बीच में जी रहा है फिर भी वह प्रयत्न करता है कि समस्याएँ कम हों और समाधान ज्यादा हों । इस दिशा में प्रयत्न करते-करते लोकतत्र का उदय हुआ । अनेक तत्र बने । पहले कुलतत्र बना । अनेक कुल थे । प्रत्येक कुल का मुखिया उसका अधिशास्ता था । फिर राजतत्र आया । एक राजा बना और सारी प्रजा बनी । राजतत्र बहुत लम्बे समय तक चला । विश्व के इतिहास में चिरकाल तक जीने वाला है राजतत्र । प्रागैतिहासिक काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक चला । अभी तक भी कहीं-कहीं राजतत्र चल रहा है । इसके बाद आया अधिनायकतत्र । न लोकतत्र, न राजतत्र । किसी सैनिक ने, किसी शक्तिशाली नेता ने क्रांति की और सारी सत्ता अपने हाथ में ले ली ।

वर्तमान युग लोकतत्र का है । लोकतत्र में सब समान है । जाति, रंग और सम्प्रदाय कोई बाधा नहीं है । किस रंग का आदमी है, किस जाति का है या किस सम्प्रदाय का है, इसका कोई प्रश्न नहीं । प्रत्येक व्यक्ति को समान अधिकार प्राप्त है । यह समानता का सूत्र लोकतत्र का प्राणतत्त्व है, मूल आधार है । इसीलिए राष्ट्रपति राधाकृष्णन ने कहा था—आज का लोकतत्र महावीर के सिद्धांतों पर आधारित है । इसका कारण है—सापेक्षता, समानता, सह-अस्तित्व और स्वतंत्रता । अनेकानेक सिद्धांतों के चार मुख्य फलित होते हैं—स्वतंत्र, सापेक्षता, समानता और सह-अस्तित्व ।

ये चारो लोकतत्र के सिद्धात भी बन जाते हैं। यह कहा जा सकता है - भगवान् महावीर ने जो अनेकात का दर्शन दिया था, वह आज लोकतत्र में सामाजिक रूप में फलित हो रहा है। वह एक तत्त्वज्ञान का दर्शन है। उसका व्यावहारिक रूप है—सामाजिक प्रणाली।

अनेकात और लोकतत्र

भगवान् महावीर राजतत्र की परम्परा में नहीं जन्मे थे। उनका जन्म गणतत्र की परम्परा में हुआ था। गणतत्र की परम्परा के प्रभाव को हम ऐतिहासिक दृष्टि से अस्वीकार कैसे करेंगे? हमें स्वीकार करना होगा - गणतत्रीय परम्परा का भगवान् महावीर पर प्रभाव था। उसी का तात्त्विक रूप बन गया—अनेकान्तवाद, व्यावहारिक रूप बन गया - गणतत्र और आज की भाषा में उसे कहा गया—लोकतत्र। सिद्धात वे ही हैं। जो सिद्धात अनेकात के हैं, वे ही लोकतत्र के हैं।

समानता

जैन दर्शन ने समानता का सिद्धात प्रस्तुत किया—प्रत्येक प्राणी समान है। लोकतत्र का आधारभूत सिद्धात है—प्रत्येक नागरिक समान है। जहाँ इस समानता के सिद्धात का अतिक्रमण होता है वहाँ विरोध और विद्रोह की स्थिति बन जाती है। समस्या यह है—व्यक्ति दूसरे के अधिकार को मान्यता देना नहीं चाहता। जहाँ यह समस्या होती है वहाँ लोकतत्र विकसित नहीं हो सकता। जहाँ असमानता की चेतना प्रबल होती है, वहाँ असहिष्णुता को पनपने का अवसर मिलता है। जब असहिष्णुता का भाव प्रखर बनता है, मानवीय सबध बिखरने लग जाते हैं। मानवीय सबधों का बिखराव लोकतत्र के स्वास्थ्य को लील जाता है। जहाँ समानता है, वहाँ सहिष्णुता है। जहाँ सह-अस्तित्व है वहाँ भी सहिष्णुता का होना जरूरी है किंतु सहिष्णुता का विकास समानता की चेतना के उन्नयन से ही संभव है।

लोकतत्र को आज इसीलिये महत्त्व मिला कि उसमें समानता का सिद्धात प्रतिष्ठित है। वह प्रत्येक व्यक्ति को प्रिय है। प्रत्येक व्यक्ति समानता की भूमिका में रहना पसन्द करता है। जहाँ भी

थोड़ी असमानता आती है, चित्त में उद्वेग और विक्षोभ पैदा हो जाता है इसीलिए समानता को आधार मिल रहा है ।

यह निश्चित तथ्य है कि इतना अच्छा होते हुये भी लोकतंत्र परिपूर्ण नहीं है । परिपूर्ण तो निरपेक्ष अवस्था में ही हो सकता है । आत्मा के असख्य प्रदेश हैं । वे परिपूर्ण हैं किंतु आत्मा मनुष्य बन गई, वह परिपूर्ण नहीं है क्योंकि वह सापेक्ष है । जो असख्य प्रदेश हैं, वे निरपेक्ष हैं । वह आत्मा की सत्ता है । वेदात् का ब्रह्म निरपेक्ष है, परिपूर्ण है किंतु माया और प्रपञ्च परिपूर्ण नहीं हो सकता । जहाँ परिपूर्णता नहीं है, वहाँ समस्या और समाधान—दोनों साथ-साथ चलेंगे ।

लोकतंत्र की समस्या

लोकतंत्र की अपनी समस्याएँ भी हैं । सबसे पहली समस्या है—अक्षमता का शासन । कारण यह है—प्रकृति में एक ऐसी बात आ गई कि जहाँ समानता की बात है वहाँ व्यक्ति सख्या पर अधिक केन्द्रित होगा, गुणवत्ता पर कम होगा । इस पर ध्यान केन्द्रित नहीं होगा—सब गुणवान् आये किंतु यह चिन्तन प्रबल होगा—सख्या में सबसे ज्यादा हो । दो उम्मीदवार खड़े हो गये । एक चरित्रवान् है, गुणवान् है, भ्रष्टाचार नहीं करता है, अनैतिक तरीके काम में नहीं लेता है, न झूठे आश्वासन देता है । दूसरा सब तिकड़म जानता है । वोट जुटाने में तिकड़मबाज सक्षम बनेगा । उसे ज्यादा मत मिलेंगे और वह लोकतंत्र का रक्षक बन जायेगा । जहाँ पर यह प्रवृत्ति है, वहाँ सख्या को अधिक महत्त्व नहीं मिलता है, गुणवत्ता को नहीं । जहाँ गुणवत्ता को महत्त्व नहीं मिलता वहाँ अक्षम व्यक्ति भी मुख्य हो जाता है । दस सक्षम व्यक्ति पूरे शासन को ठीक चला सकते हैं किंतु सौ अक्षम आदमी शासन को कुछ भी नहीं चला सकते । लोकतन्त्र के साथ जो अक्षमता का अभिशाप जुड़ा हुआ है, उसमें संख्या का महत्त्व है, गुणवत्ता के लिये कोई अवकाश नहीं है । यह लोकतन्त्र की एक दुर्बलता है, समस्या है ।

विकेंद्रित उत्तरदायित्व

लोकतन्त्र की दूसरी समस्या है—उत्तरदायित्व का केन्द्रित न होना । एक राजा है । उसे किसी समस्या के सन्दर्भ में निर्णय लेना

है तो वह पाच मिनट में निर्णय ले नेता है। आज लोकतंत्र में कोई समस्या है तो क्या इतना शीघ्र निर्णय लिया जा सकता है? निर्णय लेते-लेते फाइलो की सख्या बढ़ जाती है। उत्तरदायित्व केन्द्रित नहीं है, यह बड़ी समस्या है लोकतंत्र में।

भ्रष्टाचार

तीसरी समस्या है—भ्रष्टाचार की। लोकतंत्र में भ्रष्टाचार के लिये भी काफी अवकाश है। वोट लिये जाते हैं आश्वासनों के आधार पर। वे जानते भी हैं—आश्वासन पूरे होने के नहीं हैं। जब व्यक्ति जीत जाता है तब वोटरो को खुश रखने के लिये ऐसे काम भी करने लगता है, जो करणीय नहीं होते। इससे भ्रष्टाचार को पनपने का मौका मिलता है।

समाधान और आश्वासन

ये वर्तमान लोकतंत्र की दो बड़ी समस्याएँ हैं। वावजूद इसके लोकतंत्र बड़ा समाधान भी है और इसीलिए यह चल रहा है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को एक आश्वासन है। यदि मैं अपनी योग्यता और क्षमता को बढ़ाऊँ तो मैं कहीं भी पहुँच सकता हूँ। आज किसान का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है। एक हरिजन भी बड़े से बड़ा मंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। यह एक बड़ा समाधान और आश्वासन है लोकतंत्र में। इसमें परिवारगत परम्परा समाप्त हो गई। राजा के चाहे कौसा भी बेटा जन्मा, वही राजा बनेगा, यह परम्परा लोकतंत्र में नहीं चल सकती। लोकतंत्र का एक बड़ा अधिकार है—कोई भी व्यक्ति बड़े से बड़े मंत्री या अधिकारी को न्यायालय में ले जा सकता है, उसे चुनौती दे सकता है। पुरानी भाषा है—वह उसकी गलतियों के लिये फरियाद कर सकता है। सामान्य व्यक्ति वरिष्ठ अधिकारी या मंत्री की आलोचना कर सकता है। उसके विरुद्ध चाहे जैसी बात उगल सकता है।

मनुष्य की प्रकृति और लोकतंत्र

स्वतंत्रता, न्याय, अधिकार आदि-आदि ऐसे समाधान हैं, जिनके कारण यह मान लिया गया—कुछ खामियों के होने के उपरांत भी यदि सबसे श्रेष्ठ-शासन प्रणाली कोई है, तो वह है लोकतंत्रीय प्रणाली, इसीलिये सारे विश्व में लोकतंत्र फैलता चला

लोकतंत्र . नया व्यक्ति नया समाज

थोड़ी असमानता आती है, चित्त में उद्वेग और विक्षोभ पैदा हो जाता है इसीलिए समानता को आधार मिल रहा है। यह निश्चित तथ्य है कि इतना अच्छा होते हुये भी लोकतंत्र परिपूर्ण नहीं है। परिपूर्ण तो निरपेक्ष अवस्था में ही हो सकता है। आत्मा के असख्य प्रदेश हैं। वे परिपूर्ण हैं किंतु आत्मा मनुष्य बन गई, वह परिपूर्ण नहीं है क्योंकि वह सापेक्ष है। जो असख्य प्रदेश हैं, वे निरपेक्ष हैं। वह आत्मा की सत्ता है। वेदांत का ब्रह्म निरपेक्ष है, परिपूर्ण है किंतु माया और प्रपञ्च परिपूर्ण नहीं हो सकता। जहां परिपूर्णता नहीं है, वहां समस्या और समाधान—दोनों साथ-साथ चलेगे।

लोकतंत्र की समस्या

लोकतंत्र की अपनी समस्याएँ भी हैं। सबसे पहली समस्या है—अक्षमता का शासन। कारण यह है—प्रकृति में एक ऐसी बात आ गई कि जहां समानता की बात है वहां व्यक्ति संख्या पर अधिक केन्द्रित होगा, गुणवत्ता पर कम होगा। इस पर ध्यान केन्द्रित नहीं होगा—सब गुणवान् आये किंतु यह चिन्तन प्रबल होगा—संख्या में सबसे ज्यादा हो। दो उम्मीदवार खड़े हो गये। एक चरित्रवान् है, गुणवान् है, भ्रष्टाचार नहीं करता है, अनैतिक तरीके काम में नहीं लेता है, न झूठे आश्वासन देता है। दूसरा सब तिकडम जानता है। वोट जुटाने में तिकडमबाज सक्षम बनेगा। उसे ज्यादा मत मिलेंगे और वह लोकतंत्र का रक्षक बन जायेगा। जहां पर यह प्रवृत्ति है, वहां संख्या को अधिक महत्त्व नहीं मिलता है, गुणवत्ता को नहीं। जहां गुणवत्ता को महत्त्व नहीं मिलता वहां अक्षम व्यक्ति भी मुख्य हो जाता है। दस सक्षम व्यक्ति पूरे शासन को ठीक चला सकते हैं किंतु सौ अक्षम आदमी शासन को कुछ भी नहीं चला सकते। लोकतंत्र के साथ जो अक्षमता का अभिशाप जुड़ा हुआ है, उसमें संख्या का महत्त्व है, गुणवत्ता के लिये कोई अवकाश नहीं है। यह लोकतंत्र की एक दुर्बलता है, समस्या है।

विकेंद्रित उत्तरदायित्व

लोकतंत्र की दूसरी समस्या है—उत्तरदायित्व का केन्द्रित न होना। एक राजा है। उसे किसी समस्या के सन्दर्भ में निर्णय लेना

है तो वह पांच मिनट में निर्णय ले लेता है। आज लोकतन्त्र में कोई समस्या है तो क्या इतना शीघ्र निर्णय लिया जा सकता है? निर्णय लेते-लेते फाइलो की सख्या बढ़ जाती है। उत्तरदायित्व केन्द्रित नहीं है, यह बड़ी समस्या है लोकतन्त्र में।

भ्रष्टाचार

तीसरी समस्या है—भ्रष्टाचार की। लोकतन्त्र में भ्रष्टाचार के लिये भी काफी अवकाश है। वोट लिये जाते हैं आश्वासानों के आधार पर। वे जानते भी हैं—आश्वासन पूरे होने के नहीं हैं। जब व्यक्ति जीत जाता है तब वोटों को खुश रखने के लिये ऐसे काम भी करने लगता है, जो करणीय नहीं होते। इससे भ्रष्टाचार को पनपने का मौका मिलता है।

समाधान और आश्वासन

ये वर्तमान लोकतन्त्र की दो बड़ी समस्याएं हैं। बावजूद इसके लोकतन्त्र बड़ा समाधान भी है और इसीलिए यह चल रहा है। इसमें प्रत्येक व्यक्ति को एक आश्वासन है। यदि मैं अपनी योग्यता और क्षमता को बढ़ाऊ तो मैं कहीं भी पहुँच सकता हूँ। आज किसान का बेटा भी प्रधानमंत्री बन सकता है। एक हरिजन भी बड़े से बड़ा मंत्री बन सकता है, राष्ट्रपति बन सकता है। यह एक बड़ा समाधान और आश्वासन है लोकतन्त्र में। इसमें परिवारगत परम्परा समाप्त हो गई। राजा के चाहे कैसा भी बेटा जन्मा, वही राजा बनेगा, यह परम्परा लोकतन्त्र में नहीं चल सकती। लोकतन्त्र का एक बड़ा अधिकार है—कोई भी व्यक्ति बड़े से बड़े मंत्री या अधिकारी को न्यायालय में ले जा सकता है, उसे चुनौती दे सकता है। पुरानी भाषा है—वह उसकी गलतियों के लिये फरियाद कर सकता है। सामान्य व्यक्ति वरिष्ठ अधिकारी या मंत्री की आलोचना कर सकता है। उसके विरुद्ध चाहे जैसी बात उगल सकता है।

मनुष्य की प्रकृति और लोकतन्त्र

स्वतंत्रता, न्याय, अधिकार आदि-आदि ऐसे समाधान हैं, जिनके कारण यह मान लिया गया—कुछ खामियों के होने के उपरांत भी यदि सबसे श्रेष्ठ-शासन प्रणाली कोई है, तो वह है लोकतन्त्रीय प्रणाली, इसीलिये सारे विश्व में लोकतंत्र फैलता चला

जा रहा है। यह लोकतन्त्र की एक छोटी-सी मीमासा है। यह केवल समाज-व्यवस्था की मीमासा नहीं है, केवल राजनैतिक प्रणाली की मीमासा नहीं है, यह मूल मानवीय प्रकृति की मीमासा है। मनुष्य की जो मूल प्रकृति है, उसके साथ लोकतन्त्र का मेल ज्यादा है। दूसरी भाषा में कहा जा सकता है—यह महावीर के अनेकात्मवाद सिद्धांत का विश्लेषण है। एक होता है दर्शन, एक होता है दर्शन का व्यावहारिक स्वरूप। महावीर के दर्शन को लोकतन्त्र में जो व्यापक रूप मिला है, उसमें व्यवस्था और अध्यात्म—दोनों का योग और मिला जाये तो अहिंसा, सापेक्षता, शांति—ये तत्त्व अधिक विकसित हो सकते हैं। लोकतन्त्र को चलाने वाले लोग अध्यात्म को अपने साथ जोड़ लें तो लोकतन्त्र सोने में सुगन्ध बन जाएगा।

३. आवश्यक है लोकतंत्र का परिष्कार

देश किधर जा रहा है ? यह प्रश्न पूछा जा रहा है अपने आप से भी और दूसरो से भी । इसका उत्तर शायद किसी के पास नहीं है । उनके पास बिलकुल नहीं है, जो देश की डोर अपने हाथो मे थामे हुए हैं । देश के सामने अनेक समस्याएँ हैं—गरीबी की, निरक्षरता की, आबादी की, जातीयता की और साम्प्रदायिकता की । इन समस्याओ के समाधान मे लगा हुआ नेता क्या उक्त प्रश्न का उत्तर दे सकता है ?

लोकतंत्र की रीढ़

लोकतन्त्र की रीढ़ है चुनाव और चुनाव की रीढ़ है घोषणा-पत्र । 'गरीबी हटाओ', 'महंगाई पर नियन्त्रण करो' यह नारा लगते-लगते बूढा होने को आया है, न गरीबी हट रही है और न महंगाई कम हो रही है । दोनो ही सुरसा के मुह की भाँति बढ़ती जा रही हैं । आश्चर्य इस बात का है कि जो लोग गरीबी मिटाने और महंगाई पर नियन्त्रण पाने के सकल्प के साथ सत्ता की कुर्सी पर बैठते हैं, वे सत्तारूढ होने के पश्चात् व्यक्तिगत अह की झुलडाइयो मे उलभ जाते हैं । मूल प्रश्न जहा के तहा रह जाते हैं । लम्बे समय से कुछ ऐसा ही हो रहा है । राजनेताओ का ध्यान अपनी सत्ता को बचाने मे लगा रहता है । उन्हे राष्ट्रीय समस्याओ पर ध्यान केन्द्रित करने का अवकाश ही नहीं मिलता ।

स्वतन्त्रता और संयम

लोकतन्त्रीय प्रणाली मानवीय स्वभाव के लिए एक सम्मोहन है । स्वतन्त्रता मनुष्य का निसर्ग है । उसका समर्थन कर लोकतंत्र ने मनुष्य के मन को जीता है । स्वतन्त्रता का आधारभूत पहलू है संयम । उसकी उपेक्षा कर लोकतन्त्र ने स्वतन्त्रता को महत्त्वाकांक्षा के रूप मे बदल दिया । एक मनोवैज्ञानिक और अर्थशास्त्री महत्त्वाकांक्षा को बुरा नहीं मानता, विकास के लिए उसे आवश्यक मानता है । यदि महत्त्वाकांक्षा और क्षमता का अनुलन न हो तो —

महत्त्वाकांक्षा मनुष्य को गलत रास्ते की ओर नहीं ले जाती ? राजनीति ने महत्त्वाकांक्षा के सूत्र को पकड़ा है, क्षमता के सूत्र की उपेक्षा की है, इसीलिए राजनीति राष्ट्र की समस्याओं को सुलभाने की दिशा में प्रस्थान नहीं कर रही है, उसका प्रस्थान सत्ता की कुर्सी की ओर हो रहा है ।

राजनेता की अर्हता

एनेक्सी (संसदीय-शोध) में प्रवचन करते हुए आचार्य तुलसी ने कहा था—बहुत बड़ा आश्चर्य है—विधानसभा और लोकसभा के सदस्यों के लिए अर्हता की चारित्रिक कसौटिया निर्धारित नहीं हैं । प्रशासन के क्षेत्र में हर व्यक्ति के लिए शैक्षिक कसौटिया निर्धारित हैं किन्तु सासदों के लिए वे भी नहीं हैं । इतने बड़े राष्ट्र का संचालन करने वाले नेतृत्व का चरित्र यदि उदात्त न हो तो क्या उसके उज्ज्वल भविष्य की कल्पना की जा सकती है ? अहिंसा में आस्था, अर्थ का संयम, अपने आवेशों पर नियन्त्रण करने की क्षमता, सामाजिक न्याय के प्रति हार्दिक समर्पण, समन्वय और सापेक्षता का दृष्टिकोण, बौद्धिक क्षमता और मानसिक सतुलन—ये राजनेता के चरित्र के मुख्य तत्त्व हैं । इन्हें कसौटी बनाकर किसी राजनेता के चरित्र को परखा जा सकता है । क्या इन कसौटियों में अनुत्तीर्ण व्यक्तित्व लोकतन्त्र के लिए वरदान बन सकता है ?

आंख मूंद कर

मैं मानवीय दुर्बलता के मनोविज्ञान से अपरिचित नहीं हूँ । प्रत्येक मनुष्य में आर्थिक लोलुपता, प्रतिशोध लेने की वृत्ति, मानसिक असंतुलन आदि दुर्बलताएँ स्वाभाविक रूप में होती हैं । इनका परिष्कार करने पर ही चरित्र उदात्त बनता है । क्या लोकतन्त्र के सारथियों ने इनके परिष्कार की किसी विधि का विकास किया है ? चार दशकों से लोकतन्त्र की प्रणाली चल रही है । क्या जनमानस को लोकतन्त्र की दीक्षा से दीक्षित किया गया है ? क्या लोकतन्त्र के सारथियों को रथ हाकने की विधि का कोई प्रशिक्षण दिया गया है ? ऐसा कुछ नहीं हुआ । एक नेता ने ड्राइवर से कहा—क्या तुम आंख मूंद कर कार चला सकते हो ? उसने कहा—सर ! नहीं । नेता बोला—हम तो आंख मूंदकर सरकार चला रहे हैं, तुम

कार नहीं चला सकते ?

तीसरी आंख खुले

यह एक व्यंग्य है किन्तु इसमें बहुत बड़ी सचाई है। आज सरकार चलाने वाले आख मूढ़ कर सरकार चला रहे हैं। वास्तव में सरकार चलाने वाले के कम से कम तीन आंखें होनी ही चाहिए। दो आंखें बाह्य जगत् को देखने के लिए और तीसरी आंख राष्ट्र की समस्या को देखने के लिए। इस तीसरी आंख की योगी के तृतीय नेत्र से तुलना न करे। फिर भी इसे अन्तर्दृष्टि की कोटि में तो रखा ही जाना चाहिए। अन्तर्दृष्टि के अभाव में केवल बाह्यदृष्टि से विशाल राष्ट्र की समस्याओं को कैसे सुलझाया जा सकता है? तीसरी आंख का अभाव है इसलिए सब समस्याओं को सुलझाने का एक ही उपाय है और वह है भौतिक दृष्टिकोण। मनुष्य भौतिक दृष्टिकोण के आधार पर पदार्थों का उपयोग करता है। वह स्वयं पौद्गलिक नहीं है। वह चेतन है। चेतन की समस्याओं को सुलझाने के लिए पदार्थ का समाधान पूर्णतः कारगर नहीं होता। उपयोगिता की सीमा में पदार्थ के द्वारा समस्या का समाधान किया जा सकता है किन्तु बहुत सारी समस्याएं मानसिक हैं। उनका समाधान मानसिक प्रशिक्षण के द्वारा ही संभव हो सकता है।

समाज की मनोदशा

लोकतंत्र की प्रणाली एक श्रेष्ठ समाधान है। वह केवल समाधान नहीं है, समस्या भी है। सत्ता की कुर्सी को पाने और उसे प्राप्त कर आर्थिक लाभ उठाने की एक प्रबल मनोवृत्ति विकसित हो रही है। उसमें असीम अधिकार और उससे असीम लाभ उठाने की सभावनाएं हैं। इस पर केवल वैयक्तिक संयम और आत्मानुशासन का ही नियन्त्रण हो सकता है। उसका प्रशिक्षण दिया नहीं जाता। उसके प्रशिक्षण की आवश्यकता भी महसूस नहीं हो रही है। भ्रष्टाचार के आरोप-प्रत्यारोपों को सुनते-सुनते कान और मस्तिष्क दोनों परिपक्व हो गए हैं। अब उसकी चर्चा बहुत सार्थक-सी नहीं लगती। जिसकी बार-बार आवृत्ति हो जाती है, वह बात नई नहीं रहती, परिचित या साथी जैसी बन जाती है। समाज की इस मनोदशा में क्या समस्या का समाधान खोजा जा सकता है ?

बदला है सापेक्षता का अर्थ

लोकतंत्र में प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री इतना समर्थ नहीं होता कि वह अपने साथियों पर नियन्त्रण कर सके। जिसके आधार पर वह प्रमुख बनता है, उन्हें अपने अनुकूल बनाए रखना नितान्त आवश्यक होता है। यह सापेक्षता का सिद्धान्त है। एक अर्थ में सापेक्षता का बड़ा महत्त्व है। वर्तमान स्थिति में सापेक्षता का अर्थ बदला हुआ प्रतीत हो रहा है। वह सहयोग की अपेक्षा प्रमुखता को बनाए रखने के लिए प्रयुक्त हो रही है। इस स्थिति में नियन्त्रण की बात संभव नहीं बनती।

लोकतंत्र का रथ चुनाव के पहियों पर चलता है। चुनावी सफलता में कुवेर का प्रसाद बहुत जरूरी है। कुवेर की अनुकंपा के बिना धन नहीं बरसता और धन की वर्षा के बिना चुनाव में सफलता नहीं मिलती। इस स्थिति में कौन किसे रोके? और कौन किस पर नियंत्रण करे? समस्या का चक्रव्यूह लोकतंत्र के साथ जुड़ा हुआ है।

प्रश्न है स्वतंत्रता के उपयोग का

लोकतंत्र के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अनुबंध है। राजतंत्र और अधिनायकवादी प्रणाली में उसकी सम्भावना नहीं है। लोकतंत्र ने स्वतंत्रता को मूल्य दिया है किन्तु इस विशेषता का उपयोग कम हो पाता है। लोकतंत्र के नागरिक जातीयता, साम्प्रदायिकता आदि अनेक बन्धनों से जकड़े हुए हैं इसलिए वे अपनी स्वतंत्रता का पूरा उपयोग कर नहीं पाते। चुनाव के समय राजनीति के सिद्धांत नीचे दब जाते हैं, जातीयता और सांप्रदायिकता के बन्धन उभर कर ऊपर आ जाते हैं। जिस जातिवाद को वर्तमान परिस्थितियों में निष्प्राण हो जाना था, उसकी प्राण-ऊर्जा और अधिक बढ़ गई है। जिस सांप्रदायिक कट्टरता को अर्थहीन हो जाना था, उसकी सार्थकता भी बढ़ी है।

लोकतंत्र का अन्तर्वन्द

लोकतंत्र की वास्तविक सत्ता जातिवाद, सांप्रदायिकवाद और आर्थिक स्रोतों में आसीन है। नम्बर दो की सत्ता शासन और प्रशासन के पास है। यह संभव नहीं कि जिनके आशीर्वाद से कोई

सत्ता पर आए और उनकी बात न माने। यदि न माने तो दूसरी बार सत्ता पर आने की सम्भावना क्षीण हो जाती है। यह लोकतंत्र का ऐसा अतर्द्वन्द्व है, जिससे छुटकारा पाना सरल नहीं है। कोई लोकतन्त्र का विकल्प सामने आए और उसकी अतर्द्वन्द्वात्मक परिस्थितियों से मुक्त होकर आए, तो स्वस्थ समाज की और स्वस्थ राजनीतिक प्रणाली की परिकल्पना की जा सकती है। हम परिकल्पना में सिमटकर नहीं रह सकते। हमें लोकतंत्र की समस्याओं को सरल बनाने की दिशा में चिन्तन करना है। इस चिन्तन का पहला बिन्दु है—शिक्षा। शिक्षा का पहला दशक भूमि को ऊर्वर बनाता है। दूसरे दशक में बुआई होती है। तीसरे दशक में फसल निष्पन्न हो जाती है। आवश्यकता है प्रशिक्षण की, आवश्यकता है एकाग्रता की, आवश्यकता है धैर्य की। यह त्रिवेणी सगम ही लोकतंत्र की प्रणाली को परिष्कार दे सकता है।

४. लोकतंत्र को थामने वाले पवित्र हाथ

लोकतन्त्र का विकल्प क्या हो सकता है ? एक पत्रकार ने पूछा । मैंने कहा — लोकतंत्र का विकल्प क्यों खोजते हो ? शासनतंत्र की जितनी प्रणालियाँ हैं, उनमें सबसे अच्छा विकल्प है— लोकतंत्र । उसकी श्रेष्ठता अभी खंडित नहीं हुई है । फिर विकल्प की खोज किसलिए ? विकल्प खोजना चाहिए लोकतंत्र को चलाने वाले हाथों का, जो हाथ लोकतन्त्र की डोर को थामने में काप रहे हैं ।

योग्यता की कसौटी

लोकतंत्र ने सत्ता को इतना गतिशील बनाया कि वह जाति, सम्प्रदाय, गरीबी, अमीरी— इन सबसे परे जाकर किसी भी योग्य व्यक्ति का वरण कर सकती है । यह लोकतंत्र के चरित्र का सबसे उजला पक्ष है, किन्तु लोकतंत्र को चलाने वाले लोग अभी योग्यता की कोई कसौटी निश्चित नहीं कर पाए हैं । योग्यता की दो कसौटियाँ हो सकती हैं चरित्र बल और बौद्धिक क्षमता । पता नहीं, क्यों लोकतंत्र के साथ अभी इन दोनों कसौटियों का मैत्री सम्बन्ध स्थापित नहीं हो रहा है । सत्ता और प्रशासन की कुर्सी पर आसन विछाने वाले लोगों का अर्थ के प्रति घोर आकर्षण बतला रहा है कि लोकतंत्र के सारथि का चरित्र-बल उन्नत नहीं है । अर्जुन को महा-भारत की रणभूमि में सारथि मिल गया । लोकतंत्र का अर्जुन अभी भी सारथि की खोज में है । महाभारत हो रहा है पर अर्जुन को सारथि नहीं मिल रहा है ।

अर्थ का शिकजा

कुछ दिन पहले चीन में एक आर्थिक घोटाले का सवाद पढ़ा । इस आर्थिक घोटाले की माया ने जापान के एक से अधिक प्रधान-मंत्रियों को सत्ता-मुक्त कर दिया । चीन में साम्यवादी शासन-प्रणाली है । इतनी नियंत्रित प्रणाली में भी आर्थिक घोटाला आश्चर्य की बात है । जापान लोकतंत्रीय प्रणाली से शासित है, वहाँ भी

आर्थिक घोटाला। अर्थ का शिकजा इतना मजबूत है कि बड़े से बड़े आदमी को अपनी पकड़ में ले लेता है। क्या भारत के लोकतंत्र का चांद इस राहु-प्रास से मुक्त है? सत्ता के पूर्व और पश्चिम में क्या स्थिति बदली नहीं है? लोग आश्चर्यपूर्ण भाषा में बोलते हैं पहले क्या स्थिति थी और अब सत्ता के बाद क्या स्थिति हो गई? यह आश्चर्यकारी परिवर्तन और इस परिवर्तन से उपजने वाले प्रश्न समाधान पाए बिना ही मौन हो जाते हैं।

प्रश्न है शीघ्र धर्म का

बहुत बार यह स्वर सुनाई देता है—हम भ्रष्टाचार का विरोध करेंगे। यह स्वर सुनने में बहुत मीठा है पर क्या किसी ने इसकी ऊर्चाई को नापने का प्रयत्न किया है?

शासक को इन्द्रियजयी होना चाहिए, चाणक्य के इस सूत्र को आज के पदार्थवादी और सुविधावादी युग में बहुत मूल्य नहीं दिया जाता। फिर भी इसकी सच्चाई को नकारा नहीं जा सकता। सबके सब शासक विदेह जनक की प्रतिमूर्ति हो, यह कल्पना अतिकल्पना होगी किंतु शासक में त्याग के कुछ बीजों का अकुरण हो, इस भावना को आधारभूमि से शून्य नहीं किया जा सकता। लोकतंत्र के शासक और प्रशासक के हाथ में असीम अधिकार है। प्राचीनकाल के राजे उनके सामने अधिकार की सीमा में बौने से दिखाई देते हैं। इतने बड़े अधिकार को पाना चुनावी प्रक्रिया का वरदान है। क्या त्याग को आच के बिना उसे पचाया जा सकता है? मनु ने ठीक कहा था—अर्षशुचिः शुचिः। शुचि अथवा पवित्र वह होता है, जो अर्थ के मामले में शुचि होता है। इस शीघ्र-धर्म की नितांत उपेक्षा हो रही है। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों का तथा विधान-सभा के सदस्यों का भ्रष्टा वढना चाहिए। इस आकाक्षा की पूर्ति हो जाती है किंतु सत्ता के सिंहासन पर बैठे लोगों में शीघ्र-धर्म का विकास होना चाहिए, यह स्वर बहुत उठता ही नहीं है और यदि किसी कोने में उठता है तो श्रोता को न पाकर वह मद होते-होते क्षीण हो जाता है।

वर्तमान का आदर्श

हम नहीं सोच सकते कि आज का शासक चाणक्य जैसा कुटिया का जीवन जी सकता है। विदेह जनक और महामात्य चाणक्य

को अतीत की गाथा मानकर वर्तमान के पटल पर रेखांकित न करें। क्या वर्तमान का अपना कोई आदर्श नहीं है? क्या नैतिक मूल्यों और जीवन मूल्यों को लिखने के लिए आज के मानव के पास कोई कागज, स्याही और कलम नहीं है? यदि है तो इस प्रश्न पर सामूहिक चिंतन होना चाहिए। यह चिंतन केवल राजनीति के लोग ही न करे। इस चिंतन में उनकी भी भागीदारी होनी चाहिए, जो बड़े-बड़े उद्योगपति और व्यवसायी हैं और इसी आर्थिक समस्या के वातावरण में सांस ले रहे हैं। इस चिंतन में उनकी साभेदारी भी कम महत्त्व की नहीं है, जो त्याग-तपस्या का जीवन जीते हैं, जिनका अर्थ-संग्रह से कोई सरोकार नहीं है।

गणाधिपति तुलसी का स्वप्न

प्रश्न किसी एक व्यक्ति का नहीं, किसी एक दल का नहीं, किसी एक वर्ग का नहीं, प्रश्न है पूरे समाज और राष्ट्र का। आगे बढ़ें तो पूरी मानवजाति का है। प्रश्न हमारी धार्मिक और आध्यात्मिक परम्परा का है। प्रश्न उस भारतीय परम्परा का है, जिसने आचार का पाठ पढ़ाने के लिए विश्व के लोगों को आमंत्रण दिया था। अणुव्रत अनुशास्ता आचार्य तुलसी ने एक स्वप्न संजोया है कि विभिन्न वर्गों के त्यागी, तपस्वी और मनीषी लोग एक साथ बैठकर आर्थिक महत्त्वाकांक्षा और असीम व्यक्तिगत स्वामित्व जैसी समस्याओं पर सामूहिक चिंतन करें। वह चिंतन मानव समाज के लिए ज्योति-स्तम्भ बने। लोकतंत्र को चिरजीवी और स्वस्थ बनाए रखने के लिए आवश्यक हैं वे ज्योतिदीप, जो अथाह समुद्र में तैरने वाले जलपोतों का सहारा बन सकें।

५. धर्म और राजनीति का द्वन्द्व

विलगाव का प्रश्न

‘मेरे लिए धर्म से अलग कोई राजनीति नहीं है। मेरा धर्म सार्वभौम और सहनशील धर्म है, अधविश्वासो और ढकोसलो का धर्म नहीं। वह धर्म भी नहीं, जो घृणा कराता है और लडाता है। नैतिकता से विलग राजनीति को त्याग देना चाहिए।’ महात्मा गांधी का यह विचार आज भी बहुत प्रासंगिक है। धर्म और राजनीति में विलगाव की आवश्यकता के प्रश्न को सापेक्षदृष्टि से देखना होगा। साम्प्रदायिक कट्टरता और धर्म को हम एक ही आख से देखें तो राजनीति और धर्म के अलगाव की आवश्यकता लोकतंत्र का प्रथम उच्छ्वास है। यदि धर्म को हम सत्य और अहिंसा तथा नैतिकता की आख से देखें तो राजनीति धर्म से शून्य होकर खतरे की घटी से अधिक नहीं हो सकती। गांधी ने स्वयं स्वीकारा है— ‘धर्म का अर्थ कट्टरपथ से नहीं है। उसका अर्थ है - विश्व की एक नैतिक सुव्यवस्था में श्रद्धा। वह अदृष्ट है इसलिए उसकी वास्तविकता कम नहीं हो जाती। यह हिन्दू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म आदि सबसे परे है। यह उन धर्मों का उच्छेद नहीं, समन्वय करता है और उन्हें वास्तविक धर्म बनाता है।’

गणाधिपति तुलसी ने एक बार कहा था—‘धर्म को पहला स्थान और सम्प्रदाय को दूसरा स्थान दिया जाए तभी धर्म समाज और राज्य के लिए प्रकाश-पुज बन सकता है।’

वर्तमान में सत्य, अहिंसा तथा नैतिकता वाला धर्म किसी अज्ञात कोने में छिपा बैठा है और साम्प्रदायिक, अभिनिवेश वाला धर्म उजागर हो रहा है। इस अवस्था में तथाकथित धर्म और राजनीति के विलगाव की आवश्यकता चिन्तनशील तटस्थ व्यक्ति को महसूस होती है और होनी चाहिए।

धर्म, सम्प्रदाय और संस्कृति

धर्म और सम्प्रदाय एक नहीं हैं। सम्प्रदाय धर्म की व्याख्या

अथवा संप्रेषण की गुरु-परम्परा है। म्यान तलवार की सुरक्षा के लिए है, किन्तु म्यान और तलवार एक नहीं हो सकती। छिलका फल की सुरक्षा के लिए है, पर गुदे और छिलके को एक ही तुला से नहीं तोला जा सकता। संप्रदाय उपयोगी है पर सांप्रदायिक कट्टरता ने जो घृणा और हिंसा का ताडव किया है, उसमें संप्रदाय का पवित्र अर्थ आज अपनी पवित्रता को बनाए नहीं रख सका। अंग्रेजी में धर्म का अनुवाद रिलीजन किया जा रहा है किन्तु मोक्ष पुरुषार्थ के सदर्थ में जो धर्म की अवधारणा है, उसको यह शब्द पूर्णतः अभिव्यक्त करने में समर्थ नहीं है।

संस्कृति व्यापक तत्त्व है। धर्म उसके परिवार का एक तत्त्व हो सकता है किन्तु संस्कृति के साथ धर्म का प्रत्यक्ष संबन्ध नहीं है।

भारतीय चिंतन की यह दुर्बलता मानता हूँ कि यहाँ समाज-धर्म और राष्ट्र-धर्म को विकसित नहीं किया गया। मोक्ष-धर्म, जो समाज और राज्य की व्यवस्था को प्रभावित कर सकता है, शासित नहीं कर सकता, उसकी ओर अधिक ध्यान दिया गया।

अपरिभाषित धर्म-निरपेक्षता

लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में किसी सम्प्रदाय का राज्यसत्ता पर अधिकार न हो, यह लोकतंत्र के स्वास्थ्य का पहला लक्षण है। भारतीय सविधान में इस स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने का प्रयत्न किया गया है किन्तु धर्म, सम्प्रदाय, पथ और निरपेक्षता के बीच कोई भेद-रेखा खींची नहीं गई, उनकी स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई। यह अपरिभाषित धर्म-निरपेक्ष अथवा सेक्यूलरिज्म सशय और भ्रांति के घेरे में रहा। आज भी यह प्रश्नवाचक बना हुआ है, विवाद से मुक्त नहीं है। राजनीति को धर्म से अलग करने वाला विधेयक भी यदि अपरिभाषित रहा, उसमें संप्रदाय और धर्म की स्पष्ट परिभाषा नहीं की गई तो वह भी सार्थक होने की अपेक्षा निरर्थक विवाद और वितण्डा को ही जन्म देगा।

धर्म-सापेक्षता का सिद्धांत

धर्म-निरपेक्षता के साथ धर्म-सापेक्षता की ओर भी इंगित होता तो सविधान भारतीय संस्कृति और परंपरा के अधिक निकट होता। राज्य का कार्य काम और अर्थ की व्यवस्था करना है किन्तु काम और अर्थ के प्रभाव से उत्पन्न होने वाली विकृतियों को दूर

करना भी राजनीति का काम है। भारत के प्राचीन राजनीतिज्ञ आचार्यों ने काम और अर्थ की व्यवस्था को जितना आवश्यक बतलाया उतना ही आवश्यक बतलाया शासक के लिए काम, क्रोध आदि छह अतरंग शत्रुओं पर विजय पाना तथा इन्द्रिय-निग्रह करना। यह धर्म-सापेक्षता का सिद्धान्त राजनीति के शुद्धीकरण का सिद्धांत है। इससे समन्वित धर्म-निरपेक्षता का सिद्धांत अधिक स्पष्ट होता है।

बुद्धिवादी वर्ग का मौन

धर्म-निरपेक्षता, समाज, सस्कृति आदि के विषय में बुद्धिवादी वर्ग भी प्रायः मौन रहा इसलिए अधिकांश एकांगी व्याख्याएँ ही होती रही हैं। आवश्यक है कि हम केवल पश्चिमी विचारकों की भाषा का ही पुनरुच्चारण न करें किन्तु अपना स्वतंत्र चिंतन प्रस्तुत करें। व्यक्ति-निरपेक्ष समाज और समाज-निरपेक्ष व्यक्ति की भाषा ने बहुत उलझाया है। व्यक्ति-सापेक्ष समाज और समाज-सापेक्ष व्यक्ति का विचार समाजवाद की अवधारणा को नया रूप दे सकता है।

धर्म और दर्शन सस्कृति का एक पक्ष है। सस्कृति में उन सब पक्षों का समावेश होता है, जो भाषा या प्रतीकों के द्वारा सप्रेषणीय बनते हैं। हिन्दू, मुसलमान और ईसाई—इनकी धार्मिक अवधारणा भिन्न हो सकती है किन्तु सस्कृति के अनेक पक्ष उनके एक हैं। हिन्दू-मुस्लिम एकता का प्रयत्न बुद्धिवाद के स्तर पर होता तो अधिक संभव बनता। राजनीति के स्तर पर वह प्रयत्न न संभव बना और न उसके सफल होने की संभावना है। हिन्दू, मुस्लिम और ईसाई—सभी समाज अपने-अपने अस्तित्व की सुरक्षा के प्रति जागरूक रहे, इसमें संघर्ष, घृणा और वैमनस्य के लिए कोई अवकाश नहीं है। वे समाजान्तरण या समाज-परिवर्तन का प्रयत्न करते हैं तब संघर्ष और कलह की भावना बद्धमूल होती है, दुश्मनी का वातावरण बना रहता है।

धर्मान्तरण समाजान्तरण

हमारी दृष्टि में धर्मान्तरण और समाजान्तरण एक नहीं है। धर्मान्तरण वैचारिक स्वतंत्रता का प्रश्न है। धर्म-परिवर्तन के साथ यदि जाति, समाज आदि की सारी व्यवस्था बदल जाए तो फिर वह

केवल धर्मान्तरण नहीं, समाजान्तरण होता है। बुद्धिवादी वर्ग इस धर्मान्तरण की समस्या को सुलभाने में सक्रिय योग देता तो राष्ट्र और अधिक संगठित होता। आज प्रत्येक समस्या को सुलभाने का अधिकार राजनीति और राजनेता ने ले रखा है। वह तर्कशास्त्र का अति-प्रसंग है। जो बुद्धिवादी वर्ग का कार्य है, वह राजनीति के हाथ में जाए, यह वाछनीय नहीं है।

प्रस्तावित अधिनियम

समाज को चलाने वाले नियमों का निर्धारण केवल सरकार ही करे, यह सीमा का अतिक्रमण है, बुद्धिवादी वर्ग की अकर्मण्यता का परिणाम है। सामाजिक, धार्मिक और सांस्कृतिक नियमों के निर्धारण के समय बुद्धिवादी वर्ग का मत नहीं जाना जाता, इसे वैचारिक कृपणता के अतिरिक्त और क्या कहा जाए? प्रस्तावित अधिनियम का नामकरण—धर्म को राजनीति से अलग करना—फिर वही भ्रम पैदा कर रहा है, जो भ्रम धर्म-निरपेक्षता शब्द ने पैदा किया है। जाति, सम्प्रदाय और भाषा की कट्टरता एक ही विषवृक्ष के फल हैं। यदि इन विषफलों के निवारण का एक साथ कोई प्रावधान किया जाता तो समस्या के सुलभने की अधिक सम्भावना होती। चुनाव के समय जाति, भाषा और सम्प्रदाय का अधिकतम उपयोग करने वाले राजनीतिक दल राजनीति को धर्म से विलग करने की बात कहे और कोई वैसा अधिनियम प्रस्तुत करें, इसे सविधान और राष्ट्र का सौभाग्य नहीं कहा जा सकता।

६. आत्म-धर्म, समाज-धर्म और राष्ट्र-धर्म

धर्म की प्राचीन अवधारणा

आत्मा, पुनर्जन्म और मोक्ष पर भारतीय दर्शनो में विशद विचार हुआ है। पश्चिमी दर्शनो के ये मुख्य विचारणीय विषय नहीं रहे। आत्मा और ईश्वर पर कुछ दार्शनिको ने विचार किया किन्तु मोक्ष प्रायः विचार का विषय नहीं बना। भारतीय दर्शनो का मुख्य लक्ष्य या साध्य मोक्ष रहा है। उसका अर्थ है—सब वधनो से मुक्ति, सूक्ष्म-स्थूल - सभी शरीरो से मुक्ति। मोक्ष-प्राप्ति की साधन-सूची में अनेक तत्त्व हैं, उनमें एक तत्त्व है—धर्म।

साध्य दर्शन के अनुसार धर्म स्वर्ग का साधन है, मोक्ष का साधन नहीं। कर्म से मोक्ष नहीं मिलता। अच्छे-बुरे सभी कर्म वध उत्पन्न करते हैं। शुभ कर्म से स्वर्ग और अशुभ कर्म से नरक मिलता है। स्वर्ग और नरक भी दुःखमय हैं।

धर्मेण गमनमूर्ध्वं, गमनमधस्ताद् भवत्वधर्मेण।

ज्ञानेन चापवर्गो, विपर्ययादिष्यते वध ॥

न्याय दर्शन के अनुसार तत्त्वज्ञान से मोक्ष उपलब्ध होता है। वैशेषिक दर्शन ने मोक्ष की विचारण में धर्म को स्थान दिया है। कणाद की व्याख्या है—जिससे अभ्युदय और निःश्रेयस की सिद्धि होती है, वह धर्म है।

बौद्ध दर्शन में आर्य अष्टांगिक मार्ग को निर्वाण-प्राप्ति का मार्ग कहा गया है।

जैन दर्शन में मोक्ष के तीन अथवा चार मार्ग बतलाए गए हैं—सम्यक् दर्शन, सम्यक् ज्ञान और सम्यक् चारित्र अथवा ज्ञान, दर्शन, चारित्र और तप।

आचार्य भिक्षु ने मोक्ष मार्ग के आधार पर अहिंसा, दया आदि का विश्लेषण किया इसलिए उनके साहित्य में बार-बार 'यह मोक्ष का मार्ग है', 'यह संसार का मार्ग है'—इन वाक्यों का प्रयोग मिलता है। यदि हम मोक्ष-मार्ग को संसार-मार्ग का हरा चश्मा

लगाकर देखे तो वह हमें हरा ही हरा दिखाई देगा इसलिए आवश्यक है कि हमारी आंखों पर रंगीन चश्मा न हो। जो जैसा है, उसे उसी रूप और रंग में देखे। कणाद ने धर्म को व्यापक अर्थ में परिभाषित किया। जैन आचार्यों ने कृषि, वाणिज्य आदि को अभ्युदय का हेतु माना।

आचार्य भिक्षु ने कहा अभ्युदय का हेतु ससार का मार्ग है। ज्ञान, दर्शन और चारित्र के बिना कोई मोक्ष का मार्ग हो ही नहीं सकता। आचार्य भिक्षु के विचार का समर्थन जबद्वीपप्रज्ञप्ति की वृत्ति से भी होता है। 'पयाहियाए उवदिसई', इस सूत्र की वृत्ति में शात्याचार्य ने कृषि आदि कर्मों को जीवन-निर्वाह और अभ्युदय का हेतु होने के कारण प्रजा के लिए हितकर बतलाया है। आजीविका अभ्युदय का हेतु है। यदि रोजगार (आजीविका) सरलता से प्राप्त होता है तो समाज में चोरी आदि अपराध नहीं बढ़ते। भगवान् ऋषभ ने समाज को अपराध-मुक्त रखने के लिए जीवनोपयोगी कलाओं और शिल्पों का प्रवर्तन किया। मनुस्मृति-कार ने भी आभ्युदयिक और नैःश्रेयसिक कर्म को पृथक्-पृथक् माना है।

पंचपदी

प्राचीनकाल में धर्म की अनेक परिभाषाएँ बन चुकी थीं फिर भी आचार्य भिक्षु को एक नई परिभाषा की अपेक्षा प्रतीत हुई। धर्म के नाम पर बहुत बड़ा घोटाला चल रहा था। सेवा, सहयोग, सहानुभूति, दान और परोपकार—ये शब्द धर्म की धारणा को भ्रान्त बना रहे थे।

सेवा शब्द का स्वरूप कैसा ही हो, बस, सेवा करना धर्म है, यह मत रूढ़ हो गया था। आचार्य भिक्षु ने इस मत का विश्लेषण किया—सेवा सामाजिक और आत्मिक—दो भूमिकाओं पर हो सकती है। समाज की भूमिका पर सेवा करना सामाजिक कर्तव्य अथवा समाज-धर्म है। आत्मा को पवित्र बनाने वाली सेवा करना आत्म-धर्म अथवा मोक्ष-धर्म है। उसका स्वरूप है ज्ञान, दर्शन और चरित्र का विकास।

एक आदमी कोई कार्य कर रहा है, उसमें कोई दूसरा जुड़ता है, उसका नाम है सहयोग। वह समूह का मिला हुआ श्रम है। जैसे

एक आदमी भारी लक्कड़ उठा रहा है, दूसरा आया, उसे सहारा दिया, वह है सहयोग। सहयोग योग से जुड़ जाता है।

सहानुभूति—सह अनुभूति। एक व्यक्ति का सवेग देखकर दूसरा व्यक्ति वैसा ही अनुभव करता है। उसका नाम है सहानुभूति। जैसे दुखी व्यक्ति को देखा और स्वयं दुखी बन गया। समाज मनोविज्ञान में सहानुभूति के दो प्रकार बतलाए गए हैं। एक है सक्रिय सहानुभूति, जैसे किसी भूखे को देखा, सहानुभूति जाग गई और उसे भोजन करा दिया। दूसरी है निष्क्रिय सहानुभूति। भूखे को देखा और कह दिया—मुझे बड़ा दुःख है कि तुम भूखे मर रहे हो। वस वाचिक सहानुभूति प्रगट कर दी। करुणा, दया और अनुकंपा—ये सहानुभूति के ही विविध रूप हैं।

दान—भिखारी को रोटी, कपड़ा आदि देना दान है।

परोपकार—दूसरो का उपकार करना।

इन पांच शब्दों ने समाज और धर्म को, समाज-धर्म और आत्मधर्म को इतना मिला दिया कि धर्म का निर्णय करना साधारण व्यक्ति की पहुंच से बाहर हो गया है। सामाजिक व्यक्ति के लिए कुछ कर्तव्यों का निर्धारण होता है। समाज के सामने यक्षप्रश्न कर्तव्य का होता है। सामाजिक व्यक्ति के सामने धर्म का प्रश्न तब आता है, जब वह मोक्ष की साधना करना चाहता है।

सामाजिक कर्तव्य : आत्मधर्म

आचार्य भिक्षु ने उक्त पंचपदी का विश्लेषण कर सामाजिक कर्तव्य और आत्म-धर्म के बीच भेद-रेखा खींची। सेवा धर्म है, यह एकान्ततः मत कहो, विभज्यवाद का प्रयोग कहो। शरीर को पोषण देने वाली सेवा सामाजिक कर्तव्य भी है, धर्म भी है। धर्म कर्तव्य होता है, किन्तु सब कर्तव्य धर्म नहीं है। आचार्य भिक्षु का वाक्य है—ए ससार तणो किरतव जाणो। सासारिक कर्तव्य का अर्थ है—सामाजिक कर्तव्य।

अतीत की दस-पन्द्रह शताब्दियों में भारतीय मानस में सामाजिकता का ह्रास क्यों हुआ, यह अनुसंधान का विषय है। एक सामाजिक प्राणी में सामाजिक कर्तव्य के प्रति जागरूकता होनी चाहिए, वह कम क्यों हुई? सामाजिक कर्तव्य को धर्म के बटखरों से तोलना शुरू कर दिया, प्रत्येक सामाजिक कर्तव्य को धर्म के रंग

में रंग दिया। क्या इस धारणा ने सामाजिक चेतना को कुठित नहीं किया है? किसी व्यक्ति में धर्म के प्रति आस्था होती है और किसी व्यक्ति में नहीं होती। जो व्यक्ति धर्म को नहीं मानता, वह धर्म के नाम से चलने वाले सामाजिक कर्तव्य को कैसे निबाहेगा? प्रत्येक सामाजिक कर्तव्य धर्म है। धर्म को उपयोगिता के साथ इस प्रकार जोड़ दिया कि धर्म की कोई अपनी पहचान ही नहीं रही। कुछ प्राचीन आचार्यों ने गहराई में जाकर चिन्तन किया। उन्होंने धर्म और कर्तव्य के बीच कुछ भेद-रेखाएँ जरूर खींचीं। आचार्य भिक्षु ने उन रेखाओं को स्पष्ट रूप में उभारा।

भगवान् ऋषभ ने जीवन-यापन के लिए सुरक्षा, व्यापार, कृषि, विद्या, वाणिज्य और शिल्प—इन छह कर्मों का प्रवर्तन किया। अपने मतिकौशल से जनता के लिए आजीविका की व्यवस्था की। उस समय भगवान् सराग थे इसलिए उक्त कर्मों का प्रवर्तन किया।

आचार्य हेमचन्द्र के सामने प्रश्न उपस्थित हुआ—कृषि, वाणिज्य आदि कर्म सावद्य हैं, बधनकारक हैं, फिर भगवान् ने उनका प्रवर्तन कैसे किया? इस प्रश्न के उत्तर में उन्होंने लिखा—कृषि आदि कर्म सावद्य हैं, यह जानते हुए भी भगवान् ने प्रजा पर अनुकम्पा और अपना कर्तव्य समझकर उनका प्रवर्तन किया—

एतच्च सर्वं सावद्यमपि लोकानुकम्पया ।

स्वामी प्रवर्तयामास, जानन् कर्तव्यमात्मनः ॥

दान की अवधारणा

दान की अवधारणा ने भिखारीपन को बढ़ावा दिया। वास्तव में कोई भी गृहस्थ दान का अधिकारी नहीं है। गुजरात के प्रसिद्ध सत रविशंकर महाराज बिहार में गये। उस समय बिहार भयंकर अकाल का सामना कर रहा था। अनेक लोगो ने कहा—हमें रोटी दो। रविशंकर महाराज ने कहा—‘रोटी मिलेगी पर मुफ्त में नहीं। श्रम करो और रोटी लो।’ यह एक स्वस्थ सामाजिक कर्तव्य है। जयप्रकाश नारायण ने दानी और भिखारी की अवधारणा का मार्मिक चित्रण किया—‘रामराज्य भिखारी और राजा—दोनों को क्यों नहीं? यदि उसमें केवल दानी ही रहेंगे, भिखारी नहीं रहेंगे

तो उन्नत विचार वाले उदार दानी अपनी आत्मा की महान् उदारता और सदाशयता का परिचय देकर किस तरह मानवीय स्वभाव का हिन्दु आदर्श पेश करेंगे ?'

काका कालेलकर दान और त्याग के बीच भेदरेखा खींचने में सफल हुए हैं। उनका चिंतन आचार्य भिक्षु के चिंतन का स्पर्श करता हुआ प्रतीत होता है - 'सच्चा धर्म, प्रधान धर्म दान नहीं किन्तु त्याग है। समाजद्रोह 'करके धन इकट्ठा करना और उसमें से थोड़ा सा विपद्ग्रस्तों को देकर अपने को पुनीत बनाना, यह अपने को और समाज को धोखा देना है। सच्चा धर्म है समाज सेवा के लिए इन्द्रिय निग्रह करना, उद्योग परायण सादगी से रहना और समूचे समाज के साथ ही नहीं किन्तु सचराचर विश्व के साथ एकरूप हो जाना, यही है सच्चा जीवनानन्द।'

आचार्य भिक्षु ने दो सौ वर्ष पहले कहा— भिखारी को दान देना धर्म नहीं है तब एक वातूल-सा खड़ा हो गया। वर्तमान का चिन्तन बहुत सबल हो चुका है। आज का चिन्तनशील व्यक्ति भिखारीपन को सामाजिक अपराध मानता है। भिखारी होना ही सामाजिक व्यवस्था का दोष है। वह समाज अच्छा समाज नहीं होता, जिस समाज में कोई व्यक्ति भिखारी होता है और कोई दान-दाता। भिखारीपन को प्रोत्साहन देना और भी ज्यादा दोष है। भिखारी को श्रम में लगाकर रोटी दें, इस प्रवृत्ति को सामाजिक कर्तव्य की कोटि में रखा जा सकता है। दान का औचित्य समझ से परे है। इस दान की प्रथा ने सचमुच हिन्दुस्तान में मुफ्तखोरी की प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है।

दान का अधिकारी

आचार्य भिक्षु ने दान और त्याग को पृथक् रूप में परिभाषित किया— जो व्यक्ति सयमी है, अपने लिए रसोई नहीं पकाता, अर्किचन है, पैसे को सर्वथा त्याग चुका है, आत्म-साधना में लीन है, विरक्त है, वही व्यक्ति दान का अधिकारी है। उसे दान देना त्याग है, अतिथिसविभाग व्रत है। दान, पुण्य की मीमांसा में उनका तर्क था— भिखारी को अपना भाई मानकर भोजन कराए तो धर्म नहीं, भिखारी मानकर भोजन कराए तो धर्म, ऐसा क्यों? अपने भाई को भोजन कराना धर्म नहीं माना जाता था, केवल भिखारी को रोटी

देना धर्म माना जाता था, इस भ्रांत धारणा को आचार्य भिक्षु ने तोड़ा। उन्होंने कहा—यह कैसी भ्रांति है कि एक सामाजिक व्यक्ति को पहले भिखारी बनाओ फिर उसे दान दो और धर्म-पुण्य कमाओ। यह दोहरी नहीं, तिहरी भूल है। धना सेठों को त्याग तपस्या की जरूरत नहीं, बस जैसे-तैसे धन कमाओ, थोड़ा-सा भिखारी को खिला दो, पुण्य कमाओ और स्वर्ग में जाओ। इस भ्रांत अवधारणा पर आचार्य भिक्षु ने बहुत कड़ा प्रहार किया। लोगों को बड़ा अटपटा लगा। जब धर्म के बारे में गम्भीर चिन्तन नहीं होता तब धर्म के क्षेत्र में रूढ़ परम्परा चलती है, बहुत सारी भ्रान्तिया पैदा हो जाती हैं।

मिश्रण न हो

प्राचीनकाल में धर्म शब्द का प्रयोग विधि और व्यवस्था के अर्थ में भी होता था। इस आधार पर कर्तव्य को भी धर्म कहा जाता था। भगवान् महावीर ने दस प्रकार के धर्मों का प्रतिपादन किया। उस वर्गीकरण में ग्राम-धर्म, नगर-धर्म आदि आत्म-धर्म से भिन्न है। हिन्दुस्तान की त्रासदी का मुख्य हेतु यह है कि यहाँ समाज-धर्म और राष्ट्र-धर्म विकसित नहीं हो सके। यदि उनका विकास हुआ होता तो समाज की व्यवस्था समाज-धर्म के आधार पर और राष्ट्र की व्यवस्था राष्ट्र-धर्म के आधार पर संचालित होती। आत्म-धर्म का उपयोग आत्म-साधना के लिए होता, समाज-धर्म और आत्म-धर्म का मिश्रण नहीं होता। इस मिश्रण के कारण न समाज और राष्ट्र की व्यवस्था समुचित हो सकी और न आत्म-धर्म का वाछनीय विकास हो सका। आचार्य भिक्षु ने इस सचाई को एक उदाहरण के माध्यम से प्रकट किया—

एक साहूकार की दुकान में सबेरे कोई पैसा लेकर आया और कहा—शाहजी ! पैसे का गुड दे। तब दुकानदार ने उस पैसे को नमस्कार कर उसे ले लिया। उसने सोचा—सबेरे-सबेरे तांबे के सिक्के से व्यवसाय का प्रारम्भ हुआ है। दूसरे दिन वह रुपया लेकर आया और कहा—शाहजी ! रुपये की रेजगी है ? तब दुकानदार ने रुपया को नमस्कार कर उसे ले लिया। रेजगी गिन उसे दे दी। सेठ मन में प्रसन्न हुआ—आज चांदी के सिक्के का दर्शन हुआ है।

तीसरे दिन वह खोटा रुपया लेकर आया और बोला— शाहजी ! रुपये की रोजगी है ? तब वह दुकानदार प्रसन्न होकर बोला—मेरी दुकान पर कल वाला ही ग्राहक आया है । उसने रुपया हाथ में लेकर देखा तो वह खोटा था । भीतर तावा और ऊपर चादी । उसने उस रुपये को देखकर नाराजगी व्यक्त की । उसने सोचा—सवेरे-सवेरे नकली रुपए का दर्शन हुआ ।

तब वह ग्राहक बोला— शाहजी ! आप नाराज क्यों हुए ? परसो मैं पैसा लाया था तब आपने तावे के सिक्के को नमस्कार किया था । कल मैं रुपया लाया था तब भी आपने चादी के सिक्के को नमस्कार किया था और आज इस सिक्के में तांबा और चादी दोनों हैं इसलिए आप दो बार नमस्कार करें ।

तब साहूकार बोला—रे मूर्ख ! परसो तो अकेला तावा था, वह ठीक है । कल अकेला चादी का सिक्का था, वह भी ठीक है । वे दोनों अलग-अलग थे इसलिए नकली नहीं थे पर आज इस सिक्के में तावा और ऊपर चादी का भ्रोल है इसलिए यह खोटा है । यह किसी काम का नहीं ।

सामाजिक कर्तव्य का अपना मूल्य है, आत्म-धर्म का अपना मूल्य है । दोनों अपनी-अपनी भूमिका पर काम करें तो दोनों का मूल्य है । समाज-धर्म और आत्म-धर्म का मिश्रण हो जाए तो दोनों अपना मूल्य खो देते हैं ।

महात्मा गांधी ने कहा—‘भेरे लिए धर्महीन राजनीति निरी कूडा-करकट है और सदैव त्याज्य है । राजनीति का सबध राष्ट्रों से है और जिसका सबध राष्ट्रों के कल्याण से है, उसमें सभी धार्मिक प्रवृत्ति के पुरुषों को रुचि लेनी चाहिए ।’

राजनीति धर्म से प्रभावित हो

आचार्य भिक्षु का चिन्तन था— समाज कर्तव्य और धर्म का मिश्रण नहीं होना चाहिए । महात्मा गांधी धर्महीन राजनीति को कूडा-करकट मानते हैं । ये दोनों विचार क्या भिन्न दिशागामी नहीं हैं ? बहुत सारे चिन्तक कहते हैं—समाज-व्यवस्था और राज्य-व्यवस्था धर्म के द्वारा संचालित होनी चाहिए, जिससे कि वह पवित्र रह सके । इस चिन्तन के सत्याश को हम अस्वीकार नहीं करते किन्तु यह समग्र सत्य नहीं है । धर्म और समाज-कर्तव्य का

मिश्रण वास्तव में समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान यह है—समाज समाज-धर्म के द्वारा राष्ट्र-धर्म के द्वारा शासित अथवा संचालित हो। वे धर्म के द्वारा संचालित अथवा शासित नहीं किन्तु धर्म के द्वारा प्रभावित हो। महात्मा गांधी ने भी प्रभावित होने की बात स्वीकार की है—मैं नहीं मानता कि आध्यात्मिक नियम अपने स्वतंत्र क्षेत्र में काम करते हैं। इसके विपरीत वे केवल जीवन के सामान्य कार्यों द्वारा ही व्यक्त होते हैं। इस प्रकार वे आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक क्षेत्रों को प्रभावित करते हैं।'

राष्ट्रीय कर्तव्य

राष्ट्रीय कर्तव्यों की तालिका इस प्रकार बनती है :—

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| १. गरीबी हटाना | ६. प्राथमिक आवश्यकता— |
| २. रोजगार देना | घर, वस्त्र, रोटी आदि |
| ३. शिक्षा की व्यवस्था करना | की व्यवस्था करना। |
| ४. चिकित्सा की व्यवस्था करना | ७. न्याय की व्यवस्था करना। |
| ५. आर्थिक विकास करना | |

राष्ट्र-धर्म का विकास

इन कर्तव्यों की पूर्ति राष्ट्र-धर्म के विधि-विधानों द्वारा की जा सकती है। धर्म के विधि-विधान इनकी संपूर्ति नहीं कर सकते। राष्ट्र का समग्र विकास न होने की स्थिति में कुआं खुदाना भी धर्म बन गया, चिकित्सालय बनाना, धर्मशाला बनाना भी धर्म बन गया और इस धर्म के अधिकारी वे ही लोग बने, जिनके पास पैसा था। प्रत्येक आवश्यक कर्तव्य की पूर्ति से स्वर्ग के प्रलोभन को जोड़ दिया और उसे धर्म के आसन पर बिठा दिया। फलतः आवश्यकताओं की पूर्ति धनवानों की कृपा पर निर्भर रही। राष्ट्रीय कर्तव्य की चेतना उसके साथ नहीं जुड़ सकी। प्रत्येक सामाजिक कर्तव्य और राष्ट्रीय कर्तव्य के साथ नैतिकता की चेतना जुड़े, यह अपेक्षित है, किन्तु वे कर्तव्य धर्म के नाम पर अथवा धर्म के प्रलोभन से संचालित न हो, जिससे कि समाज और राष्ट्र के उद्देश्य तथा धर्म के उद्देश्य की स्वतन्त्रता सुरक्षित रह सके।

सर्वोत्तम विकल्प

समाज-धर्म समाज के प्रत्येक सदस्य के लिए समान होगा।

राष्ट्र धर्म राष्ट्र के प्रत्येक नागरिक के लिए समान होगा। उपासना का धर्म सबका समान नहीं होगा। भिन्न-भिन्न संप्रदाय और भिन्न-भिन्न अवधारणाएं। फिर समाज और राष्ट्र किस धर्म के द्वारा शासित हों, यह प्रश्न जटिल बना रहता है। इतिहास साक्षी है कि धर्म के द्वारा शासित राज्यों में अपने से भिन्न धर्म-सम्प्रदाय वालों के प्रति अमानवीय अत्याचार हुए हैं। धार्मिक उन्माद और सत्ता का उन्माद—दोनों एक साथ होते हैं तो वे अणु-शस्त्रों से भी अधिक भयंकर बन जाते हैं।

समाज अथवा राष्ट्र नैतिकता और चरित्रधर्म से शासित हो, यह विकल्प भी सर्वथा निर्दोष नहीं है। नैतिकता और चरित्रधर्म स्वैच्छिक है। उन्हें विधि—कानून की भांति अनिवार्य नहीं बनाया जा सकता। यदि उन्हें अनिवार्य किया जाए तो फिर वे कानून बन जाएंगे, धर्म के रूप में नहीं रहेंगे। इसलिए सबसे अच्छा विकल्प यह है कि समाज और राष्ट्र की व्यवस्था नैतिकता और चरित्रधर्म से प्रभावित हो, उनमें आने वाली विकृतियों और उच्छृंखलताओं पर अकुश रहे, वे मानव के लिए दमनकारी और शोषणकारी न बनें।

७. राजनीति का धर्म

आचार्य भिक्षु ने दो सौ वर्ष पूर्व कहा था—धर्म, समाज और राज्य की नीति का मिश्रण नहीं होना चाहिए। उस समय किसने सोचा था—धर्म और राजनीति को अलग करने के लिए संसद में सरकार द्वारा विधेयक लाया जायेगा। सरकार को धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, यह निर्विवाद सत्य है। धर्म को राज्य के मामले में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, इस सचार्ई को भी हमें स्वीकार करना चाहिए। जब से धर्म गौण हुआ है और सम्प्रदाय मुख्य बना है, उसी क्षण से धर्म राज्य के लिए एक समस्या बन गया। यदि धर्म प्रधान होता और सम्प्रदाय गौण होता तो धर्म और राजनीति को अलग करने वाला विधेयक संसद की दहलीज पर खड़ा नहीं होता।

क्या धर्म जरूरी नहीं है ?

आज से पैंतालीस वर्ष पूर्व आचार्य श्री तुलसी ने गीत रचा था, जिसकी एक पंक्ति है—

राजनीति से पृथक् सदा है, द्वेष राग से धर्म जुदा है।

एक जिज्ञासा का स्वर उभरा—क्या राजनीति के लिए धर्म जरूरी नहीं है ? इस प्रश्न का विभज्यवादी शैली से उत्तर दिया गया। राजनीति के लिए धर्म जरूरी भी है और नहीं भी है। यदि धर्म है तो वह राजनीति में आने वाली रागात्मक और द्वेषात्मक विकृतियों को दूर करने के लिए बहुत जरूरी है। यदि सम्प्रदाय है तो वह राजनीति के लिए जरूरी नहीं है। सांप्रदायिक दृष्टिकोण ने कितने युद्ध लड़ाए और कितना नरसंहार किया, इसका साक्षी है दो-ढाई हजार वर्ष का इतिहास।

धर्म के दो रूप

बुद्धिवाद की ओर से धर्म पर आने वाला एक आरोप है—धर्म ने मनुष्यजाति को विभक्त किया है, समरांगण में उतारा है और भूमि को रक्तरजित किया है। इस आरोप के यथार्थ को

झुठलाया नहीं जा सकता तो इसे पूर्ण सत्य भी नहीं कहा जा सकता ।
धर्म के दो रूप हैं—

१. आध्यात्मिक अथवा चरित्र धर्म ।

२. सस्थागत धर्म ।

आध्यात्मिक धर्म उक्त आरोप से सर्वथा मुक्त है । उसने विश्वमैत्री का शखनाद किया और 'वसुधैव कुटुम्बकम्' के घोष को विश्वव्यापी बनाया । सस्थागत अथवा सगठनात्मक धर्म ने सघर्ष और युद्ध को समय-समय पर निमंत्रित किया । वह धर्म राज्यसत्ता पर अपना अधिकार जमाता रहा । उसने राज्यसत्ता को आत्मसात् कर लिया, फलतः न धर्म विशुद्ध रहा और न राजनीति विशुद्ध रही । धर्म पर विचार करते समय उसके इन दोनों रूपों को सामने रखना अपेक्षित है । इसके बिना हम न धर्म के साथ न्याय कर सकते हैं और न राजनीति के साथ ।

कर्णधार नहीं

राष्ट्र संचालन के लिए राजनीति का बहुत मूल्य है, तो पवित्र राष्ट्रीय वातावरण के लिए धर्म बहुत मूल्यवान् है । सस्थागत धर्म ने इन दोनों मूल्यों की उपेक्षा की है । राज्य की सत्ता एक धर्मगुरु के हाथ में होती है तो अहिंसा के आसन पर हिंसा और सत्य के सिंहासन पर झूठ आसीन हुए बिना नहीं रहता । आध्यात्मिक सन्त राजनीति या राज्य के लिए पथ-दर्शक हो सकता है किन्तु उसे राज्य की व्यवस्था का कर्णधार नहीं होना चाहिए ।

गांधी ने कहा—'जो मनुष्य यह कहता है—धर्म का राजनीति के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है, वह धर्म को नहीं जानता, ऐसा कहने में मुझे संकोच नहीं होता और न ऐसा कहने में मैं अविनय करता हूँ।' गांधी के इस सिद्धांत पर सापेक्षदृष्टि से विचार करना आवश्यक है । धर्म का राजनीति के साथ सम्बन्ध है, किन्तु दोनों एक नहीं हैं । राजनीति राष्ट्र की व्यवस्था करने के लिए है । धर्म का नैतिक पक्ष व्यवस्था के विशुद्धीकरण के लिए है । राजनीति को धर्म के नैतिक अथवा चरित्र पक्ष से प्रभावित होना चाहिए । यह राजनीति और धर्म के सम्बन्ध का अतर्कणीय पहलू है । राजनीति को धर्म के उपासना पक्ष अथवा सांप्रदायिक पक्ष से अलग रहना चाहिए, वह किसी सम्प्रदाय से संचालित नहीं होनी चाहिए । यह

राजनीति और धर्म के सम्बन्ध को नकारने वाला पहलू है ।

धर्म का राजनीति के साथ सम्बन्ध है भी और नहीं भी, यह अनेकात दृष्टिकोण ही राजनीति और धर्म के सम्बन्ध की समस्या का समाधान हो सकता है ।

राजनीति और धर्म को दो दिशा में ले जाने वाले भी न्याय नहीं कर रहे हैं, तो धर्म और राजनीति को एक सिंहासन पर बिठाने वाले भी न्याय नहीं कर रहे हैं । न्याय का कर्णधार वही बन सकता है, जो दोनों के सम्बन्ध और विसम्बन्ध की सीमा को जानता है ।

राजनीति के लिए कोई धर्म निर्धारित नहीं है, इसलिए 'यह राजनीति का धर्म है', ऐसा अगुलि-निर्देश नहीं किया जा सकता । महात्मा गांधी ने कहा—'अहिंसा और सत्य राजनीति का आधार होना चाहिए ।' उन्होंने लिखा—'हमें सत्य और अहिंसा को केवल व्यक्तिगत आचरण का विषय नहीं, बल्कि समूहों, समाजों और राष्ट्रों के व्यवहार की चीज भी बनाना होगा । कम से कम मेरा स्वप्न तो यही है । अहिंसा आत्मा का गुण है और जीवन की हरेक चीज में सभी को उसका पालन करना चाहिए ।'

उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में असहयोग, सविनय अवज्ञा आदि अनेक प्रयोग भी दिए किन्तु वर्तमान की अपेक्षा है—राजनीति के धर्म की एक आचार-सहिता निर्मित की जाए । इस अपेक्षा की पूर्ति अणुव्रत की आचार-सहिता से की जा सकती है । अणुव्रत धर्म है किन्तु किसी सम्प्रदाय से जुड़ा हुआ नहीं है । वह असांप्रदायिक धर्म है, इसलिए उसकी आचार-सहिता राजनीति के धर्म के रूप में स्वीकृत हो सकती है । एक कोण से देखें तो यह नैतिकता की आचार-सहिता है, दूसरे कोण से देखें तो राजनीति के धर्म की आचार-सहिता है—

अणुव्रत की आचार-सहिता

१. मैं किसी भी निरपराध प्राणी का संकल्पपूर्वक वध नहीं करूंगा ।
२. मैं आक्रमण नहीं करूंगा ।
 - ० आक्रामक नीति का समर्थन नहीं करूंगा ।

- ० विश्व-शांति तथा निःशस्त्रीकरण के लिए प्रयत्न करूंगा ।
- ३ मैं हिंसात्मक एवं तोड़फोड़-भूलक प्रवृत्तियों में भाग नहीं लूंगा ।
- ४. मैं मानवीय एकता में विश्वास करूंगा ।
 - ० जाति, रंग आदि के आधार पर किसी को ऊँच-नीच नहीं मानूंगा ।
 - ० अस्पृश्य नहीं मानूंगा ।
- ५ मैं धार्मिक सहिष्णुता रखूंगा ।
 - ० सांप्रदायिक उत्तेजना नहीं फैलाऊंगा ।
- ६. मैं व्यवसाय और व्यवहार में प्रामाणिक रहूंगा ।
 - ० अपने लाभ के लिए दूसरे को हानि नहीं पहुंचाऊंगा ।
 - ० छलनापूर्ण व्यवहार नहीं करूंगा ।
 - ० मैं इन्द्रिय-सयम की साधना करूंगा ।
- ७. मैं संग्रह अथवा व्यक्तिगत स्वामित्व की सीमा का निर्धारण करूंगा ।
- ८ मैं चुनाव के सम्बन्ध में अनैतिक आचरण नहीं करूंगा ।
 - ० मैं प्रलोभन और भय से मत प्राप्त नहीं करूंगा ।
 - ० मैं प्रतिपक्षी प्रत्याशी का चरित्र-हनन नहीं करूंगा ।
 - ० मैं मतदान और मतगणना के समय अवैध तरीकों को काम में नहीं लूंगा ।
- ९ मैं सामाजिक कुरूपियों को प्रश्रय नहीं दूंगा ।
- १०. मैं व्यसन-मुक्त जीवन जीऊंगा ।
 - ० मादक तथा नशीले पदार्थों—शराब, गाजा, चरस, हेरोइन, भाग, तम्बाकू आदि का सेवन नहीं करूंगा ।
- ११ मैं पर्यावरण की समस्या के प्रति जागरूक रहूंगा ।
 - ० हरे-भरे वृक्ष नहीं काटूंगा ।
 - ० पानी का अपव्यय नहीं करूंगा ।

किसी सम्प्रदाय की अवधारणा से राष्ट्र को शासित करना जितना खतरनाक है, उतना ही खतरनाक है धर्मविहीन राजनीति से राष्ट्र को संचालित करना । इसलिए राजनीति के धर्म पर अवश्य चिन्तन होना चाहिए ।

द. धर्म-निरपेक्ष राज्य का धर्म

धर्म-निरपेक्ष राज्य की कल्पना

हम इस बात पर ध्यान दें—धर्म-निरपेक्ष राज्य की कल्पना क्या है ? अणुन्नत का धर्म-निरपेक्ष राज्य के साथ गहरा आत्म-संबंध है। धर्म-निरपेक्ष राज्य के मूल सिद्धांत दो हैं। पहला है—धर्म आंतरिक विश्वास की वस्तु है। यह बाह्य शक्ति या दण्ड-शक्ति का विषय नहीं है। यह प्रत्येक व्यक्ति की आंतरिक चेतना का विश्वास है। दूसरा है—धर्म और राजनीति के पार्थक्य में विश्वास।

ये दो सिद्धांत क्यों विकसित हुए, इसकी भी हम मीमासा करें। इतिहास का सदर्थ लें। एक समय था, जब राज-धर्म चलता था। जो राजा का धर्म होता, वह सभी को पालना होता था। जहां राज-धर्म की स्वीकृति है, वहां धार्मिक स्वतंत्रता पर कुठाराघात अवश्यभावी है, उस समय कोई भी व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता से धर्म का पालन नहीं कर सकता था। इतिहास का एक पृष्ठ है—राजा ने यह घोषणा करवा दी—मेरे राज्य में दूसरे धर्म का कोई व्यक्ति नहीं रह सकता। यह जो बलात् धर्म-परिवर्तन की बात थी या राज्य के साथ धर्म को जोड़ने की प्रवृत्ति थी, उसमें राजनीति और धर्म—दो नहीं रह गए थे। धर्म व्यक्ति की स्वतंत्रता का विषय नहीं रहा, वह राज्य के अधीन हो गया। लंबे समय तक यह स्थिति चली। धर्म के नाम पर न जाने कितने-कितने अनर्थ हुए, हजारों-लाखों आदमी धर्म परिवर्तन के नाम पर कत्ल कर दिए गये। यह एक चक्र चलता रहा, जिसका औचित्य समझ से परे है।

व्यक्तिगत स्वतंत्रता का प्रश्न

वस्तुतः धर्म राज्य से ऊपर की बात है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता से जुड़ा प्रश्न है। उस धर्म को जब राज्य के साथ जोड़ने की स्थितियां बने तो अधरे के सिवाय और क्या हो सकता है ? जहां

धर्म और राजनीति—दोनों एकमेक हो जाते हैं, वहाँ उजला दिन आता ही नहीं है। धर्म-निरपेक्ष राज्य को ही दिन का उजला प्रकाश मिलता है।

यह कितना महत्त्वपूर्ण सूत्र है—धर्म और राजनीति के पार्थक्य में विश्वास। हमने इस बात को स्वीकार किया—धर्म और राजनीति का गठबधन नहीं होना चाहिए। जहाँ भी धर्म के साथ राजनीति जुड़ती है, वहाँ मानवीय स्वतंत्रता का हनन हुए बिना नहीं रह सकता। वहाँ धार्मिक परतंत्रता की त्रासदी भोगनी होगी, धर्म-परिवर्तन का कुचक्र चलेगा और धर्म के नाम पर हिंसा का दौर भी चलेगा।

इस वैज्ञानिक युग में हम स्वतंत्रता की बात करते हैं। आज का समाज-विज्ञान प्रत्येक व्यक्ति की स्वतंत्रता को स्वीकार कर रहा है। लोकतंत्र स्वतंत्रता का पक्षधर बना हुआ है। इस स्थिति में धर्म और राजनीति—दोनों को एक करने की बात समझ में नहीं आती। धर्म-निरपेक्ष राज्य शब्द भ्रामक अवश्य है, पर उसके जो सिद्धांत हैं, वे बहुत उपादेय हैं।

मूल हृदय

धर्म-निरपेक्ष राज्य का मूल हृदय है—राज्य धर्म के मामले में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करेगा। वह किसी धर्म को मान्यता नहीं देगा, सब धर्मों के साथ समान व्यवहार करेगा, किसी धर्म के साथ भेदभाव नहीं बरतेगा। वह राज्य के संचालन में सामाजिक विकास का ध्यान रखेगा। भौतिक ससाधनों का विकास कैसे हो सकता है? जनता की पीड़ा को कम कैसे किया जा सकता है? इन विषयों की चिंता करेगा, जब तक कि कोई धर्म समाज विकास में बाधा न पहुंचाए। प्रत्येक व्यक्ति को धर्म की पूरी स्वतंत्रता है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी कौंसी भी उपासना करे, सरकार की ओर से उस पर कोई प्रतिबन्ध नहीं है। यह है धर्म-निरपेक्ष राज्य की परिकल्पना।

क्या है राज्य का धर्म

प्रश्न उभरा—राज्य का कोई धर्म नहीं है। इस स्थिति में क्या धर्म के बिना राज्य ठीक चलेगा? क्या राज्य का कोई धर्म नहीं होना चाहिए? यह एक समस्या भी है। राज्य के जो मूल

कूटस्थनित्यवाद को स्वीकार करता है। दर्शन की भिन्नता होने पर भी जहाँ आचार का प्रश्न है, वहाँ सभी दर्शन कहेंगे—किसी को सताओ मत, मारो मत। अणुव्रत के पीछे किसी दर्शन को नहीं जोड़ा गया। उसके पीछे न नित्यानित्यवाद को जोड़ा गया, न क्षणिकवाद और कूटस्थनित्यवाद को जोड़ा गया, न ब्रह्मवाद और प्रकृतिवाद को जोड़ा गया, न ईश्वरवाद और निर्वाणवाद को जोड़ा गया। आचार के जो मूल बिन्दु हैं, जो मानव को मानव बनाए रखते हैं, मानवता के धरातल को अक्षुण्ण बनाए रखते हैं, मानव-चरित्र को उन्नत बनाते हैं, उन सकल्पों की व्यवस्था या आचार-संहिता अणुव्रत है, इसीलिए यह एक व्यापक और सार्वभौम धर्म है।

आचारशुद्धि का प्रकल्प

भगवान् महावीर ने कहा—ऐसा व्यक्ति, जिसने कभी धर्म को नहीं सुना है, वह भी धर्म का अधिकारी बन सकता है। जैन दर्शन में 'असोच्चा केवली' का निदर्शन मिलता है। जिस व्यक्ति ने कभी धर्म को नहीं सुना, वह अपनी आंतरिक विशुद्धि की प्रखरता से कैवल्य को उपलब्ध हो सकता है। अणुव्रत एक ऐसा धर्म है, जो आंतरिक विशुद्धि और आचार-शुद्धि का प्रकल्प है। यदि इसका ठीक मूल्यांकन किया जाए तो एक नई क्रांति हो सकती है। धर्म-निरपेक्ष राज्य का स्वरूप एवं अवधारणा अणुव्रत जैसे सार्वभौम धर्म के लिए ऊर्वरा भूमि है, इस सच्चाई की स्वीकृति धर्म-निरपेक्ष राज्य के सदर्थ में उभरने वाली समस्याओं का समाधान बन सकती है।

९. राष्ट्र की अपेक्षा

भारतीय राजनीति में महामात्य चाणक्य का स्थान बहुत महत्त्वपूर्ण रहा है। उन्होंने पूरे राज्य का संचालन किया पर जीवन एक संन्यासी की तरह जीया। मुद्राराक्षस ग्रन्थ में उनका जो वर्णन है, वह हृदयवेधी और मार्मिक है—

उपलशकलमेतव् भेदकं गोमयाना,
वट्टुमिरुपहृतानां वहिषां स्तोम एष ।
शरणमपि समिद्भिः शूष्यमाणाभिराभि-
रुपनतपटलानां वृश्यते जीर्णकुड्यम् ॥

तब और अब

चाणक्य एक कुटिया में रहता था। वहाँ कुछ उपले पड़े थे। कुछ पत्थर पड़े थे। कुछ खाने का सामान पड़ा था। इतनी साधारण कुटिया, इतने सामान्य उपकरण, जिन्हे देखकर यह कल्पना नहीं की जा सकती थी कि इस कुटिया में रहने वाला किसी राज्य का सर्वोसर्वा है, संचालक है। एक दिन एक विदेशी व्यक्ति चाणक्य की उस कुटिया में आया। उस समय कुटिया में दीया जल रहा था। विदेशी से बातचीत शुरू हुई। महामात्य उठे। उन्होंने उस दीये को बुझाकर नया दीया जला दिया। विस्मित विदेशी ने पूछा—महामात्यवर ! आपने यह क्या किया ? जब दीया ही जलाना था, तो पहले वाला बुझाया क्यों ? चाणक्य ने कहा—महाशय ! इतने देर मैं अपना काम कर रहा था इसलिए मेरे घर का दीया जल रहा था। अब मैं सरकारी काम कर रहा हूँ इसलिए सरकारी दीया जल रहा है। विदेशी यह सुनकर अवाक् रह गया।

आज क्या स्थिति है ? केवल सरकारी अधिकारियों द्वारा किए जाने वाले फोन के विल देखें। लाखों-लाखों रूपयों के विल हैं। शायद उनका पूरा भुगतान भी नहीं हो पाता। बहुत बार प्रश्न होता है—इतना बजट क्यों ? इतनी फिजूलखर्ची क्यों ? आज सरकारी

कर्मचारी अपने निजी कार्यों के लिए सरकारी ससाधनो का कितना उपयोग करते हैं । यह दुरुपयोग एक समस्या बनी हुई है । एक वह प्रामाणिकता थी और एक आज की स्थिति है । तब और अब मे कितना अन्तर है ?

दिल बदल गया

राज्य मे भयकर अकाल था । सर्दी का मौसम आया । चाणक्य की कुटिया के बाहर नए कबलो का ढेर लगा था । गरीबो को वाटने के लिए कबल आए थे । एक चोर वहा चोरी करने पहुच गया । नए कबलो को देख कर उसका मन ललचा गया । वह एक क्षण के लिए भ्रोपडी मे भ्रका । उसने देखा—महामात्य चाणक्य एक पुराना-सा कबल ओढे हुए है । चोर ने सोचा—बाहर इतने नये और भव्य कबल पडे है पर महामात्य फटा-पुराना कबल ओढे हुये हैं । उसका दिल बदल गया । उसने चुराने का विचार त्याग दिया और बिना कबल उठाये लौट पडा ।

यह ऐसा वर्णन है, जो आज विश्वसनीय नही लगता । व्यक्ति सोच सकता है—क्या ऐसा हो सकता है ? क्या यह सभव है ? भैरोसिंह शेखावत कहते हैं—मैंने पहला चुनाव सत्तावन रुपये मे लडा । क्या सत्तावन रुपये मे चुनाव लडा जा सकता है ? यदि आज शेखावत यह बात कहते तो शायद कोई विश्वास नही करता । वस्तुत कुछ वाते बडी अविश्वसनीय होती हैं, जिन पर भरोसा नही किया जा सकता । क्या ऐसा हो सकता है, यह प्रश्न सशय के घेरे से मुक्त नही हो पाता ।

भ्रष्टाचार की जड़

महामात्य कौटिल्य ने कहा—अर्थमेव प्रधानमिति कौटिल्य । काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष— इन चार पुरुषार्थों का वर्णन करते हुये कौटिल्य ने लिखा—कुछ लोग धर्म को प्रधान मानते हैं, कुछ काम को प्रधान मानते हैं । अर्थ ही प्रधान है—यह मेरा मत है । आज सचमुच पूरे समाज का वातावरण अर्थ मे प्रभावित है । राजनीति भी समाज का अग है, उसमे अलग नही है । सब अर्थ के चक्रव्यूह मे फसे हुये है । अर्थ की प्रधानता है किन्तु यह मूल समस्या नही है । जो मूल समस्या है, उस ओर हमारा ध्यान कम जा रहा है । आज भ्रष्टाचार की समस्या से पूरा देश आंदोलित है । राजनीति,

व्यवसाय, उद्योग -चारो ओर भ्रष्टाचार फैला हुआ है किन्तु मुझे लगता है यह भी मूल समस्या नहीं है। मूल समस्या है सुविधावादी दृष्टिकोण। अनेक विदेशी आक्रमण हुये, हमारी सस्कृति को नष्ट करने के प्रयास किये गये पर वे किसी भी माध्यम से भारतीय सस्कृति को आघात नहीं पहुँचा सके, किन्तु आज के वैज्ञानिक युग में बड़ी-बड़ी कपनियो ने, बहु-उद्देशीय, बहुराष्ट्रीय कपनियो ने सुविधा के अधिकतम साधन उपलब्ध कराकर चेतना को जिस प्रकार सुलाया है, शायद इससे पहले कोई नहीं सुला सका। इतनी सुविधा की दृष्टि बन गई है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। कोई भी मंत्री बनेगा तो वह क्या करेगा? समाज का हर व्यक्ति अच्छी सुविधा भोग रहा है, तो वह उससे कैसे बच पायेगा? यही सुविधावाद भ्रष्टाचार की समस्या की जड़ है।

यही समस्या है

पारसभाई जैन, अणुव्रत समिति के अध्यक्ष थे। एक दिन वे अपने मित्र से मिलने गये। वे पहले मंत्री थे फिर मंत्री पद से मुक्त कर दिये गये। पारसभाई को देखते ही वे रोने लग गये। पारसभाई ने कहा—क्या बात है? आप इतने बड़े आदमी हैं। आपने इतना काम किया है। आप क्यों रो रहे हैं? मित्र ने कहा—पारसभाई! और कोई बात नहीं है। मेरा लडका सुवह-सुवह गाड़ी में बैठकर कॉलेज जाता था, मेरी लडकी भी गाड़ी में ही जाती थी। मेरे पास कितने लोग आते-जाते रहते थे। आज मैं मंत्री नहीं रहा। गाड़ी छिन गई। मेरे लडके किस गाड़ी में जाए? यदि मैं किसी रिक्शे या तागे में उन्हें भेजू तो अच्छा नहीं लगेगा। न कोई पूछने आता है और न कोई मिलने आता है। पारसभाई! यही समस्या मुझे रला देती है।

मूल समस्या है सुविधावादी दृष्टिकोण

मूल समस्या है यह सुविधावादी दृष्टिकोण। भगवान् महावीर ने सबसे ज्यादा इसी पर प्रहार किया। प्रश्न हुआ—दुर्गति किसकी होती है? महावीर ने कहा—जो व्यक्ति सुख और सुविधा के लिये आकुल रहता है, जो प्रिय नवेदन के लिये व्याकुल रहता है, जो ज्यादा सोता है, आरामतलवी का जीवन जीता है, उसे मुगति दुर्लभ होती है—

सुहसायगस्स समणस्स, सायाउल्लगस्स निगामसायिस्स ।

उच्छोलणा पहोइस्स, दुल्लहा सुग्गई तारिसगस्स ॥

जिस व्यक्ति का दृष्टिकोण सुख-सुविधा और आराम का बन गया, उसे अधिकतम सुख-सुविधा और आराम चाहिये । ऐसे व्यक्ति की चेतना सो जाती है । जो त्याग की उदात्त भावना और चेतना भारतीय मानस में थी उस भावना को इस सुविधावाद ने नष्ट कर दिया । यदि हम सहिष्णुता की भावना को बढ़ाए, सुविधावादी दृष्टिकोण को कम करें तो संभव है जो भ्रष्टाचार या अर्थ का अनाचार है, उसमें भी परिवर्तन आये ।

त्याग की शक्ति बढ़े

दिल्ली में मैत्री दिवस का आयोजन था । उसका उद्घाटन करते हुये राष्ट्रपति राजेन्द्रप्रसाद ने कहा—आचार्यश्री ! आप मुझे कोई पद देना चाहें तो मैं अणुव्रत के समर्थक का पद लेना चाहूंगा । आचार्यश्री ने तत्काल कहा— राजेन्द्र बाबू ! मैं आपको यह पद देना नहीं चाहता । मैं चाहता हूँ आप अणुव्रती का पद लें, न कि अणुव्रत के समर्थक का । भारत का राष्ट्रपति अणुव्रती होगा तो त्याग की परम्परा राजनीति में आगे बढ़ेगी ।

महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह है—त्याग की शक्ति कैसे बढ़े ? त्याग की चेतना कैसे जागे ? जो भोगवाद, सुविधावादी दृष्टिकोण और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, वह कम कैसे हो ?

राष्ट्र की अपेक्षा

समाचार पत्र में पढा धर्म को राजनीति से अलग करने वाला विधेयक लाया जा रहा है । कितना अच्छा होता, इसके स्थान पर राजनीति में धन को अलग करने का विधेयक लाया जाता । इसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं करना पड़ता, केवल रकार को हटाना पड़ता और मकार का नकार हो जाता । यदि ऐसा विधेयक आता तो पूरे देश का वातावरण बदलता, विश्व का वातावरण बदलता, भ्रष्टाचार के उन्मूलन के सकल्प को बल मिलता ।

आज सचमुच पुनर्विचार की जरूरत है । विचार के लिये त्यागी, तपस्वी चाहिये, सूक्ष्म-बुद्धि अन्तर्दृष्टि और काम करने की गहरी क्षमता से सम्पन्न व्यक्तित्व चाहिये । त्याग और प्रतिभा—

दोनों मिलकर कुछ करें, यह आज के लोकतन्त्र के लिए आवश्यक है। लोकतन्त्र शुद्ध और पवित्र रह सके, ऐसे वातावरण की नितांत अपेक्षा है। त्याग, नैतिकता, प्रामाणिकता को शक्ति को राजनीति से अलग कर दिया गया, तो क्या बचेगा? आज सचमुच एक अपेक्षा है - त्याग की शक्ति के द्वारा वातावरण को बदलने में शक्ति लगे, उसमें अणुव्रत और आचार्य तुलसी का योग हो। इससे लोकतन्त्र के विशुद्धिकरण की सम्भावना प्रबल हो पायेगी। आज राष्ट्र की यही अपेक्षा है। इस अपेक्षा की अनुभूति लोकतन्त्र की पवित्रता का सबल आश्वासन है।

१०. समस्या का मूल : गरीबी या चारित्रिक-पतन

गरीबी की समस्या बड़ी है या अपराध की ? विचार की एक तरंग उठी—गरीबी की समस्या बड़ी है। इसलिए कि वह अपराध को जन्म देती है। दूसरी तरंग ने पहली तरंग का प्रतिवाद किया—अपराध की जड़ गरीबी में नहीं है, वह आसक्ति में है।

आवश्यकता और आसक्ति

आवश्यकता और आसक्ति के मध्य भेदरेखा खीचना नहीं जानते इसलिए हर बार अपराध गरीबी का मुखौटा पहन कर हमारे सामने आता है। प्रत्येक समझदार व्यक्ति गरीबी को मिटाने की चिन्ता करता है, आसक्ति की ओर उसका ध्यान नहीं जाता। आसक्ति जल में काँई की भाँति तैरती रहती है। गरीबी और अपराध—दोनों नगर की परिक्रमा करते हैं।

दैहिक आवश्यकता

आसक्ति ने आवश्यकता के क्षेत्र को विस्तृत बना दिया। ऐसे बहुत कम लोग हैं, जो केवल आवश्यकता की पूर्ति के लिए कुछ करते हैं। वे प्रवृत्ति करते हैं, आसक्ति के खप्पर को भरने के लिए। वह कभी भरा नहीं जाता। इस अपूर्णता की वेदी पर अपराध जन्म लेते हैं।

रोटी, पानी, कपडा और मकान—यह दैहिक आवश्यकता का वर्ग है। यह आवश्यकता वास्तविक होती है।

काल्पनिक आवश्यकता

काल्पनिक आवश्यकता का सम्बन्ध मनोजगत् से है। वह वास्तविक नहीं होती। उसकी जीवन के लिए अनिवार्यता नहीं है। नशे की प्रवृत्ति काल्पनिक आवश्यकता है, जो आज की भीषणतम समस्या है और गरीबी का मुख्य हेतु है। हजारों-लाखों परिवार नशे की प्रवृत्ति के कारण अभाव की जिन्दगी जी रहे हैं। नशे की प्रवृत्ति में फसे हुए अभिभावक अपने बच्चों की पढाई की व्यवस्था नहीं कर पाते। वे चिक्किन्मा और रोटी की व्यवस्था करने में भी असफल

रहते हैं। प्रसाधन सामग्री के प्रति भी बढ़ा हुआ आकर्षण काल्पनिक आवश्यकता के वर्ग का है। यह भी वास्तविक आवश्यकता की पूर्ति में बाधक बनता है।

आकांक्षा का वर्ग

तीसरा वर्ग आकांक्षा का है। उसका संबंध इन्द्रिय-जगत् से है। पांच इन्द्रियों के पांच विषय हैं शब्द, रूप, गंध, रस और स्पर्श। इन्द्रिय की प्रेरणा से आकांक्षा उत्पन्न होती है और उसकी पूर्ति के लिए मनुष्य प्रयत्न करता है। इस वैज्ञानिक युग ने आकांक्षा-पूर्ति की साधन-सामग्री अतिमात्रा में उपलब्ध कराई है। उसका परिणाम यह हुआ कि आकांक्षा की पूर्ति ने अब घोर अतृप्ति का रूप ले लिया है। आज का विद्यार्थी वर्ग टी. वी. देखने में जितना रस लेता है, उतना पढ़ाई में नहीं लेता। आज के बाजार जीवन की अतृप्ति बढ़ाने के लिए उतनी सामग्री बेच रहे हैं, जितनी शरीर के लिए आवश्यक नहीं है। इस आकांक्षा के वर्ग का भी परोक्षतः गरीबी को बढ़ाने में हाथ है।

आसक्ति का वर्ग

आसक्ति का वर्ग भाव-जगत् के स्तर पर कार्य करता है। मनुष्येतर सभी प्राणी ज्ञान की अपेक्षा भाव के स्तर पर अधिक जीते हैं। मनुष्य में शेष सब प्राणियों की अपेक्षा ज्ञान अधिक विकसित है, फिर भी उसका आचरण और व्यवहार ज्ञान से उतना प्रभावित नहीं होता, जितना भाव-चेतना से प्रभावित होता है। आसक्ति का प्रभाव बहुत अधिक है। उसके साम्राज्य में यथार्थ की आवश्यकता पर्दे के पीछे चली जाती है। काल्पनिक आवश्यकता को खुलकर खेलने का मौका मिलता है। इस समस्या में सामाजिक प्रतिष्ठा के मूल्य और मानदण्ड सामने आते हैं। अमुक व्यक्ति दुनिया का सबसे बड़ा धनी है, उसके पास दस हजार करोड़ डॉलर धन है। अमुक आदमी के पास आठ हजार करोड़ डॉलर की पूंजी है। ये प्रतिष्ठा-सूचक अक गरीबी को वैसे पालते हैं, जैसे मा प्यार और दुलार के साथ प्रिय पुत्र को। इस आसक्ति से जन्म लेने वाले संग्रह को न कोई राज्यसत्ता रोक पा रही है और न कोई अर्थशास्त्रीय नियम उसे नियंत्रित कर पा रहा है। उसे नियंत्रित करने वाली एक ही सत्ता है अथवा एक ही नियम है, वह है अतीन्द्रिय-चेतना के स्तर पर

उत्पन्न होने वाली अनासक्ति ।

परिभाषा का आधार

आसक्ति के एकछत्र साम्राज्य में गरीबी की समस्या का समाधान हो सके, यह कठिन है । यदि उत्पादन सामग्री की बहुलता के कारण वह हो जाए तो अपराध, आत्महत्या, परहत्या, मानसिक तनाव, मादक वस्तुओं के सेवन की अधिकतम प्रवृत्ति, तस्करी के द्वारा अधिकतम उपार्जन की मनोवृत्ति—इनकी बाढ़ को रोकना संभव नहीं है । आर्थिक संपन्नता के आधार पर विकसित कहलाने वाले राष्ट्र इस त्रासदी को भोग रहे हैं । जब तक विकसित राष्ट्र और विकसित समाज की परिभाषा आर्थिक संपन्नता और साधन-सामग्री की प्रचुरता के आधार पर होगी, तब तक गरीबी की समस्या का निदान संभव नहीं है । वह समाज और राष्ट्र विकसित है, जिसका चरित्र बल उन्नत है । इस परिभाषा में समस्या का समाधान छिपा हुआ है ।

गरीबी दृश्य समस्या है । उसकी पृष्ठभूमि में अदृश्य समस्या है चरित्र का पतन । चरित्र का पतन और आसक्ति की प्रबलता—दोनों का तात्पर्यार्थ भिन्न नहीं है । चारित्रिक विकास के लिए अनासक्ति का प्रशिक्षण जरूरी है और गरीबी की समस्या को सुलभाने के लिए चारित्रिक विकास जरूरी है । प्रतीक्षा है किसी आध्यात्मिक नेतृत्व की, जो इस समस्या को सुलभा सके ।

११. भारत की गरीबी के लिए कौन जिम्मेदार ?

गुजराती मे लिखा हुआ गुणवत शाह का एक लेख पढा । शीर्षक था—भारत की गरीबी के लिए बुद्ध, महावीर और शंकराचार्य जवाबदार हैं । यदि अनेकात का दर्शन मेरे सामने नही होता तो मेरी तात्कालिक प्रतिक्रिया होती कि लेख असत्य का पुलिदा है । अनेकात से मिला है हर विचार मे सत्याश खोजने का दृष्टिकोण । लेख का प्रतिपाद्य है—बुद्ध, महावीर और शंकराचार्य । इन तीनों के जीवन-दर्शन का फलित है—जीवन का नकार (नेगेशन ऑफ लाइफ) ।

जीवन के दो पक्ष

जीवन के दो पक्ष हैं—सकारात्मक और नकारात्मक । काम और अर्थ—यह जीवन का सकारात्मक पक्ष है । धर्म और मोक्ष—यह जीवन का नकारात्मक पक्ष है । सकारात्मक पक्ष और नकारात्मक पक्ष -दोनों मिलकर जीवन को परिपूर्ण बनाते हैं ।

भौतिक विकास के लिए काम और अर्थ जरूरी है । भौतिक विकास के साथ आने वाली विकृतियों को दूर करने के लिए धर्म और मोक्ष की अवधारणा जरूरी है । गुणवत शाह के तर्क मे सत्याश नही है, यह नही कहा जा सकता । धार्मिक जगत् में समाज और धर्म की भूमिका का भेद स्पष्ट नही है । धार्मिक लोग समाज की भूमिका मे सामाजिक कर्तव्य को नकार रहे हैं । गरीबी की व्याख्या धर्म के आधार पर कर रहे हैं । जिसने बहुत धर्म किया, वह अमीर बन गया । जिसने बहुत अधर्म किया वह गरीब बन गया । अमीरी और गरीबी का सबध धर्म से जुड़ा हुआ है । इसमे समाज-व्यवस्था का कोई योग नही है । इस मिथ्या धारणा ने एक चिन्तक को यह सोचने के लिए विवश किया है कि धर्म गरीब को गरीबी भोगने के लिए प्रोत्साहन दे रहा है, गरीबी को मिटाने की दिशा में बढ़ते कदमों को कुठित कर रहा है ।

धर्म प्रतिपादन का उद्देश्य

बुद्ध, महावीर और शंकराचार्य भारत की गरीबी के लिए

उत्तरदायी हैं। इस प्रतिपादन में सत्याश है। बुद्ध ने धर्म का प्रतिपादन निर्वाण के लिए, महावीर ने धर्म का प्रतिपादन मोक्ष के लिए और शंकराचार्य ने धर्म का प्रतिपादन ब्रह्म में लीन होने के लिए किया था। इन तीनों प्रवचनों का सामाजिक भूमिका से प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। इनका सीधा संबंध आत्मा की परम अवस्था से है। यदि इनका संबंध समाज की भूमिका से होता तो इनके अनुयायियों की स्थिति असामाजिक होती और आर्थिक स्थिति सर्वाधिक कमजोर होती, किंतु प्रत्यक्ष दर्शन इसके विपरीत है।

समाज : वर्तमान स्थिति

बौद्ध धर्म का अनुयायी देश जापान आज आर्थिक दृष्टि से विश्व का प्रथम पक्ति वाला देश है। जापान ने छठी शताब्दी में बौद्ध धर्म स्वीकार किया था। जापान के औद्योगिक चमत्कार पर बौद्ध धर्म का प्रभाव स्पष्ट रूप में स्वीकार किया जा रहा है। हडताल, घेराव, तालाबंदी आदि आज की औद्योगिक सभ्यता के प्रतीक बने हुए हैं। इस स्थिति में जापान की औद्योगिक शांति सबके लिए आश्चर्य का विषय बनी हुई है। जापानी चरित्र में सामंजस्य का आधार बौद्ध धर्म को माना जा रहा है। आज भी जापानी व्यक्ति अपने पुरुषार्थ के सामने ईश्वर का खड़ा होना पसंद नहीं करते। ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती, इसके विपरीत उन्होंने पुरुषार्थ के बिना एक पत्ती भी नहीं हिलती, के चरित्र का विकास किया है।

भारतीय समाज में जैन समाज सपन्नता की दृष्टि में किसी से पीछे नहीं है। इस समाज में न कोई भिखारी है, न कोई भूख से पीड़ित है और न कोई गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाला है। यदि गरीबी के लिए महावीर का दर्शन जिम्मेवार होता तो सबसे पहले जैन समाज उस गरीबी का शिकार होता। शंकराचार्य का अनुयायी वेदान्ती भी आर्थिक दृष्टि से कमजोर नहीं है।

गरीबी का कारण

सामाजिक स्थिति का अध्ययन करने पर पता चलता है— समाज में गरीबी धर्म के प्रभाव से नहीं है, किंतु समाज-धर्म का समुचित विकास न होने के कारण बढ़ी है। मोक्ष-धर्म अथवा आत्म-

धर्म समाज-धर्म का स्थान कभी नहीं ले सकता और उसे लेना भी नहीं चाहिए। समाज की व्यवस्था का संचालन समाज-धर्म के द्वारा ही हो सकता है। समाज-धर्म के अभाव में वैयक्तिक दृष्टिकोण और स्वार्थ को पनपाने का अधिक अवसर मिला। सामुदायिक दृष्टि का विकास कम हुआ या नहीं जैसा हुआ। स्वार्थ के बाद सीधी परमार्थ की चर्चा होती रही। परमार्थ का सम्बन्ध धर्म अथवा मोक्ष से है। उससे समाज व्यवस्था को प्रभावित किया जा सकता है, किन्तु संचालित नहीं किया जा सकता। स्वार्थ चेतना और परार्थ चेतना—इन दोनों का सतुलित विकास होता तो आकाश को छूने वाली अमीरी और गरीबी की रेखा से नीचे जीने को विवश करने वाली गरीबी कभी नहीं होती।

दृष्टिकोण का विपर्यय

गणाधिपति तुलसी ने बहुत वर्ष पहले कहा था—व्यक्ति को जहाँ समाजवादी बनना चाहिए, वहाँ वह व्यक्तिवादी बना हुआ है और जहाँ व्यक्तिवादी बनना चाहिए, वहाँ वह समाजवादी बना हुआ है। आर्थिक सम्पदा के क्षेत्र में दृष्टिकोण सामाजिक होना चाहिए, वहाँ वह सोलह आना व्यक्तिवादी है। वह कहता है—मुझे धन मिला है, यह मेरे पुण्य का फल है। कोई गरीबी भोग रहा है, वह उसके पाप का फल है। पूरा व्यक्तिवादी दृष्टिकोण। व्यवसाय में अनैतिक आचरण मत करो, इसका उत्तर मिलता है—सब कर रहे हैं फिर मैं अकेला कैसे बच सकता हूँ। पूरा समाजवादी अथवा समूहवादी दृष्टिकोण। इस दृष्टिकोण का विकास धर्म और समाज—दोनों के भूमिका-भेद को न समझने का परिणाम है।

अमीरी का स्रोत

धर्म ने व्यक्तिवादी दृष्टिकोण साधना के लिए दिया और निवृत्ति का सूत्र भी बुराइयों से बचने के लिए दिया। समाज की भूमिका में व्यक्तिवादी दृष्टिकोण और निवृत्तिवाद सापेक्ष हो सकता है, निरपेक्ष नहीं। धर्म की भूमिका के सूत्रों का समाज में मनमाना प्रयोग समाज के लिए समस्या का हेतु बन सकता है। भारत के मध्यकालीन समाज ने मोक्ष-धर्म का अविवेकपूर्ण प्रयोग किया इसलिए धर्म अथवा धर्म के प्रवर्तकों को गरीबी के लिए जिम्मेवार ठहराने का दृष्टिकोण बन सकता है। धन पौद्गलिक अथवा भौतिक

पदार्थ है। उसके विकास का स्रोत साधन-सामग्री और तकनीक है। जहाँ मूल्यवान् खनिज पदार्थ निकले, उस स्थान के निवासी सहज ही धनवान् बन गए। बड़े-बड़े उद्योगों ने देश या समाज को वैभव-सम्पन्न बना दिया। धन के साधन-स्रोतों का ज्ञान अथवा उनका विकास नहीं हुआ था, तब तक वहाँ के निवासी गरीबी में श्वास ले रहे थे। साधन-स्रोतों का पता चलने और विकसित होने पर उस प्रदेश के लोग अमीरी का जीवन जी रहे हैं। इसमें कोई धर्म और पाप का चमत्कार नहीं है।

मूल कारण

गरीबी का मूल धर्म की अवधारणाओं में खोजने पर समस्या का सही समाधान नहीं होगा। उसका मूल कारण अकर्मण्यता, पुरुषार्थहीनता, कम का अकीशल और साधन-सामग्री का अभाव होता है। समाज और अर्थ की दुर्व्यवस्था भी उसका एक कारण है। शराब, मादक द्रव्यों का सेवन, विलासितापूर्ण सामग्री का उपभोग, प्रदर्शन और आडंबर—ये सब व्यसन अथवा अर्द्धव्यसन गरीबी का पालन-पोषण करने वाले हैं। हम उस सत्याश को भी अस्वीकार नहीं कर सकते—धर्म की एकांगी अवधारणाओं ने भी कर्मनिष्ठा को दुर्बल बनाया है। कर्म अथवा प्रवृत्ति में आसक्ति न हो, इस सिद्धांत का उपयोग कम किया गया, कर्म के त्याग की बात पर अतिरिक्त बल दिया गया। आवश्यक है—धर्म को अनेकात के सदर्थ में समझने का प्रयत्न किया जाए, गरीबी के कारणों की भी सापेक्षदृष्टि में मीमांसा की जाए, समस्या का समाधान सरल होगा।

१२. नये मनुष्य का जन्म हो

मधुरी सचाई

नये समाज की रचना का स्वप्न बहुत मधुर है। प्रश्न है— नये समाज की रचना कौन करे ? क्या पुराना आदमी नये समाज की रचना कर पाएगा ? आदमी पुराना रहे और समाज नया बन जाए, यह संभव नहीं है। नये समाज के निर्माण के लिये नये आदमी का जन्म होना जरूरी है। समाजवाद ने नये समाज की कल्पना की, ऐसा समाज, जिसमें पदार्थ पर व्यक्ति का अधिकार न हो। कल्पना सुन्दर एवं सुखद है। समस्या यह हुई— समाज रचना की कल्पना की गई और व्यक्ति रचना की बात छोड़ दी गई। व्यक्ति और समाज—दोनों को एक साथ लिए बिना कोई बात पूरी नहीं हो सकती। किसी एक की उपेक्षा करने से कोई भी कार्य सफल नहीं होगा।

समस्या है पदार्थ की आसक्ति

हमारे सामने दो परम्परित प्रणालियाँ हैं—समाजवादी प्रणाली और लोकतंत्रीय प्रणाली। दोनों ही पदार्थनिष्ठ हैं। हमें एक ऐसी प्रणाली की जरूरत है, जो पदार्थ से परे चिन्तन करे। पदार्थ की आसक्ति ने समस्या को उलझाया है। विषमता पैदा करने में सबसे बड़ा हाथ रहा है आसक्ति और मूर्च्छा का। जितनी आसक्ति उतनी विषमता, जितनी अनासक्ति उतनी ही समता। समाजवाद ने एक दिशा दी— पदार्थ पदार्थ है, उस पर किसी व्यक्ति का एकछत्र अधिकार नहीं है। वह समाज का है तथा उसका उपयोग समाजहित में होना चाहिए। इसमें एक सीमा तक अध्यात्म की भाषा आ गई। उसमें मात्र भाषा थी किन्तु हृदय नहीं था। पदार्थ किसी का नहीं है, यह व्यवस्था कर दी गई, पर हृदय-परिवर्तन नहीं किया गया। सिद्धांत और व्यवस्था के साथ हृदय-परिवर्तन की प्रक्रिया चलनी चाहिए थी, वह नहीं चली। उसके अभाव में व्यवस्था ठप्प हो गई। इस एकांगिकता ने सारे सिद्धांत को

ही निष्प्राण बना दिया। हृदय-परिवर्तन की प्रक्रिया को आवश्यक नहीं माना गया। उसका परिणाम यह आया—जहां अनासक्ति का विकास होना था वहां सत्ता के प्रति गहरी आसक्ति का भाव जागा। व्यक्ति ने सत्ता को हथियाने में ही अपनी सारी शक्ति नियोजित कर दी। व्यक्ति में यह चिन्तन प्रबल बना—वह कैसे सत्ता पर आए और तानाशाह बनकर सत्ता को अपने हाथ में ले।

हिंसा : मूल स्रोत

लोकतत्र में यह स्पष्ट स्वीकृति है—पदार्थ पर व्यक्ति का अधिकार है। पदार्थ को व्यक्ति भोग सकता है, उसे अधिकृत कर सकता है। ऐसा करना अनुचित नहीं है। इस व्यवस्था से भी पदार्थ के प्रति आसक्ति में न्यूनता नहीं आई। न तो समाजवादी प्रणाली में पदार्थ की आसक्ति कम हुई और न लोकतत्र में ही वह समाप्त हुई, किन्तु उसे और अधिक बल मिला। ऐसी स्थिति में समता की बात नहीं सोची जा सकती। हिंसा का मूल स्रोत है पदार्थ के प्रति मूर्च्छा। पदार्थ की आसक्ति जितनी गहरी होगी, हिंसा उतनी ही सघन होती चली जाएगी। आसक्ति का चक्र तोड़ने में यदि धार्मिक अवधारणा को साथ रखा जाता तो समाजवाद को सफल होने में सहयोग मिलता।

अनासक्त चेतना का जन्म

धर्म ने प्रारम्भ से ही अनासक्त चेतना का निर्माण किया था, मूर्च्छा की चेतना को तोड़ने का अभिक्रम प्रस्तुत किया था। परिभाषा दी गई—प्रमाद अधर्म और अप्रमाद धर्म। इस एक शब्द में महावीर का पूरा धर्म-दर्शन आ गया। प्रमाद यानी आसक्ति, मूर्च्छा। अप्रमाद यानी जागरूकता। धर्म है पदार्थातीत चेतना। सभी धर्मों ने पदार्थातीत चेतना की ओर प्रस्थान किया। इसमें सफलता भी मिली। समाजवाद कहता है—पदार्थ भी स्वतंत्र है, उस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं। तुम चेतन हो, वह अचेतन है। धर्म ने केवल इस सिद्धांत का प्रतिपादन ही नहीं किया किन्तु उसके साथ हृदय-परिवर्तन का प्रयोग भी प्रस्तुत किया। धर्म के क्षेत्र में ऐसे व्यक्ति पैदा हुए, जिनकी पदार्थ के प्रति आसक्ति समाप्त हो गई। धर्म ने नये आदमी को जन्म दिया पर आर्थिक और राजनैतिक प्रणालियों ने नये आदमी को पैदा नहीं किया। आसक्ति

कम न हो, मूर्च्छा न टूटे और नये समाज का निर्माण हो, यह कैसे संभव है ?

परिवर्तन का सूत्र : अनित्यता

धर्म ने जो सूत्र दिए वे हृदय-परिवर्तन के सूत्र हैं। धर्म का एक सूत्र है अनित्यता। जिस पदार्थ के साथ तुम्हारा सयोग हुआ है, उसका निश्चित वियोग होने वाला है। इस अनित्यता की अनुभूति कराई गई। अनुभूति का एक माध्यम बना—मृत्यु का साक्षात्कार। कहा गया—जब मृत्यु आती है तब सब पदार्थ यही रह जाते हैं। कुछ भी साथ नहीं जा सकता। यह अनित्यता की ओर उत्प्रेरित करने वाला तथ्य है। अनित्यता के प्रशिक्षण की बहुत लम्बी परम्परा चली है और आज भी चल रही है। इस भावना को प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अवतरित करने के प्रयास किए—अनुभव करो, सब कुछ अनित्य है। जिसका सयोग हुआ है, उसका वियोग निश्चित होगा। सब छूट जाएगा। इस अनित्यता के सूत्र ने हृदय-परिवर्तन को संभव बनाया है।

एकत्व-बोध

दूसरा सूत्र बना एकत्व का। कहा गया—तुम अकेले आए हो, अकेले जाओगे। जब जन्मे तब कुछ भी साथ नहीं लाए, जब मरोगे तब कुछ भी साथ नहीं ले जाओगे। इस क्षणिक सयोग को यथार्थ क्यों मान रहे हो ? इसे ही सत्य क्यों समझ रखा है ? यह सयोग है, मात्र उपयोग के लिए है। इसके अतिरिक्त इसका कुछ भी मूल्य नहीं है। इस एकत्व-बोध ने हृदय-परिवर्तन में बड़ा योग दिया।

अन्यत्व-बोध

तीसरा सूत्र दिया अन्यत्व बोध का। यह सच है, पदार्थ के बिना हमारा काम नहीं चल सकता। आदमी पदार्थ पर इतना आश्रित है कि ओर कुछ देखता ही नहीं। हमारी इन्द्रियो का सत्य पदार्थातीत नहीं है। इन्द्रियो की सारी शक्ति पदार्थ की ओर प्रस्थित है। हमारे ज्ञान का मूल स्रोत है इन्द्रियां और वे पदार्थाभिमुख हैं। फिर उनके प्रति आसक्ति प्रचल क्यों ? इन्द्रिय चेतना पदार्थ की ओर जा रही है। इस स्थिति में भी धर्म ने यह सचाई प्रस्तुत की—पदार्थ उपयोगी है, जीवन-यात्रा पदार्थ पर अवलंबित

है। सब कुछ है फिर भी तुम पदार्थातीत हो, चेतन हो। इस अन्यत्व-बोध ने पदार्थ के प्रति गहराती आसक्ति को तोड़ने में योग दिया। हृदय-परिवर्तन का एक सूत्र बन गया भेदविज्ञान। जब हम इस अनुभूति में जाते हैं—'मैं पदार्थ नहीं हूँ' तब सारी बाधाएँ टूटने लगती हैं।

समस्या का हेतु

अन्यत्व का बोध, एकत्व का बोध और अनित्यता का बोध— इन तीन सूत्रों ने हृदय-परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त कर दिया। केवल राजनैतिक प्रणाली या प्रशासनिक प्रणाली हृदय को नहीं बदल सकती। समस्या यह हुई—व्यवस्थाएँ बहुत बढी पर हृदय-परिवर्तन के प्रशिक्षण का उपक्रम नहीं चला। एक प्रकार का लगड़ापन आ गया। एक पैर चलता गया, दूसरा पिछड़ गया। यदि व्यवस्था के साथ धर्म का योग किया जाता तो एक नई दिशा मिलती, एक नये मनुष्य का जन्म होता और एक नया समाज आकार पाता।

समाजवाद का सत्य : पूंजीवाद का सत्य

बहुत बार ऐसा होता है—आदमी सत्याश को पकड़कर उसे ही पूर्ण सत्य मान लेता है। एक सत्याश है—उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार रहेगा। दूसरा सत्याश है—उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति का अधिकार रहेगा। एक समाजवाद का सत्य है और दूसरा पूंजीवाद का सत्य। सचाई दोनों में है किन्तु आशिक सचाई है। आशिक सत्य को समग्र मान लिया और दोनों ही अधूरे रह गए। नये समाज के निर्माण में हमें अनेकान्त का अधिक से अधिक उपयोग करना होगा। ऐसा करने पर ही नए समाज के निर्माण की संभावनाएँ पुष्ट बनेंगी।

अनेकान्त का मत

अनेकान्त का मत है—किसी सत्याश को समग्र मानकर मत चलो। उत्पादन पर समाज का अधिकार हो, यह सचाई फलित कब होगी? जब व्यक्ति में सहकारिता की भावना जगा दी जाए और यह भावना जग जाए कि सभी को श्रम करना ही होगा, तब यह सचाई साकार रूप लेगी। व्यक्ति में व्यक्ति-चेतना काम कर

रही है और उसके सामने प्रणाली है सहकारिता की, इस स्थिति में अन्तर्विरोध पैदा होगा। पूंजीवादी प्रणाली में यह भी माना गया—व्यक्ति स्वार्थी होता है। वह स्वार्थ की सीमा से आगे जा नहीं सकता। यह सत्याश है पर इसके साथ इस बात को भुला दिया गया—वह कैसे अपने जीवन में स्वार्थ की पवित्रता लाए। वह कैसे स्वार्थ के दोष को कम करे? उसका हृदय कैसे बदले? इस पर ध्यान नहीं दिया गया। इन दोनों एकागी प्रकल्पों ने समस्या को सुलभाने में योग नहीं दिया।

समग्र दृष्टिकोण

मनोवैज्ञानिक मानते हैं—मौलिक मनोवृत्तियों को बदला नहीं जा सकता। सचमुच मनोवृत्ति में बदलाव लाना बड़ा कठिन काम है। पदार्थ के साथ इतना गहरा लगाव हो गया है कि उससे अलग होना सहज नहीं है। यह एक चुनौती है समाजवाद के सामने। क्या हम मौन होकर बैठ जाए? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमें कुछ बदलने की बात सोचनी होगी और बदलने के लिए समग्र सत्य को साथ लेकर चलना होगा। हम दोनों बातों को साथ लेकर चलें। नए समाज का निर्माण करना है तो साथ-साथ नए व्यक्ति का निर्माण भी करना है। इसका अर्थ है—यदि उत्पादन के साधनों पर समाज का अधिकार स्थापित करना है तो साथ-साथ व्यक्ति की चेतना को भी बदलना है, उसका हृदय-परिवर्तन भी करना है। यदि उत्पादन के साधनों पर व्यक्ति का अधिकार स्थापित करना है तो व्यक्ति को अनासक्ति की दीक्षा से दीक्षित करना होगा। ये दोनों सच्चाइयाँ साथ चलेंगी तो एक समग्र दृष्टिकोण विकसित होगा। उस अवस्था में ही नए समाज की रचना की बात सोची जा सकती है।

१३. नए समाज की रचना

इतिहास के आदिकाल से मनुष्य विकास की कल्पना करता रहा है। उसमें आगे बढ़ने की मनोवृत्ति रही है। वह जैसा है, उसमें सतोष नहीं है किन्तु कुछ बदलने और नया करने की भावना है। एक मौलिक मनोवृत्ति है—‘अकडं करिस्सामि’—जो किसी ने नहीं किया, वह मैं करूंगा। इसी मनोवृत्ति ने व्यक्ति को समाज के स्तर पर आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। व्यक्ति आगे बढ़ना चाहता है और समाज का भी नव-निर्माण चाहता है। वह स्वस्थ समाज की रचना करना चाहता है, शोषण-मुक्त या अहिंसक समाज की रचना करना चाहता है।

रुग्ण समाज : स्वस्थ समाज

समाज की दो स्थितियाँ हैं—रुग्ण समाज और स्वस्थ समाज। जिस समाज में सामाजिकता और परस्परता नहीं होती, संवेदनशीलता और आश्वासन नहीं होता, वह रुग्ण समाज होता है। जिस समाज में आश्वासन, परस्परता, सामाजिकता और संवेदनशीलता होती है, वह होता है स्वस्थ समाज। कल्पना की गई—स्वस्थ समाज का निर्माण करे। इसके निर्माण के लिए ध्यान गया अर्थ-व्यवस्था पर। अगर अर्थ-व्यवस्था समीचीन नहीं है तो समाज स्वस्थ नहीं बनेगा। अर्थ-व्यवस्था के दो पक्ष हैं—एक है राज्य नियंत्रित अर्थ-व्यवस्था। दूसरी है खुली अर्थ-व्यवस्था—राज्य के नियंत्रण से मुक्त अर्थ-व्यवस्था। दोनों प्रकार के प्रयोग किए। लोकतंत्र में खुली अर्थ-व्यवस्था रही और साम्यवादी प्रणाली में अर्थ-व्यवस्था पर राज्य का नियंत्रण किया गया। नियंत्रित अर्थ-व्यवस्था का कारण था --अमीर लोग गरीबों का शोषण न कर सकें।

स्वस्थ समाज रचना के प्रयत्न

वास्तविकता यह है—दोनों ही प्रणालियों ने स्वस्थ समाज की रचना कर पाने में सफलता प्राप्त नहीं की। जहाँ राज्य का

नियंत्रण है वहां व्यक्ति में अकर्मण्यता का भाव आया। आगे बढ़ने की जो मनोवृत्ति थी, उस पर प्रभाव पड़ा। जहां खुली अर्थ-व्यवस्था थी वहां दूसरी स्थिति बनी। आज दुनिया की जनसंख्या पांच अरब से ज्यादा है, किन्तु इस सचार्ड को अस्वीकार न करें। दुनिया में जितनी संपदा है, उसके पचास प्रतिशत भाग पर थोड़े से लोगों का आधिपत्य है। यह खुली अर्थ-व्यवस्था का प्रयोग भी स्वस्थ समाज की रचना में सहयोगी नहीं बना और राज्य नियंत्रित अर्थ-व्यवस्था भी सहयोगी नहीं बनी।

समाजवादी प्रणाली : नई समस्या

समाजवादी प्रणाली में सबसे ज्यादा इस बात पर ध्यान दिया गया—गरीबों का शोषण न हो। अमीर और गरीब—ये दोनों वर्ग मिलें। यह कल्पना चली तब शासक और शासित—ये दो नए वर्ग बन गए। शासक के लिए बहुत सी सुविधाएं और प्रजा के लिए कोई सुविधा नहीं। नई समस्या पैदा हो गई। समाजवादी राष्ट्रों के शासकों का जो चरित्र सामने आया है, उससे लगता है—सत्ता केन्द्रित होते ही मनुष्य की सुविधावादी मनोवृत्ति प्रबल और निरकुश हो जाती है। वह सिद्धांत को समाप्त कर देती है। साम्यवाद की जो कल्पना की गई, वह कहीं कहीं रह गई और शासक स्वयं शोषक बन गया। खुली अर्थ-व्यवस्था की प्रणाली में शोषण चलता ही रहा। कुछेक व्यक्तियों के पास ही धन केन्द्रित होता गया। शेष व्यक्ति अभावग्रस्त होते चले गए। उस अभाव ने समाज को स्वस्थ और शोषण मुक्त नहीं बनने दिया। जिस अर्थ व्यवस्था पर अधिक ध्यान केन्द्रित किया, उसने भी प्रवचना कर दी।

कारण क्या है ?

हमारा जीवन दो धाराओं में प्रवाहित है—वस्तु-जगत् और भाव-जगत्। परिवर्तन के प्रयोग हुए हैं, सब वस्तु-जगत् को बदलने के लिए हुए हैं। भाव-जगत् पर ध्यान ही नहीं दिया गया। केवल यही मान लिया गया—अर्थ-व्यवस्था सुधरी, राजनैतिक प्रणाली बदली और समाज व्यवस्था बदल जाएगी। इस सचार्ड को समझने में हमारी बहुत बड़ी भूल हुई है। सबसे पहले हम निदान करें—समाज बीमारी और शोषण से घिरा हुआ क्यों है ? कारण

क्या है ? सही निदान तब होगा जब हम भाव-जगत् में प्रवेश करेंगे ।

अहं की समस्या

निदान का पहला निष्कर्ष होगा—अहं की समस्या ने समाज को रुग्ण बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभायी है । जितना भी प्रदर्शन चलता है वह अहं के लिए चलता है । व्यक्ति अपने बड़प्पन को दिखाने के लिए प्रदर्शन करता है । जिस मकान में १०० आदमी रह सके, उतना बड़ा भव्य मकान बनाएंगे पर उसमें रहने वाले होंगे दो-चार आदमी । उस विशाल मकान के पीछे अहं प्रदर्शन की भावना काम कर रही है । एक व्यक्ति ने एक करोड़ की पोशाक पहनी, एक व्यक्ति ने आठ करोड़ की पोशाक पहनी । वह पोशाक अहं का प्रतिबिम्ब है । समाचार पत्र में पढ़ा—एक संन्यास लेने वाले व्यक्ति की पोशाक छियासठ लाख की थी । ये सब किसलिए ? सारा कार्य अहं प्रेरित हो रहा है । यह एक ऐसी दौड़ है, जिसने आवश्यकता के पक्ष को गौण कर दिया, अनुपयोगिता एवं प्रदर्शन के पक्ष को उभार दिया । जीवन की सामान्य आवश्यकता कम आय वाला व्यक्ति भी पूरी कर लेता है, एक लखपति भी पूरी कर सकता है, एक करोड़पति भी कर सकता है । प्रत्येक आदमी रोटी खाता है, सोना-चादी नहीं खाता । इतनी आवश्यकता की पूर्ति प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है । किंतु अहं की चेतना से प्रभावित व्यक्ति सोचता है—दुनिया के धनपतियों में प्रथम नाम मेरा ही आए । यह स्पर्धा है । इस अहं की समस्या ने जगत् की समस्या पर पर्दा डाल दिया और उसे ज्यादा उलझा दिया ।

व्यक्तिवादी दृष्टिकोण

दूसरी समस्या है व्यक्तिवादी दृष्टिकोण । व्यक्ति केवल अपने और अपने के लिए सोचता है । एक सीमा बन गई—मेरे लिए तथा मेरे अपने के लिए सारी सुविधा प्राप्त करनी है । यह गलत दृष्टिकोण बन गया । दुकानदार मिलावट करके माल बेचता है पर अपने लिए शुद्ध माल लाएगा । कारण क्या है ? अपने लिए और अपने के लिए सुविधा जुटाने का दृष्टिकोण काम करता है । दो प्रकार के दृष्टिकोण हैं—अपने लिए अलग और दूसरों के लिए

अलग । इस विभक्त दृष्टिकोण ने समाज को बहुत रुग्ण बनाया है, समस्याग्रस्त बनाया है ।

भोगवादी दृष्टिकोण

तीसरी समस्या है—भोगवादी दृष्टिकोण । आदमी प्रत्येक पदार्थ का भोग चाहता है । वर्तमान की आर्थिक व्यवस्था और अवधारणा ने व्यक्ति को भोगवादी बनाया है । खूब कमाओ और खूब भोगो । उत्पादन अधिक, अर्जन अधिक और भोग अधिक—ये जीवन के तीन सूत्र मान लिए गए । इस दृष्टिकोण ने कुछ लोगो को भोगी बना दिया, कुछ लोगो को अभावग्रस्त और दीन-हीन बना दिया । भोगवादी दृष्टिकोण सचमुच एक समस्या बन गया ।

अधिकार की मनोवृत्ति

चौथी समस्या है—अधिकार की मनोवृत्ति । छोटे से छोटे प्राणी मे, पेड़-पौधे मे भी अधिकार की मनोवृत्ति होती है । यह मौलिक मनोवृत्ति है । सारी समस्याओ का मूल है—अधिकार की मनोवृत्ति । इसमे सबका समावेश हो जाता है । इसे सग्रह या परिग्रह की मनोवृत्ति भी कहा जा सकता है । व्यक्ति सबको अपने अधिकार मे रखना चाहता है । व्यक्ति की इस मनोवृत्ति से अनेक समस्याएँ उलझती हैं ।

अहिंसा के प्रशिक्षण का अर्थ

हम केवल अर्थ-व्यवस्था को बदलने पर ध्यान केन्द्रित करें, नई प्रणालियो को विकसित करने की बात सोचें और भावजगत् की विलकुल उपेक्षा कर दें तो समस्या का समाधान कभी नहीं होगा । समाधान के लिए दोनो पर ध्यान देना होगा । वस्तु-जगत् भी एक सचाई है और भाव-जगत् भी एक सचाई है । हम एक सत्य को मानकर चलें और दूसरे को नकार दें तो ऐकान्तिक आग्रह बन जाएगा और समस्या का समाधान नही होगा । समाधान तब होगा जब दोनो सचाइयो को साथ लेकर चले । एक ओर वस्तु-जगत् मे परिवर्तन लाने का प्रयत्न चले, दूसरी ओर भाव-जगत् में भी परिवर्तन लाने का प्रयत्न चले । अहिंसा के प्रशिक्षण का अर्थ भी इन दोनो सचाइयो से जुड़ा हुआ है । वस्तु-जगत् मे परिवर्तन नही होता है तो हिंसा बढ़ेगी । भाव-जगत् मे परिवर्तन नही होता है

तो हिंसा को अधिक पनपने का मौका मिलेगा ।

मूल्य है भाव-जगत्

हम अनेकांत का प्रयोग करे, दोनों सचाइयो को एक साथ समझें, सही निर्णय ले, बीमारी का सही निदान होगा । केवल वस्तु-जगत् ही सब कुछ नहीं है, उसके साथ भाव-जगत् का भी बहुत मूल्य है । यदि हमारा भाव-जगत् सुलभा हुआ है तो वस्तु-जगत् भी सुलभा हुआ, साफ-सुथरा नजर आएगा ।

वस्तु-जगत् से भी ज्यादा मूल्यवान् है भाव-जगत् । अगर भाव-जगत् स्वस्थ है तो वस्तु-जगत् का परिष्कार करने में काफी सुविधा हो जाएगी । जटिलता हो रही है भाव-जगत् में और उसका प्रतिबिम्ब पड रहा है वस्तु-जगत् पर । अहिंसा का प्रशिक्षण भाव-जगत् का प्रशिक्षण है । इसका सबध समाज-व्यवस्था, अर्थ-व्यवस्था और राज्य-व्यवस्था के साथ है पर सबसे घनिष्ट सबध है भाव-जगत् के साथ ।

अहं का परिष्कार

अहिंसा के प्रशिक्षण का सबसे पहला बिन्दु होगा—अहं का विसर्जन, अहं के परिष्कार का प्रशिक्षण । इसका फलित होगा—समानता की वृत्ति का जागरण । विषमता कौन पैदा करता है ? विषमता का कारण है—अहंकार । आधुनिक विज्ञान की खोजों का निष्कर्ष है—उत्तेजना, जल्दबाजी, शीघ्रता, आगे बढ़ने की चेष्टाएं । ये हृदय रोग को जन्म देती हैं । अहंकार के विलय का प्रशिक्षण दें तथा उसके अनुरूप ही अर्थ-व्यवस्था की बात सोचे, समानता की दृष्टि जागती चली जाएगी । जब समानता की दृष्टि बढ़ेगी तो विषमता की बात कम होती चली जाएगी । अहिंसक समाज-रचना की दिशा में एक नया विकल्प हमारे सामने आएगा ।

परस्परता का दृष्टिकोण

दूसरी समस्या है—व्यक्तिवादी दृष्टिकोण । उसके परिष्कार का सूत्र है परस्परोग्रह—परस्परता का दृष्टिकोण जागृत करना । एक आदमी दूसरे के बिना जी नहीं सकता, एक व्यक्ति दूसरे का आलम्बन लिए बिना जी नहीं सकता, इस सचाई को अस्वीकार करने के कारण ही समाज बीमार बना है । एक पैर चले, दूसरे को आगे न बढ़ाएं तो क्या होगा ? गति अवरुद्ध हो जाएगी ।

सापेक्षता और परस्परता का होना जरूरी है। आचार्य उमास्वाति का यह कथन—‘परस्परोपग्रहो जीवानाम्’—इसी सच्चाई का निर्देश सूत्र है।

त्याग की चेतना का प्रशिक्षण

तीसरा तत्त्व है—त्याग की चेतना का प्रशिक्षण। आज भोगवादी दृष्टिकोण को प्रबल होने का बहुत मौका मिलता है। यह धारणा बन गई—जीवन का सार है पदार्थ। इस मिथ्या धारणा को तोड़ना होगा। भोग जीवन की अनिवार्यता है तो त्याग उसका अलकरण है। पोजिटिव और निगेटिव—दोनों का योग होता है तो विजली जलती है। भोग के साथ-साथ त्याग का होना भी जरूरी है।

विसर्जन

चौथा तत्त्व है—विसर्जन। अभ्यास के द्वारा इस वृत्ति को जगाया जाए। धन का अर्जन भी करो तो उसके कुछ अंश का विसर्जन भी करो। अगर एक रुपया कमाया है तो एक पैसे का जरूर विसर्जन करो। खाते चले जाए और उत्सर्ग न करें तो क्या होगा? अर्जन और विसर्जन—दोनों आवश्यक हैं।

अहिंसापरक चेतना की अवधारणा

स्वस्थ समाज की रचना के लिए इन चारों बिन्दुओं पर ध्यान देना होगा—

१. अहं विलय की चेतना का जागरण।

२. परस्परता की चेतना का जागरण।

३. त्याग की चेतना का जागरण।

४. अर्जन के साथ विसर्जन की चेतना का जागरण।

यह एक नई अवधारणा है, अहिंसापरक चेतना की अवधारणा है।

१४. व्यक्ति-स्वातंत्र्य और अहिंसा

केवल सूई होती, धागा नहीं होता तो वस्त्र-खड अलग-अलग होते, एक नहीं बनते । सूई और धागे के संयोग से ही अनेक वस्त्र-खड मिलकर एक बनते हैं । यदि व्यक्ति कोरा व्यक्ति होता तो सब व्यक्ति अलग-अलग रहते पर एक धागा है, जो व्यक्तियों को जोड़ देता है और एक समाज बन जाता है । वह जोड़ने वाला तत्त्व है हृदय-परिवर्तन । हृदय-परिवर्तन का तत्त्व नहीं होता तो व्यक्ति अकेला ही रहता, कभी समाज नहीं बनता ।

रोटी और स्वतंत्रता

वर्तमान युग में व्यक्ति स्वातंत्र्य की मांग बहुत है । मनु ने लिखा—सर्वं परवशं दुःख सर्वमात्मवशं सुखं—परवश जो कुछ है, वह दुःख है और स्वतंत्र जो कुछ है, वह सुख है । एक सूत्र बन गया—स्वतंत्र रहकर रूखा-सूखा खाना भी अच्छा है, परतंत्र रहकर चुपड़ा हुआ खाना भी अच्छा नहीं है । आज लोकतंत्र का युग है । कोई भी व्यक्ति रोटी के लिए परतंत्र बनना नहीं चाहता । वह चाहता है—रोटी भी मिले और व्यक्तिगत स्वतंत्रता भी सुरक्षित रहे । दोनों साथ-साथ मिले । स्वतंत्रता का मूल्य अनिर्वचनीय है । सामाजिक, आर्थिक या व्यावहारिक क्षेत्र में दो प्रयोग चले—साम्यवाद का प्रयोग और लोकतंत्र का प्रयोग । साम्यवाद में व्यक्ति-स्वातंत्र्य पर नियन्त्रण किया गया । उसमें निजीकरण की बात को समाप्त किया गया, सामुदायिक नीति पर बल दिया गया । परिणाम यह हुआ—उत्पादन क्षमता में मंदता आ गई और आर्थिक विकास में समाज पिछड़ गया । लोकतंत्र में व्यक्ति-स्वातंत्र्य को मूल्य दिया गया । इससे उत्पादन क्षमता तीव्र हो गई पर अर्थ का वंटवारा न्यायोचित नहीं हो सका । वंटवारे में विषमता होने से समाज का जो विकास होना चाहिए था, वह नहीं हो पाया । अमीर और ज्यादा अमीर हो गए, गरीब और ज्यादा गरीब हो गए ।

व्यक्ति-स्वातन्त्र्य और संविभाग

तीन बातें समाज के लिए जरूरी मानी गई हैं—

१. उत्पादन की क्षमता
२. उत्पादित सम्पत्ति का सम्यक् वटवारा
३. व्यक्ति-स्वातन्त्र्य

समस्या यह है—जहां व्यक्ति की स्वतन्त्रता है वहां संविभाग नहीं है। जहां संविभाग है वहां व्यक्ति का स्वातन्त्र्य नहीं है। यह स्थिति कैसे सुलझे? यह जटिल पहलू है कि व्यक्ति-स्वातन्त्र्य भी रहे तथा समस्या भी न आए। इसका समाधान है—व्यक्ति-स्वातन्त्र्य और अहिंसा का योग। इन दोनों को एक साथ नहीं देखेंगे तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। जो सबसे विषम पहलू है वटवारे का, उसका समाधान नहीं हो सकेगा। व्यक्ति समाज-सापेक्ष है। कुछ सीमा व्यक्ति की अपनी होती है और कुछ समाज के साथ जुड़ी रहती है। समाज-सापेक्ष वैयक्तिक सीमा को समझना भी आवश्यक है। कुछ यथार्थ व्यक्ति से जुड़े हुए हैं। जैसे व्यक्ति खाना खाता है, उसे पचाता है, यह उसकी वैयक्तिकता है किन्तु बपन से लेकर रोटी पकने तक की जो प्रक्रिया है, वह सब समाज-सापेक्ष है। एक व्यक्ति खेती करता है, एक व्यक्ति अनाज का विनिमय करता है, एक व्यक्ति अनाज की पिसाई करता है, एक व्यक्ति रोटी पकाता है फिर व्यक्ति उस रोटी को खाता है।

उपादान है व्यक्ति

कारणों का संघ समाज से होता है, उपादान का संघ व्यक्ति से होता है। समाज में हिंसा के कारण बहुत हैं पर हिंसा का उपादान समाज नहीं है। उसका उपादान है व्यक्ति। समाज-सापेक्ष है व्यक्ति का जीवन। यदि समाज के प्रति हृदय-परिवर्तन नहीं होता है तो अहिंसा की बात सम्भव नहीं बनती। व्यक्ति केवल अपना हित करता है, दूसरे का नहीं करता तो सही अर्थों में वह अपना हित नहीं करता है। क्योंकि वह समाज से जुड़ा हुआ है। यह सूत्र होना चाहिए—समाज हित मेरा हित, समाज का कल्याण मेरा कल्याण। ऐसा होता है तो हिंसा को बढ़ने का इतना अवसर नहीं मिलता।

स्वतंत्र कौन ?

प्रश्न है—हम स्वतन्त्र व्यक्ति किसे मानें ? समाज का कोई घटक स्वतन्त्र नहीं है, वह समाज से जुड़ा हुआ है। जिसका हृदय-परिवर्तन हो चुका है, वह व्यक्ति स्वतंत्र है। जिसने अपने सवैगो पर नियंत्रण कर लिया है, वह व्यक्ति स्वतन्त्र है। पदार्थ जगत् में स्वतंत्रता की एक परिभाषा है। वह भी बाह्य जगत् से जुड़ी परिभाषा है। स्वतन्त्रता ने इतना भ्रम पैदा किया है कि वास्तविक स्वतंत्रता पर आवरण डाल दिया है। स्वतन्त्रता का अर्थ है आंतरिक गुलामी का नहीं होना। केवल वस्तु और पदार्थ जगत् के उपभोग को ही स्वतन्त्रता से जोड़ा गया इसीलिए विषमता का समाधान नहीं हुआ। अहिंसा की दृष्टि से बाह्य जगत् की स्वतन्त्रता और आन्तरिक जगत् की स्वतन्त्रता—दोनों पर विचार करना अपेक्षित है।

आंतरिक स्वतंत्रता का अर्थ

आन्तरिक स्वतन्त्रता का अर्थ है—हृदय-परिवर्तन या मस्तिष्कीय प्रशिक्षण। हृदय-परिवर्तन के बिना न्यायोचित बंटवारे की बात संभव नहीं बनेगी। बहुत से लोग गरीबों की सहायता करते हैं इसलिए कि गरीबी हिंसा का रूप न ले ले। ऐसे अहिंसा के प्रयोग चल रहे हैं किन्तु इनके साथ आंतरिक परिवर्तन की बात नहीं जोड़ी गई। हिंसा पैदा होती है परिस्थितिजन्य। एक ओर बहुत साधन हैं, दूसरी ओर साधन स्वल्प हैं। इसी परिस्थिति में हिंसा के बीज अकुरित होते हैं। प्रश्न है यदि परिस्थिति का समीकरण कर दिया जाए तो क्या हिंसा मिट जाएगी ? वह समग्र रूप से नहीं मिटेगी किन्तु उसकी तीव्रता समाप्त हो जाएगी।

उत्तरदायी है व्यक्ति का मस्तिष्क

क्या सम्पन्न देशों में हिंसा नहीं है ? यदि हम संपन्नता के साथ अहिंसा की व्याप्ति स्वीकार कर लेते हैं तो बहुत बड़ी भ्रांति को जन्म देते हैं। संपन्नता में जो विषमता जनित हिंसा होती है, केवल वही कम हो सकती है किन्तु हिंसा का मूल उपादान है व्यक्ति का मस्तिष्क। उसे बदले बिना अहिंसा की संभावना नहीं की जा सकती। पहले विकल्प उठता है फिर क्रिया होती है। पहले विचार पैदा होता है फिर उसका आवरण होता है। विचार का उद्भव

मस्तिष्क में होता है। जब तक मस्तिष्क को प्रशिक्षित नहीं किया जाता तब तक अहिंसक समाज रचना की बात सार्थक नहीं हो सकती।

पत्तों को सींचने का प्रयत्न

अहिंसक समाज रचना के सदर्भ में बहुत प्रयोग चले। भूदान और संपत्तिदान का प्रयोग चला। सम्पन्न राष्ट्र विपन्न राष्ट्रों के लिए करोड़ों रूपयों का सहयोग करते हैं। क्या हिंसा में कमी आई? इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक भाषा में नहीं दिया जा सकता। हमें स्वीकार करना होगा—हिंसा का सबसे बड़ा स्रोत हमारा दिमाग है। जब तक मस्तिष्क का प्रशिक्षण नहीं होता तब तक हम हिंसा को कम नहीं कर सकते। सामाजिक और वैयक्तिक—दोनों क्षेत्रों पर ध्यान देना होगा। एक ओर विपन्नता को कम करने के प्रयोग चलते हैं, दूसरी ओर न्यायोचित बंटवारे की उपेक्षा हो रही है। यह केवल पत्तों को सींचने का ही प्रयत्न है। सबसे बड़ी मांग है—न्यायोचित व्यवस्था, बंटवारे में समानता।

विषमता का उत्स

प्राचीन मनीषियों ने कहा—कपड़े को गंदा बनाकर साफ मत करो। उसे गंदा करो ही मत ताकि साफ करने की आवश्यकता ही न पड़े। मैं किसी व्यक्ति या व्यवस्था विशेष पर प्रहार नहीं कर रहा हूँ। प्रहार है हमारी नीति और हमारी समझ पर। हमारी समझ यह हो कि हमें सहयोग करने की अपेक्षा ही न हो। हम प्रारम्भ से ही बंटवारे के औचित्य पर ध्यान दें। मिल मालिक एक मिल में कितना अर्जन करता है, उसका कितना भाग स्वयं लेता है और कितना मजदूर को देता है, यह मूल बात है। मूल समस्या यही है। शायद वह नब्बे प्रतिशत स्वयं लेगा और दस प्रतिशत मजदूरों को देगा। उन पर दया क्यों करे? किसी को विषम स्थिति में डालकर उस पर उपकार करना, दया करना, बड़ी विचित्र बात है। यही पर हमारी समानता खण्ड-खण्ड होने लगती है, यही विषमता पनपती है।

न्याय का अतिक्रमण

मस्तिष्कीय प्रशिक्षण के अभाव में यह स्थिति बनी है। विषमता के प्रति हमारे मन में ग्लानि नहीं है, समता के प्रति हमारा

लगाव नहीं है। क्रूरता, लोभ, भोग और सुविधावाद—इनके प्रति दृष्टिकोण बदलता तो कभी ऐसा नहीं होता। क्रूरता का प्रक्षालन नहीं हुआ है, लोभ का परिमार्जन नहीं हुआ है, तभी ये समस्याएँ खड़ी हुई हैं। आज व्यक्ति-स्वातंत्र्य है पर अहिंसा नहीं है। व्यक्ति-स्वातंत्र्य है पर समता नहीं है। अगर समता होती तो समाज की प्रचुर सम्पत्ति पर कुछेक लोगों का ही अधिकार नहीं होता, सत्ता और संपदा केन्द्रित नहीं होती। आज नब्बे प्रतिशत लोगों को बड़े लोगों की कृपा पर जीना पड़ रहा है। यह सामाजिक न्याय का खुला अतिक्रमण है और हिंसा को खुला अवकाश। यथार्थ का आलम्बन लिए बिना कभी समस्या का समाधान हो नहीं सकता। कटु सत्य यह है—जो दृष्टिकोण सहयोग के लिए बना है, वैसी भावना बटवारे के समय बने। जो सहयोग और करुणा की भावना बाद में प्रदर्शित करते हैं, वह भावना उत्पादित संपत्ति के बटवारे के समय बने। यदि ऐसा हो पाया तो समतापूर्ण, शोषणमुक्त समाज की रचना संभव बनेगी और एक अहिंसक समाज का सही निर्माण हो सकेगा और वह लोकतंत्र की स्वस्थता के लिए वरदान सिद्ध होगा।

१५. मानवीय संबंध कैसे सुधरे ?

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। वह रहता अकेले में है पर जीता समाज में है। सामाजिक जीवन का अर्थ है सम्बन्धों का जीवन। यदि सम्बन्धों को निकाल दें तो सामाजिक जीवन समाप्त हो जाए।

संबंध का आधार

प्रश्न है मनुष्य के आपसी संबंध किन तत्त्वों पर आधारित है ? हिंसा पर आधारित हैं या अहिंसा पर ? अह, घृणा, क्रूरता पर आधारित है या इनके प्रतिपक्ष पर। अह का प्रतिपक्ष है हीनभावना, घृणा का प्रतिपक्ष है विद्वेष और क्रूरता का प्रतिपक्ष है अपराध। इन पर यदि मानवीय संबंध आधारित हैं तो समाज में हिंसा बढ़ती चली जाएगी। मार्क्स ने जो वर्ग-संघर्ष की चर्चा की, वह व्यर्थ नहीं है। दो वर्ग बन गए थे—एक मजदूर वर्ग और दूसरा मालिक वर्ग। एक पूजापति वर्ग और दूसरा श्रमिक वर्ग। दोनों में परस्पर संघर्ष और कलह चलता था।

वर्ग क्यों बने ?

प्रश्न है—वर्ग क्यों बने ? जहाँ अह, घृणा और क्रूरता के आधार पर संबंधों का निर्धारण होता है, वहाँ वर्ग की निर्मिति अवश्यभावी है। जहाँ अहिंसक समाज की रचना का प्रश्न है, वहाँ हमें आधारभूत परिवर्तन की बात सोचनी होगी। संबंध किन आधारों पर बने ? यदि अह के स्थान पर विनम्रता, समानता या समता का तत्त्व विकसित हो तो अहिंसक समाज की कल्पना की जा सकती है। बहुत महत्त्वपूर्ण सूत्र दिया गया—णो हीणे णो अहरित्ते—कोई भी आत्मा हीन नहीं है और कोई भी आत्मा अतिरिक्त नहीं है। कोई बड़ा या छोटा नहीं है। जैसे-जैसे यह अवधारणा पुष्ट बनेगी अहिंसक की भित्ति सुदृढ़ बनेगी। इसमें अहं और हीनता, ये दोनों ग्रन्थियाँ नहीं रहेगी।

विभाजन का हेतु

एक तत्त्व है समानता का । घृणा के स्थान पर प्रेम का तत्त्व विकसित हो । हिन्दुस्तान में जाति का सस्थान बना और विदेशो मे वर्ग का सस्थान बना । जाति और वर्ग—दोनों से ही घृणा के तत्त्व आ गए । रंग के प्रति घृणा शुरू हो गई । काले लोगों का तिरस्कार और गोरे लोगो का सम्मान—यह रंग के आधार पर समाज के विभाजन का एक हेतु बन गया । जाति के आधार पर घृणा की धारणा बन गई । उसी के आधार पर छुआछूत की भावना पलती रही । वस्तुतः घृणा अह की संतुष्टि नहीं होती । घृणा का तत्त्व विकसित होता है दूसरे को हीन मानने पर, गुलाम बनाने पर । जहा प्रेम का विस्तार होता है वहां कोई किसी को गुलाम नहीं बनाएगा, सबको समानता का स्थान देगा ।

समानता का स्वर

आचार्य मानतुग ने भगवान् ऋषभ की स्तुति मे लिखा—
भगवन् ! आपकी आराधना करने वाला आपके समान बन जाता है इसमे आश्चर्य ही क्या है ? जो ईश्वर है, अर्हत् और तीर्थंकर है, वह यदि अपने भक्त को अपने समान नहीं बनाता है तो उस भगवान् से हमारा वास्ता ही क्या ?

नात्यद्भुतं भुवनमूषण ! भूतनाथ !
भूतैर्गुणैर्भुवि भवन्तमभिष्टुवन्त ।
तुल्या भवन्ति भवतो ननु तेन किं वा,
भूत्याश्रितं य इह नात्मसमं करोति ॥

यह अर्हत्वाद का एक बहुत बड़ा प्रकल्प है । जैन दर्शन ने जो समता की बात कही है, उसका पूरा निर्वाह होता है । ईश्वरवाद मे ऐसा नहीं होता, वहां ईश्वर ईश्वर ही बना रहता है और दूसरा नीचे ही रहता है, वह कभी ईश्वर नहीं बनता । जैन दर्शन में कहा गया—साधना करने वाला व्यक्ति एक दिन स्वयं ईश्वर बन जाता है । आध्यात्मिक दृष्टि से यह एक उत्कर्ष का सिद्धांत है । सामाजिक दृष्टि से भी यह बहुत मूल्यवान् है । यदि मालिक मजदूर को अपने समान बना ले तो फिर अहिंसक समाज संरचना पर चिंतन करने की कोई आवश्यकता ही नहीं रहे । छोटे व्यक्ति को अपने समान बना लेना तभी संभव है जब व्यक्ति मे प्रेम

का विस्तार होता है ।

जब समाज में क्रूरता पनपती है, तब अपराध बढ़ते हैं । पहले छिपे-छिपे अपराध शुरू होते हैं । जब आदमी इसमें निपुणता प्राप्त कर लेता है तब वह व्यापक अपराध करता है । आतंकवाद की पृष्ठभूमि में भी क्रूरता और शोषण मुखर है । अभिव्यक्ति में आतंकवाद प्रतीत होता है किन्तु गहरे में जाए तो क्रूरता या शोषण का तत्त्व ही मिलेगा । इन सारे संदर्भों में मानवीय सबधों की भीमासा करनी होगी ।

संबंध : सापेक्ष चिन्तन

सबधों के बिना समाज और सामाजिक जीवन नहीं हो सकता, इसीलिए मुनि को सबधातीत कहा गया है । संजोगा विष्णुमुक्कस—मुनि का जीवन सयोगातीत होता है । सामाजिक प्राणी का जीवन सम्बन्ध युक्त होता है । एक व्यक्ति सैकड़ों-सैकड़ों सबधों का जीवन जीता है । पारिवारिक, सस्थागत और राजकीय सबध चलते रहते हैं । इन सबधों की स्वस्थ भूमिका तैयार करना अपेक्षित है । ये सम्बन्ध किन तत्त्वों पर विकसित हो, इसका निर्धारण करना बहुत आवश्यक है । सामाजिक सबध की भूमिका में एक महत्त्वपूर्ण तत्त्व है—सापेक्ष चिन्तन । बहुत से लोग निरपेक्ष चिन्तन करते हैं । निरपेक्ष चिन्तन का स्वरूप है—मैंने पीया, मेरे बेल ने पीया, अब चाहे कुआ ढह पड़े । सापेक्ष का स्वरूप चिन्तन है—मैंने रोटी खाई है और मेरा पड़ोसी भूखा है तो इसका परिणाम मेरे लिए अच्छा नहीं होगा । वह चोर, डाकू या लुटेरा अवश्य बनेगा और मुझ पर ही आक्रमण करेगा । यह सापेक्ष चिन्तन होता है तो फिर स्वार्थ की सीमा निश्चित हो जाती है । यह नहीं हो सकता कि समाज के ८० प्रतिशत आदमी गुलछर्रे उड़ाए और २० प्रतिशत आदमी भूखे मरते रहे । ऐसा कब तक चलेगा ? इस स्थिति में प्रतिक्रियात्मक हिंसा अनिवार्य हो जाएगी ।

सापेक्ष व्यवहार

दूसरा सूत्र है—सापेक्ष व्यवहार । सापेक्ष व्यवहार का स्वरूप है—इनके बिना मैं नहीं रह सकता । पति यदि पत्नी के साथ निरपेक्ष व्यवहार करता है तो पारिवारिक जीवन अस्वस्थ बन जाता है । पड़ोसी पड़ोसी से निरपेक्ष व्यवहार करता है तो कटुता

बढ़ती है, शत्रुता पनपती है, न्यायालय के द्वार खटखटाने की स्थिति बन जाती है। निरपेक्ष व्यवहार में स्थिति हमेशा बिगड़ जाती है।

करुणा का विकास

तीसरा सूत्र है— करुणा का विकास। करुणा समाज व्यवस्था का प्रमुख तत्त्व है। जिस व्यक्ति में करुणा की चेतना जाग जाती है, उसका दृष्टिकोण बदल जाता है। करुणा विकसित नहीं है इसीलिए एक व्यक्ति दूसरे का सहयोग नहीं करता। अगर करुणा का विकास हो जाए तो एक मिल मालिक मजदूर के प्रति कभी क्रूर व्यवहार नहीं कर सकता। वह मजदूर का शोषण नहीं कर सकता। श्रीमद् राजचन्द्र ने देखा—मैंने जिससे सौदा किया है, वह घाटे में जा रहा है। उन्होंने यह कहकर एग्रीमेंट का रक्का फाड़ डाला—राजचंद्र दूध पी सकता है, किसी का खून नहीं पी सकता। यह है करुणा। सामाजिक सबधों का सबसे बड़ा सूत्र है करुणा। स्वामी, सेवक आदि तमाम सम्बन्धों का सूत्र होना चाहिए।

श्रम और देय का संतुलन

चौथा सूत्र है— श्रम और देय अर्थ का संतुलन। श्रम और देय अर्थ में सामंजस्य नहीं होता है तो कटुता उत्पन्न हो जाती है। एक सूत्र बना हुआ है—जितना काम उतना दाम। यह बड़ी विचित्र बात है। एक परिवार में दस आदमी हैं और एक परिवार में तीन आदमी हैं। काम दोनों ने बराबर किया तो दाम भी बराबर मिलेंगे। इस स्थिति में कैसे काम चलेगा? यह विषमता बड़ी विकट समस्या पैदा कर देती है। दूसरा सूत्र प्रस्तुत हुआ, आवश्यकतानुसार दाम का। इससे भी समस्या सुलभ नहीं पाई। श्रम और देय अर्थ की संगति कैसे हो? उसमें संतुलन कैसे हो? जब हम अहिंसा की दृष्टि से सोचते हैं तो इस सूत्र को मुख्यता देनी होगी—कोई भी व्यक्ति भूखा न रहे, ऐसी व्यवस्था हो। इसका तात्पर्य है—श्रम-निष्ठा का विकास जरूरी हो, श्रम की पूजा हो। यह नहीं हो सकता—एक व्यक्ति अर्जन करे और शेष सभी खाएं। बीमार व्यक्ति के अलावा जो खाने वाला है, उसे स्वयं क्षमतानुसार श्रम करना होगा। प्रत्येक व्यक्ति यह संकल्प ले तो इस समस्या को एक

समाधान मिल जाए। तेरापथ धर्म सघ मे संविभाग की व्यवस्था है। पचास साधु है तो सभी को गोचरी जाना होगा। सब गोचरी जाते हैं, श्रम के सविभागी बनते हैं। सविभागिता का अतिक्रमण नहीं होना चाहिए। जहा सामाजिक व्यवस्था का प्रश्न है वहां श्रम से जी चुराने की बात मान्य नहीं हो सकती। श्रम को सामजस्यपूर्ण और संतुलित मूल्य देना, इस सूत्र को अनिवार्य शर्त के रूप में स्वीकार करना होगा, मानवीय सबधो को श्रम के आधार पर विकसित करना होगा।

इन सब बिन्दुओ पर हम चिन्तन करे, लोकतन्त्र की अनेक समस्याओ का समाधान अवश्य निकल आएगा।

१६. हृदय-परिवर्तन की प्रक्रिया

अहिंसा का अर्थ है हृदय-परिवर्तन । व्यक्ति-स्वातंत्र्य का अर्थ है हृदय-परिवर्तन । हृदय-परिवर्तन के बिना व्यक्ति-स्वातंत्र्य को परिभाषित नहीं किया जा सकता और अहिंसा को भी समझा नहीं जा सकता ।

गलत अवधारणा

प्रश्न यह है—हृदय का परिवर्तन कैसे हो ? हृदय-परिवर्तन का पहला सूत्र है दृष्टिकोण का परिवर्तन । व्यक्ति का दृष्टिकोण बहुत गलत बना हुआ है । मिथ्या अवधारणाएं रूढ़ बन गई हैं । यह मान लिया गया—मनुष्य से श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है किन्तु यह जिस दृष्टि से कहा गया, उस दृष्टि से ग्रहण नहीं किया गया । विकास की दृष्टि से यह कहा जा सकता है—प्राणी-जगत् में मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है । इसका उपयोग इस रूप में कर लिया गया—मनुष्य सृष्टि का स्वामी है । जितने पदार्थ हैं, सब मनुष्य के लिए हैं क्योंकि वह सर्वश्रेष्ठ है । मनुष्य भोक्ता है, शेष सब भोग्य हैं, इसी दृष्टिकोण ने पर्यावरण को प्रदूषित कर दिया । नियता, कर्ता और भोक्ता—तीनों ही मनुष्य बन गया । उसका पदार्थ एव प्राणी जगत् के प्रति दृष्टिकोण गलत हो गया । जितने प्राणी हैं, उन सब पर मनुष्य का अधिकार है । वह उनका दोहन कर सकता है, उनका आरोहण तथा आहार कर सकता है । प्रसाधन के लिए जीवित प्राणियों के अवयवों एव चमड़े का उपयोग कर सकता है । इस सारी क्रूरता का मूल स्रोत यही अवधारणा है कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है । इसी धारणा ने मनुष्य को क्रूर और हत्यारा बनाया है ।

प्रहृषण का जिम्मा

मनुष्य अपने मनोरजन के लिए मुर्गों, खरगोशों और साड़ों को लडाता है । प्रसाधन के लिए कितनी हत्याएं होती हैं । प्राणी-जगत् के प्रति मनुष्य का दृष्टिकोण विलकुल गलत है इसीलिए हजारों प्राणियों की प्रजातियां नष्ट होती चली जा रही हैं । प्रकृति

का अपना नियम है, सतुलन है। सब प्राणी मिलकर जीते हैं तो वातावरण शुद्ध रहता है, पर्यावरण प्रदूषित नहीं होता। पर्यावरण के संतुलन में सबका योग है। मकड़ी बहुत सारे विपैले कीटाणुओं को नष्ट कर देती है। जितने जीव हैं, पदार्थ हैं, वे सब प्रकृति के संतुलन को बनाए हुए हैं। संतुलन का एक व्यवस्थित क्रम बना हुआ है। मनुष्य ने हस्तक्षेप किया और सबको नष्ट करना शुरू कर दिया। इसका अर्थ है—मनुष्य ने पर्यावरण को प्रदूषित करने का जिम्मा ले लिया।

शृंखलावद्ध समस्याएं

प्राणी जगत् के प्रति दृष्टिकोण बदले, पदार्थ-जगत् के प्रति दृष्टिकोण बदले तो पर्यावरण की समस्या को समाधान मिल जाए। आज प्राकृतिक पदार्थों का अधिक दोहन हो रहा है। उससे संतुलन विगड रहा है। जिस प्रकार खनिज पदार्थ निकाले जा रहे हैं, उससे सतुलन विगड रहा है। सभव है, १०० वर्ष बाद उनका अभाव हो जाएगा। पदार्थ के प्रति गलत दृष्टिकोण की यह भयावह निष्पत्ति है। प्राणियों का शोषण और पदार्थों का अतिरिक्त दोहन—ये दोनों दृष्टिकोण हिंसा को जन्म दे रहे हैं। प्राणियों का शोषण, प्राकृतिक पदार्थों का अतिरिक्त दोहन, युद्ध और हिंसा—इन सभी समस्याओं को अलग-अलग नहीं देख सकते। ये सारी एक शृंखला-वद्ध समस्याएं हैं।

उपादान और निमित्त

भगवान् महावीर ने दो नयों के आधार पर एक नया दृष्टिकोण दिया। उन्होंने कहा—निमित्त और उपादान, परिस्थिति और अन्तर्जंगत्—दोनों को तोड़कर मत देखो। कुछ लोग सारा भार परिस्थिति पर ही डाल देते हैं। परिस्थिति नहीं बदलेगी तो समस्या का समाधान नहीं होगा। दूसरी ओर जो अध्यात्मवादी लोग हैं, उनका मत है—अन्तर्जंगत् में सुधार नहीं होगा, उपादान नहीं बदलेगा तो समस्या का समाधान नहीं होगा। ये दोनों ही एकांगी दृष्टिकोण हैं। निमित्त और उपादान—दोनों जुड़े हुए हैं। उपादान शक्तिशाली है और निमित्त प्रतिकूल है तो उपादान कुछ नहीं कर पाएगा। निमित्त शक्तिशाली है और उपादान नहीं है तो निमित्त कुछ नहीं कर पाएगा। जो घटित होता है, इन दोनों के

धारणा बना लेना क्रूरता को जन्म देना है। हम हृदय-परिवर्तन की प्रक्रिया की मीमांसा करें। हमें सबसे पहले दृष्टिकोण को बदलना होगा। यह बात समझ में आएगी तो समस्या का समाधान हो जाएगा।

१७. क्या संभव है अहिंसा का प्रशिक्षण

वर्षा का मौसम । आधी जुलाई बीत गई । वर्षा नहीं हुई । एक व्यक्ति अपने खेत में गया । उसने देखा—खेत में मिट्टी के सिवाय कुछ भी नहीं है । इस स्थिति में सहज ही प्रश्न होगा—क्या यहाँ पौध संभव है ? फसल संभव है ? किन्तु जैसे ही वर्षा होती है, हल चलता है, बीज वपन होता है, पौध उगती है और दो-चार महीनों में फसल तैयार हो जाती है । फिर संभव-असंभव का प्रश्न सामने नहीं रहता । अहिंसा के लिए भूमि उर्वरा है । वर्षा नहीं हुई है, बीज का वपन नहीं हुआ है । सहज प्रश्न होता है—यहाँ क्या होगा ? हिंसा का बीज प्रत्येक व्यक्ति में है । साथ-साथ अहिंसा का बीज भी प्रत्येक व्यक्ति में है । जिस बीज को जैसा निमित्त मिलता है, वैसा ही प्रस्फुटित हो जाता है । मनुष्य में दोनों प्रकार के बीज हैं । किस प्रकार का निमित्त मिलता है, इसी पर सब कुछ निर्भर है ।

हिंसा के बीज : पारिवारिक वातावरण

अहिंसा के प्रशिक्षण का सूत्र है—हिंसा के बीजों को प्रसुप्त बनाकर अहिंसा के बीजों को जागृत करना । यह असंभव नहीं है । आवश्यकता है बीज उगाने और पानी सींचने की । आज कौन सा बीज बोया जा रहा है ? चारों ओर हिंसा बढ़ रही है । यदि इस बीज का वपन नहीं होता तो यह फसल नहीं बढ़ती । ध्यान देना है बीजों और निमित्तों पर । अहिंसा के बीज बोने के लिए प्रशिक्षण बहुत ही आवश्यक है । एक बच्चे को परिवार में प्रारम्भ से हिंसा के संस्कार मिलते हैं । उसमें परिग्रह के प्रति आकर्षण स्वाभाविक है । वह देखता है जो भी मिलता है, पैसे से मिलता है । वह यह भी देखता है—पैसे को लेकर झगडा भी चलता है । उसमें यह संस्कार बैठ जाता है कि लडाई-झगडा कुछ भी हो, पैसा पास में रहना चाहिए । उसने देखा—मांगने से पैसा नहीं मिला, लडाई की या धमकी दी तो पैसा मिल गया । एक संस्कार बन गया—क्रोध के बिना काम नहीं चलता । पूरे पारिवारिक वातावरण में उसे

हिंसा के निमित्त मिलते हैं। सामाजिक वातावरण में भी हिंसा के निमित्त मिलते हैं। ये सारे बीज हिंसा के हैं और उनका फल अहिंसा हो, यह बात अटपटी-सी लगती है।

शिक्षा का वातावरण

आज शिक्षा का पूरा वातावरण भी हिंसा से अछूता नहीं है। विद्यार्थी इतिहास पढ़ेगा तो निष्कर्ष निकलेगा—जिसकी लाठी उसकी भैंस। शक्ति नहीं है तो कुछ भी नहीं है। एक बच्चे में यह विवेक नहीं होता कि शक्ति का उपयोग किस दिशा में होना चाहिए? अगर शक्ति का उपयोग ठीक नहीं होता है तो शक्ति स्वयं के पतन का कारण बन जाती है, दूसरों को पीड़ा देने में लग जाती है। आज वैज्ञानिक उपकरणों द्वारा असीम शक्ति बढ़ गई, किंतु उस शक्ति का उपयोग विध्वंस के लिए हो रहा है।

शक्ति के प्रयोग की दिशा

प्रश्न है—शक्ति का प्रयोग किस दिशा में होना चाहिए? मानव कल्याण में या मानव विध्वंस में? इसके लिए आवश्यक है अहिंसा का प्रशिक्षण। आज शक्ति का बीस प्रतिशत भाग मानव कल्याण में लगता है और अस्सी प्रतिशत शक्ति ध्वंस में लगती है। सभी मनुष्यों के संस्कार समान नहीं होते। हम यह कल्पना न करें कि सबके सब अहिंसा में दीक्षित हो जाएंगे। अहिंसा का प्रशिक्षण आवश्यक है, संभव भी है और उपयोगी भी है। यह सत्य है—सबके संस्कार समान नहीं हैं किंतु इससे जुड़ा सच यह भी है—बहुत लोगों में अहिंसा के संस्कार को जागृत किया जा सकता है।

प्रशिक्षण का उपाय

अहिंसा के प्रशिक्षण का उपाय क्या हो सकता है? उसके दो उपाय हैं—सैद्धांतिक बोध और प्रायोगिक बोध।

सम्यग् बोध और सम्यक् दर्शन, जिससे अवधारणाओं का परिष्कार करने का अवसर मिले, उसके साथ-साथ प्रायोगिक प्रशिक्षण भी चले। केवल सिद्धान्त जान लेने से काम नहीं होगा। आन्तरिक परिवर्तन भी जरूरी है। मन को बीच की स्थिति में रहना है, न इधर न उधर। बाहर से इन्द्रिय का दबाव मन पर पड़ता है और भीतर से आश्रवों का, संस्कार का दबाव पड़ता है।

वेचारा मन चंचल और कमजोर बन जाता है। ऐसे में हिंसा कैसे नहीं बढ़ेगी? हमें प्रशिक्षण के समय इस बात पर ध्यान देना होगा कि मन की चंचलता को कैसे कम करें? यही है परिवर्तन का पहला सूत्र। जिसकी जितनी मानसिक चंचलता प्रबल है उतना ज्यादा वह दुःखी होगा। जिसकी जितनी मानसिक चंचलता कम है उतना ही उसका दुःख कम होगा। दुःख का सबध घटना के साथ नहीं है। उसका सबध है सवेदना के साथ। जितना मन चंचल उतना अधिक सवेदन। जितना कम चंचल मन उतना ही कम सवेदन। हिंसा भी इसी स्थिति में होती है। जब तक व्यक्ति प्रतिशोध नहीं ले लेता तब तक मन शान्त नहीं होता।

जरूरी है आंतरिक परिवर्तन

मन की चंचलता को कम करने के लिए जरूरी है आन्तरिक परिवर्तन। इसके लिए आवश्यक है ध्यान का प्रयोग। ध्यान के बिना आन्तरिक शोधन सम्भव नहीं है। वृत्तियों और आश्रवों का शोधन है आन्तरिक शोधन। यह भीतर में चले। बाहर में इन्द्रिय का प्रत्याहार करते चले। ये दोनों प्रक्रियाएँ चलेंगी तो अहिंसा के प्रशिक्षण की बात आगे बढ़ेगी। आज आंतरिक शोधन को नकार दिया गया। केवल कानून के सहारे कुछ भी नहीं हो सकता। हमें मुड़कर धर्म की ओर प्रस्थान करना होगा। धर्म का अर्थ है इन्द्रिय पर एक सीमा तक नियन्त्रण, आंतरिक वृत्तियों का शोधन। अहिंसा के प्रशिक्षण के लिए यही धर्म है। केवल शोधन—परिष्कार और नियन्त्रण, यही है अध्यात्म। इस दिशा में प्रस्थान किए बिना अहिंसा के प्रशिक्षण की बात सफल नहीं होगी। इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यवस्था और कानून का कोई मूल्य नहीं है। उनका अपना मूल्य है किन्तु उन्हें सर्वथा मूल्य दे देना हमारी भूल है। अहिंसा के प्रशिक्षण की सार्थकता के लिए इस भूल का परिष्कार करना होगा।

आंतरिक समस्याएँ

हमारी वृत्तियाँ निमित्तों के साथ व्यक्त होती हैं। क्षेत्र, काल और परिस्थिति का निमित्त है। हम सूक्ष्मता से देखें—एक वृत्ति प्रातःकाल नहीं जागती किन्तु वह सायंकाल जागती है। जो रात को नहीं जागती, वह दिन में जागती है। प्रत्येक व्यक्ति के जागरण

का अपना-अपना समय होता है। इसी आधार पर जैविक घड़ी के सिद्धान्त में प्रतिपादित किया गया—कौनसा कार्य कब करना चाहिए? यह काल का निमित्त है। आन्तरिक शोधन का भी एक समय है। मेलाटोनिन के स्राव का समय मन की चंचलता को कम करने का सबसे उचित समय है। जिस समय पीनियल ग्लैंड काम करे, वह समय आन्तरिक परिष्कार के लिए सबसे उत्तम समय है। मेलाटोनिन बाहरी क्रियाओं को निष्क्रिय कर आन्तरिक क्रियाओं को उद्दीप्त करता है। विचार, मन, भाव और वृत्तियाँ—ये ही तो हिंसा को बढ़ावा दे रही हैं। इन आन्तरिक समस्याओं पर हमने बहुत कम ध्यान दिया है। केवल राजनीति या समाज के क्षेत्र में ही नहीं, धर्म के क्षेत्र में भी लोग बाहरी बातों पर अधिक अटक गए हैं। आन्तरिक शोधन की ओर कम ध्यान दे रहे हैं। इन दोनों पर हम ध्यान देंगे तो अहिंसा की बात व्यापक बनेगी।

शिक्षा के साथ जुड़े अहिंसा का प्रशिक्षण

अहिंसा के क्षेत्र में अनेक प्रयोग चल रहे हैं किन्तु वे हमारी दृष्टि में व्यावहारिक नहीं हैं। वे मात्र अहिंसा की व्यावहारिक प्रयोगभूमियाँ हैं। एक होता है उपाय और एक होता है प्रयोग-भूमि। सबसे पहली प्रयोगभूमि है—अपना परिवार। आदमी का पारिवारिक जीवन कैसा है? पारिवारिक वातावरण में यदि अहिंसा है तो एक भूमिका उसकी सफल हो गई। दूसरी प्रयोगभूमि है समाज। अहिंसा प्रशिक्षण के जो उपाय हैं, उनसे चित्त का शोधन होता है। प्रयोगभूमि के लिए प्रशिक्षण भी चले, आन्तरिक शोधन की प्रक्रिया भी चले। इन सबको मिलाकर एक समन्वित कार्यक्रम बने तो अहिंसा के प्रशिक्षण को एक व्यापक दिशा दी जा सकती है, उस क्रम को आगे बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए प्रमुख आधार-भूमि है—शिक्षा। जब तक शिक्षा के साथ अहिंसा के प्रशिक्षण की बात नहीं जुड़ेगी तब तक इसका व्यापक स्वरूप सामने नहीं आ पाएगा।

८. अहिंसा के प्रशिक्षण की आधारभूमि

क्या अहिंसा का प्रशिक्षण संभव है ? यह प्रश्न अस्वाभाविक नहीं है, अप्रासंगिक भी नहीं है। अहिंसा परिणाम है, निष्पत्ति है। प्रवृत्ति का प्रशिक्षण हो सकता है, परिणाम का प्रशिक्षण नहीं हो सकता। यह तर्क हिंसा के लिए भी प्रस्तुत किया जा सकता है। इसमें सचाई है। हिंसा भी एक परिणाम है। प्रवृत्ति को मिटाया जा सकता है। उसका रूपांतरण किया जा सकता है। परिणाम को न मिटाया जा सकता है और न ही उसका रूपांतरण किया जा सकता है।

हिंसा : उद्भव-स्रोत
मनुष्य में एक मौलिक मनोवृत्ति है, वह है अधिकार की भावना, परिग्रह अथवा सग्रह की मनोवृत्ति। यह हिंसा का उद्भव-स्रोत है। परिग्रह की मनोवृत्ति का रूपांतरण हो जाना ही अहिंसा का उपादान है। अपरिग्रह की चेतना को जगाने के उपक्रम का नाम है अहिंसा का प्रशिक्षण और अहिंसा के प्रशिक्षण का अर्थ है अपरिग्रह की चेतना को जगाने का प्रयत्न।

परिग्रह और हिंसा
व्यक्तिगत स्वामित्व, सामूहिक स्वामित्व, राज्य का स्वामित्व, सहकारिता, केन्द्रित अर्थ-व्यवस्था, विकेन्द्रित अर्थ-व्यवस्था—इन शब्दों की मीमांसा किए बिना हम अहिंसा के प्रशिक्षण की बात सोच नहीं सकते। व्यक्तिगत स्वामित्व के प्रति बहुत आकर्षण है इसीलिए अधिक विकास के क्षेत्र में वह सर्वोत्तम प्रमाणित हुआ है। सामूहिक स्वामित्व और राज्य का स्वामित्व—दोनों अधिक विकास की दौड़ में पिछड़ गये हैं। यह इस दशक में घटित यूरोप और एशिया की घटनाओं से प्रमाणित हुआ है। सहकारिता की स्थिति भी नगभंग यही है। उनका कारण स्पष्ट है—व्यक्तिगत स्वामित्व में अधिकार की भावना प्रबल होती है। सामूहिक स्वामित्व, राज्यगत स्वामित्व और सहकारिता में वह दुबल बन

जाती है। इसका निष्कर्ष यह है कि परिग्रह और हिंसा—दोनों में गठवधन है। जहाँ अधिकार की भावना है वहाँ अर्थ-संग्रह के प्रति अधिक आकर्षण है। जहाँ अर्थ-संग्रह के प्रति अधिक आकर्षण है वहाँ हिंसा के प्रति अधिक आकर्षण है।

अहिंसा प्रशिक्षण : प्रथम बिन्दु

अहिंसा का प्रशिक्षण कहा से प्रारम्भ करें? इस प्रश्न का उत्तर उक्त समस्या का सहज समाधान है। अहिंसा का प्रारम्भ बिन्दु है—अभय। 'भय मत करो' इसे हजार बार पढ़ने वाला व्यक्ति भी भयमुक्त नहीं होगा यदि उसका शरीर के प्रति मोह है, धन और पदार्थ के प्रति मूर्च्छा है। भय का कारक-तत्त्व भीतर रहे और बाहर से अभय का पाठ पढ़ें तो लक्ष्य पूर्ण नहीं होता। भय के सवेग का परिष्कार कैसे हो? भय के उद्दीपन से कैसे बचा जाये? इन दोनों का सम्यक् बोध और प्रयोग ही अभय का प्रशिक्षण हो सकता है। इस अवस्था में ही अभय अहिंसा के प्रशिक्षण का प्रथम बिन्दु बन सकता है।

अहिंसा का बीज

अधिकार की भावना, संग्रह और भय—ये सब एक ही परिवार के सदस्य हैं। इनसे मुक्ति पाने की बात सहज संभव नहीं है। इनका परिष्कार करना संभव है। उस परिष्कार में ही छिपा रहता है अहिंसा का बीज। परिष्कार के साधनों की खोज एक जटिल प्रश्न है। चूल्हे पर पड़ा हुआ पानी गर्म हो जाता है। नीचे उतरा और फिर ठंडा हो जाता है। परिष्कार की ज्योति प्रज्वलित रहे, वह बुझे नहीं। यह कार्य सरल नहीं है, साथ-साथ विश्वास करना होगा, यह असंभव भी नहीं है।

पहला साधन-सूत्र

हिंसा उपजती है भावतंत्र में। फिर वह विचार में उतरती है और फिर आचरण में। अहिंसा के प्रशिक्षण का पहला साधन-सूत्र है भाव-विशुद्धि। विधायक भाव हो, निषेधात्मक भाव न हो। इसके लिए शरीर और मन को प्रशिक्षित करना आवश्यक है।

शारीरिक प्रशिक्षण के सूत्र

शारीरिक प्रशिक्षण के सूत्र हैं—आसन और प्राणायाम।

पद्मासन, शशाकासन, योगमुद्रा, वज्रासन सर्वांगासन, मत्स्यासन, गोदोहिकासन आदि आसन नाड़ीतत्र और ग्रथितत्र को प्रभावित करते हैं। इनके द्वारा हिंसा के शारीरिक उत्पादक तत्त्व क्षीण होते हैं। अनुलोम-विलोम, चन्द्रभेदी, नाडी-शोधन, उज्जाई और शीतली आदि प्राणायाम शरीर में उपस्थित हिंसा के बीजाणुओं का विरेचन करते हैं।

मानसिक प्रशिक्षण का सूत्र

मानसिक प्रशिक्षण का सूत्र है— ध्यान। कायोत्सर्ग, दीर्घ-श्वास-प्रेक्षा, समवृत्तिश्वास-प्रेक्षा आदि ध्यान के प्रयोग मानसिक एकाग्रता के विकास में सहयोगी बनते हैं। चंचलता जितनी कम उतनी ही हिंसा कम। चंचलता जितनी अधिक उतनी ही हिंसा अधिक।

भावात्मक प्रशिक्षण के सूत्र

शारीरिक और मानसिक प्रशिक्षण से अधिक आवश्यक है भावात्मक प्रशिक्षण। उसके साधन-सूत्र है—चैतन्य केन्द्र का ध्यान और आभामण्डलीय लेश्या ध्यान।

अनुप्रेक्षा के प्रयोग शारीरिक, मानसिक और भावात्मक—तीनों प्रशिक्षण पदों के लिए उपयोगी हैं।

आधारभूमि प्रयोगभूमि

यह अहिंसा के प्रशिक्षण की व्यक्तिगत पद्धति है। वास्तव में अहिंसा का प्रशिक्षण व्यक्ति के स्तर पर ही होता है। समाज के स्तर पर उसका प्रयोग होता है। यह कहने में कोई कठिनाई नहीं होगी कि अहिंसा के प्रशिक्षण की आधारभूमि है व्यक्ति और प्रयोग-भूमि है समाज। हिंसा के लिए भी यही कहा जा सकता है— हिंसा की आधारभूमि है व्यक्ति और प्रयोगभूमि है समाज। अहिंसक समाज रचना का महत्त्वपूर्ण घटक है—व्यक्ति-रचना। इसलिए अहिंसक व्यक्ति-रचना प्रशिक्षण का पहला चरण होगा।

पारिवारिक जीवन में अहिंसा

एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ सम्बन्ध और व्यवहार का तात्पर्य है समाज। मानवीय सम्बन्ध और निश्चल व्यवहार का प्रशिक्षण सामाजिक स्तर पर अहिंसा का प्रशिक्षण है। इसकी पहली प्रयोगभूमि है परिवार। हिंसा को युद्ध और आतंकवाद तक नीमित

करना हमें इष्ट नहीं है। युद्ध कभी-कभी और किसी-किसी भू-भाग में होने वाली घटना है। पारिवारिक जीवन में हिंसा की घटनाएँ प्रतिदिन या बहुत बार होती रहती हैं। वे मानसिक शांति में बाधा डालती हैं, व्यापक हिंसा की पृष्ठभूमि तैयार करती हैं। पारिवारिक जीवन में शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व का होना अहिंसा के प्रशिक्षण का महत्त्वपूर्ण कार्य होगा। असहिष्णुता, असयम और महत्त्वाकांक्षा—ये पारिवारिक जीवन में अशांति का विष घोल देते हैं। सहिष्णुता और सयम का अभ्यास, महत्त्वाकांक्षा का परिसीमन—ये प्रयोग पारिवारिक जीवन में होने वाली हिंसा का वातावरण बदल देते हैं।

पारिवारिक अहिंसा : अनेकांत का प्रशिक्षण

पारिवारिक अहिंसा का एक महत्त्वपूर्ण घटक है सामजस्य। भिन्न विचारों, भिन्न रुचियों में सामजस्य स्थापित किया जा सकता है। इस कार्य में अनेकांत का प्रशिक्षण बहुत सहयोगी है। उसमें स्वतंत्रता मान्य है किन्तु सापेक्षता को छोड़कर स्वतंत्रता मान्य नहीं है। सह-अस्तित्व मान्य है किन्तु अन्याय की प्रतिकारात्मक शक्ति को छोड़कर सह-अस्तित्व मान्य नहीं है। समानता मान्य है किन्तु क्षमतात्मक असमानता छोड़कर समानता मान्य नहीं है। शान्ति का आधार-स्तम्भ इतना कमजोर न हो कि भिन्नता के एक झोके से चरमरा जाए। अनेकांत के प्रशिक्षण में भिन्नता अमान्य नहीं है। शर्त इतनी है कि उसका एक छोर अभिन्नता होनी चाहिए। अभिन्नता और भिन्नता के सगम की चेतना को जगाना अहिंसक समाज-रचना की दिशा में एक नया कदम होगा।

समाज में हिंसा के आधार

सामाजिक जीवन में हिंसा के मजबूत आधार बने हुए हैं। उन्हें बहुत लम्बे समय से मान्यता मिली हुई है। जातिवाद, रंगभेद, गरीबी, क्षेत्रवाद—इन पूर्वाग्रहों से ग्रस्त समाज समय-समय पर हिंसा की आग में ईंधन डालता रहा है।

जातिवाद और रंगभेद के सर्पदंश से छुटकारा पाने के लिए मानवीय एकता का प्रशिक्षण अत्यन्त अपेक्षित है।

गरीबी की समस्या कुछ जटिल है। जटिलता का एक पहलू है—उपभोग्य सामग्री कम है, उपभोक्ता अधिक है। सविभाग या

वाट-वांट कर खाने की मनोवृत्ति का अभाव है। व्यक्तिगत सुविधा और सग्रह की भावना प्रबल है। इस समस्या को सुलभाने के लिए सविभाग का प्रशिक्षण बहुत आवश्यक है।

प्रश्न विश्व की मौलिक एकता का

राष्ट्र की भौगोलिक इकाई की उपयोगिता को मान्य करते हुए भी विश्व की मौलिक एकता का मूल्य कम नहीं होना चाहिए। अह और महत्त्वाकांक्षा का टकराव विश्व को एकसूत्र में बंधने से रोकता है। मनुष्य की चेतना इतनी विकसित भी नहीं है कि वह सबके साथ न्याय और सतुलित व्यवहार कर सके। यह स्थिति भी भौगोलिक और प्रादेशिक सीमाओं के अस्तित्व को बनाये रखने में निमित्त बन रही है। अहिंसक समाज की रचना के लिये भौगोलिक सीमाओं की समाप्ति अनिवार्य शर्त नहीं है। उसकी अनिवार्य शर्त यह है कि भौगोलिक सीमाओं के अस्तित्व के साथ मानवीय एकता का धागा टूटे नहीं।

अहिंसा का प्रशिक्षण - आधारभूत तत्त्व

अहिंसा के प्रशिक्षण का आधारभूत तत्त्व है - हृदय-परिवर्तन अथवा मस्तिष्कीय प्रशिक्षण। हृदय-परिवर्तन के लिए निम्न निर्दिष्ट सिद्धांत-सूत्रों का प्रशिक्षण आवश्यक होगा

हिंसा के हेतु

परिणाम

- | | |
|--------------------|---|
| १. लोभ | अधिकार की मनोवृत्ति |
| २. भय | शस्त्र-निर्माण और शस्त्र का प्रयोग। |
| ३. वैर-विरोध | प्रतिशोध की मनोवृत्ति। |
| ४ क्रोध | कलहपूर्ण सामुदायिक जीवन। |
| ५ अहंकार | घृणा, जातिभेद के कारण छुआछूत, रंगभेद-जनित विद्वेष। |
| ६ क्रूरता | शोषण, हत्या। |
| ७ असहिष्णुता | साम्प्रदायिक भगड़ा। |
| ८ निरपेक्ष चिन्तन | आग्रहपूर्ण मनोवृत्ति, दूसरों के विचारों को मूल्य न देने की मनोवृत्ति। |
| ९ निरपेक्ष व्यवहार | सामुदायिक जीवन में पारस्परिक असहयोग की मनोवृत्ति। |

ये सवेग व्यक्ति को हिंसक बनाते हैं। हृदय-परिवर्तन का

अर्थ है—इन सवेगो का परिष्कार करना, इनके स्थान पर नये सस्कार-वीजो का वपन करना ।

मस्तिष्कीय प्रशिक्षण के सूत्र

- | | |
|-----------------------------|---|
| १. लोभ का अनुदय | शरीर और पदार्थ के प्रति अमूर्च्छा भाव का प्रशिक्षण । |
| २. भय का अनुदय | अभय का प्रशिक्षण । शस्त्र-निर्माण और शस्त्र का व्यवसाय न करने की सकल्प-शक्ति का प्रशिक्षण । |
| ३. वैर-विरोध का अनुदय | मैत्री का प्रशिक्षण । प्रतिशोधात्मक मनोवृत्ति से बचने का प्रशिक्षण । |
| ४. क्रोध का अनुदय | क्षमा का प्रशिक्षण । |
| ५. अहकार का अनुदय | विनम्रता का प्रशिक्षण, अहिंसक प्रति-रोध का प्रशिक्षण, अन्याय के प्रति असहयोग का प्रशिक्षण । |
| ६. क्रूरता का अनुदय | करुणा का प्रशिक्षण । |
| ७. असहिष्णुता का अनुदय | साम्प्रदायिक सद्भाव का प्रशिक्षण, भिन्न विचारों को सहने का प्रशिक्षण । |
| ८. निरपेक्ष चिन्तन का अभाव | सापेक्ष चिन्तन का प्रशिक्षण । |
| ९. निरपेक्ष व्यवहार का अभाव | सापेक्ष व्यवहार का प्रशिक्षण । |
| १०. निषेधात्मक भाव का अभाव | विधायक भाव का प्रशिक्षण । |

अनावश्यक हिंसा का वर्जन

अहिंसा के प्रशिक्षण का एक सूत्र होगा—अनावश्यक हिंसा के वर्जन की चेतना को जगाना । पानी का अपव्यय, खनिज पदार्थों का अतिरिक्त दोहन, निरपराध प्राणियों और मनुष्यों की हत्या, यह अनावश्यक हिंसा है । इस हिंसा ने व्यक्ति को क्रूर बनाया है । इससे प्रकृति का सतुलन बिगड़ा है ।

शारीरिक स्वास्थ्य और अहिंसा

शारीरिक स्वास्थ्य और अहिंसा में भी आन्तरिक सम्बन्ध

है। शारीरिक स्वास्थ्य के अभाव में हिंसा का भाव उपजता है। आत्महत्या का एक हेतु है रक्त में शर्करा की कमी होना। यकृत (लीवर) और तिल्ली (स्प्लीन) की विकृति हिंसा के भाव को जन्म देती है। हिंसा और अहिंसा से सम्बन्ध रखने वाले आहार-शास्त्र और स्वास्थ्य-शास्त्र का प्रशिक्षण अहिंसा के प्रशिक्षण का एक महत्त्वपूर्ण अंग है।

आर्थिक स्वास्थ्य और अहिंसा

आर्थिक स्वास्थ्य के लिए इन सूत्रों का प्रशिक्षण आवश्यक है—

१. विसर्जन की मनोवृत्ति का प्रशिक्षण।
२. असप्रह का प्रशिक्षण।
३. विकेन्द्रित अर्थ-व्यवस्था का प्रशिक्षण।
४. अर्थशास्त्र और विश्व शांति।
५. अर्थशास्त्र और स्वस्थ समाज।
६. अर्थार्जन में प्रामाणिकता का प्रशिक्षण।
७. संविभाग की मनोवृत्ति का प्रशिक्षण।
८. उपभोग की असीम लालसा के नियमन एवं उपभोग के सीमाकरण का प्रशिक्षण।

अहिंसक समाज अथवा स्वस्थ समाज की रचना के लिए शारीरिक, मानसिक, भावात्मक और आर्थिक स्वास्थ्य-सभी का योग जरूरी है। अहिंसा का प्रशिक्षण इन सब पर आधारित है।

अहिंसा प्रशिक्षण आधार और प्रयोगभूमि

अहिंसा प्रशिक्षण की पद्धति का मौलिक आधार है अहिंसा-निष्ठ व्यक्तित्व का निर्माण। उसकी प्रयोगभूमियां चार हैं—

१. पारिवारिक जीवन।
२. सामाजिक जीवन।
३. राष्ट्रीय जीवन।
४. अन्तर्राष्ट्रीय जीवन।

प्रत्येक मनुष्य मानसिक और क्षेत्रीय सीमाओं में विभक्त है। अहिंसा के लिए अविभक्त या अखण्ड व्यक्तित्व की अपेक्षा है। इस अपेक्षा की पूर्ति के लिए प्रशिक्षण को बहु-आयामी करना होगा।

व्यक्ति को छोड़कर केवल अहिंसक समाज रचना की बात सोचना एक बहुत बड़ी भ्रान्ति है। अहिंसक समाज रचना की बात को छोड़कर केवल व्यक्ति को अहिंसक बनाने की बात सोचना भी भ्रम से परे नहीं है। व्यक्ति का निर्माण समाज-सापेक्ष और समाज का निर्माण व्यक्ति-सापेक्ष होता है। इन दोनों सचाइयों को ध्यान में रखकर ही अहिंसा के प्रशिक्षण की बात को आगे बढ़ाया जा सकता है।

१९. अहिंसा प्रशिक्षण और जीवन-मूल्य

मूल्यों की समस्या एक जागतिक समस्या है। मूल्यों का ह्रास हो रहा है। प्रत्येक चिन्तनशील व्यक्ति इस चिन्ता से व्याकुल है। उनकी प्रतिष्ठा हो, यह सबकी आकांक्षा और अपेक्षा है। मूल्यों का ह्रास क्यों हो रहा है, यह अन्वेषण का विषय है। वे पुनः प्रतिष्ठित कैसे हो, यह हमारे कर्तव्य का विषय है। असीम आर्थिक महत्त्वाकांक्षा और सुख-सुविधावादी दृष्टिकोण ने मूल्यों का ह्रास किया है। येन-केन-प्रकारेण साधन जुटाने की मनोवृत्ति और मूल्यों की प्रतिष्ठा दोनों एक साथ नहीं चल सकते। साधनशुद्धि का विचार जितना क्षीण होता है, मूल्यों का स्तर उतना ही नीचे आ जाता है। नैतिक मूल्य और आध्यात्मिक मूल्य—दोनों साधन-शुद्धि के साथ अनिवार्य रूप से जुड़े हुये हैं। इन दोनों मूल्यों के बिना मानवीय मूल्यों की स्पष्ट व्याख्या ही नहीं की जा सकती।

सम्यग् दर्शन

अपरिग्रह और अहिंसा आध्यात्मिक मूल्य हैं। प्रामाणिकता अथवा ईमानदारी नैतिक मूल्य हैं। इनकी प्रतिष्ठा साधन-शुद्धि-सापेक्ष दृष्टिकोण होने पर ही की जा सकती है। इस अर्थ में कहा जा सकता है अनेकात अथवा सापेक्ष दृष्टिकोण मूल्यों का मूल्य है। वह सम्यग् दर्शन है। उसके बिना सम्यग् आचार की कल्पना नहीं की जा सकती। अहिंसा के प्रशिक्षण की आधारभूमि सम्यग्-दर्शन है। दृष्टिकोण को बदले बिना अहिंसा के विकास का प्रयत्न वैसे ही है, जैसे कोई आदमी बीज बोये बिना फसल खड़ी करना चाहता है। क्या हमारा दृष्टिकोण धन और धन-मग्नह के प्रति यथार्थवादी है? क्या हमारा दृष्टिकोण वस्तु और वस्तु-भोग के प्रति यथार्थवादी है? यदि है, तो अहिंसा प्रशिक्षण से अहिंसा के बीज की चुआई हो जायेगी।

आकर्षण का कारण

वर्तमान विश्व एकांगीदृष्टिकोण की समस्या में उलझा हुआ

है। आर्थिक और भौतिक विकास की एकांगी अवधारणा ने हिंसा के आचरण को बढ़ावा दिया है। उस दृष्टिकोण को बदले बिना अहिंसा का आचरण बढ़े, इसकी सभावना नहीं की जा सकती। इन दशकों में अहिंसा के प्रति जो आकर्षण बढ़ा है, वह हिंसा से उत्पन्न समस्या के कारण बढ़ा है। हत्या, आतक, सहारक शस्त्रों का निर्माण, हिंसक संघर्ष और युद्ध—ये हिंसक समस्याएं समाज की शांति को भंग करती हैं। सचमुच शांति भंग हो रही है, इसलिये अहिंसा के प्रति आकर्षण बढ़ा है। सबको लग रहा है—वर्तमान की अशांति को मिटाने का सबसे सुन्दर समाधान अहिंसा है।

अवधारणा बदले

अहिंसा हिंसा से उत्पन्न समस्याओं का समाधान है, इसमें कोई सदेह नहीं है पर अनेकात दृष्टिकोण का विकास हुए बिना वह समाधान नहीं बनती। इस सच्चाई को हम कैसे झुठलाएंगे कि आज के मनुष्य का दृष्टिकोण जितना पदार्थ-सापेक्ष है, उतना मनुष्य-सापेक्ष अथवा प्राणी-सापेक्ष नहीं है। वह पदार्थ के लिये मनुष्य के प्रति क्रूर व्यवहार कर सकता है, प्राणी के प्रति निर्मम हो सकता है। इस स्थिति में अहिंसा का मूल्य कैसे प्रतिष्ठित किया जाये? जिस अवधारणा ने हिंसा को बढ़ावा दिया है, उस अवधारणा को बदला जा सकता है? हमारा मनोबल विकसित हो, सकल्प बल प्रकृष्ट हो तो अवश्य बदला जा सकता है। उसे बदलने के लिये ही अहिंसा का प्रशिक्षण आवश्यक है।

प्रशिक्षण का उद्देश्य

अहिंसा के प्रशिक्षण का प्रारम्भ विन्दु है हृदय-परिवर्तन अथवा मस्तिष्कीय परिवर्तन। यह परिवर्तन हिंसा के प्रति नहीं, पदार्थ के प्रति होगा। हमारा निश्चित मत है—अपरिग्रह की समस्या को छोड़कर हम हिंसा की समस्या पर विचार नहीं कर सकते। आग्रहवश विचार करें भी तो उसकी सार्थकता नहीं होगी। अहिंसा प्रशिक्षण का उद्देश्य है—समता के मूल्य का विकास। उसके लिये अपरिग्रह, अहिंसा और अनेकात—यह त्रिकोणात्मक मूल्य हैं। इसके द्वारा ही समता के मूल्य को प्रतिष्ठित किया जा सकता है।

यह अहिंसा प्रशिक्षण का हमारा विनम्र प्रयत्न एक नई दिशा

की संयोजना में सफल हो । हम सब इस सकल्प को शक्तिशाली बनायें और मंगल कामना करें—अहिंसा के मूल्य की प्रतिष्ठा करने के लिये हमारे चरण आगे बढ़ें ।

२०. अहिंसा का प्राणतत्त्व

अहिंसा का प्राणतत्त्व क्या है ? इस प्रश्न का उत्तर यदि मुझे देना हो तो मेरा उत्तर होगा—हृदय-परिवर्तन । हृदय-परिवर्तन के बिना अहिंसा की कल्पना भी नहीं की जा सकती । इसका पर्याय-वाची शब्द हो सकता है भावात्मक परिवर्तन । हृदय हमारे शरीर का वह क्षेत्र है, जहाँ भाव जन्म लेते हैं और वे शरीर, वाणी एवं मन को प्रभावित करते हैं । आयुर्वेद के अनुसार हृदय दो हैं । एक फुफ्फुस के नीचे और दूसरा मस्तिष्क में । प्रेक्षाध्यान की पद्धति के अनुसार मस्तिष्कीय हृदय की पहचान अवचेतक (हाइपोथेलेमस) से की गई है । वह भाव-धारा का उद्गम स्रोत है । वहाँ भाव जन्म लेते हैं और अभिव्यक्त होते हैं । शरीर-विज्ञान के अनुसार अन्त-स्रावी ग्रंथियाँ मनुष्य के व्यवहारों और आचरणों को प्रभावित करती हैं । उन ग्रंथियों में मुख्य ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि । उसका नियामक है अवचेतक (हाइपोथेलेमस) ।

हिंसा की उपज के संदर्भ

हिंसा की उपज के संदर्भ अनेक हैं—

१. असंतुलित समाज व्यवस्था,
२. असंतुलित राजनैतिक व्यवस्था,
३. शस्त्रीकरण की समस्या,
४. जातीय और रंगभेद की समस्या,
५. सांप्रदायिक समस्या,
६. मानवीय संघर्षों में असंतुलन,
७. आर्थिक स्पर्धा और अभाव,
८. मानसिक तनाव,
९. वैचारिक मतभेद,
१०. भावात्मक असंतुलन,
११. व्यक्तिगत रासायनिक असंतुलन ।

वस्तु-जगत् : अन्तर्जगत्

इनमें प्रथम सात संदर्भ वस्तु-जगत् (आब्जेक्ट) से संबंध

रखते हैं। अंतिम चार सदर्म अंतर्जगत् (सब्जेक्ट) से संबध रखते हैं। अहिंसा प्रशिक्षण की प्रणाली पर विचार करते समय इन दोनों सदर्मों पर ध्यान देना आवश्यक है। किसी एक ही तत्त्व से हिंसा की समस्त समस्याओं का समाधान हो जाये, इसमें हमारा विश्वास नहीं है। सब रोगों की एक दवा वाली कहावत हमारी दृष्टि में बहुत सार्थक नहीं है। वस्तु-जगत् से संबध रखने वाली हिंसा को कम करने और अहिंसा को प्रतिष्ठित करने के लिये गणाधिपति श्री तुलसी ने अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया। उसके आधार पर प्रशिक्षण के सूत्र भी खोजे गये हैं।

हिंसा का संबध

अहिंसा प्रशिक्षण का सूत्र

- | | |
|-------------------------------|--|
| १. असंतुलित समाज व्यवस्था | अहिंसक जीवन शैली का प्रशिक्षण |
| २. असंतुलित राजनैतिक व्यवस्था | लोकतंत्रीय जीवन-शैली का प्रशिक्षण |
| ३. शस्त्रीकरण की समस्या | मानवीय अस्तित्व की सुरक्षा का प्रशिक्षण |
| ४. जातीय और रंगभेद की समस्या | मानवीय एकता का प्रशिक्षण |
| ५. सांप्रदायिक समस्या | धर्म या सत्य की मौलिक एकता का प्रशिक्षण |
| ६. मानवीय संबधों का असंतुलन | समता और आत्मतुला के सिद्धांत का प्रशिक्षण |
| ७. आर्थिक स्पर्धा और अभाव | व्यक्तिगत स्वामित्व की सीमा तथा व्यक्तिगत उपभोग की सीमा का प्रशिक्षण |

अंतर्जगत् से संबध रखने वाली हिंसा को कम करने के लिये अनेकांत का प्रशिक्षण और प्रेक्षाध्यान के प्रयोग उपयोगी हैं।

- | | |
|----------------------|--|
| ८. मानसिक तनाव | कायोत्सर्ग और श्वासप्रेक्षा का प्रशिक्षण |
| ९. वैचारिक मतभेद | अनेकांत का प्रशिक्षण |
| १०. भावात्मक असंतुलन | चैतन्यकेन्द्र-प्रेक्षा और लक्ष्या-ध्यान का प्रशिक्षण |

११. व्यक्तिगत रासायनिक
असतुलन

प्रेक्षाध्यान के पाचों चरणों का
प्रशिक्षण ।

व्यक्ति और समाज

वर्तमान चिंतन की अभिमुखता समाज की ओर अधिक है । व्यक्ति गौण है । समाज प्रमुख है । समाज में परिवर्तन, समाज का सुधार, समाज का विकास—चिंतन के ये प्रमुख बिन्दु हैं । व्यवस्था और कानून को सामाजिक बनाया जा सकता है । उनका सबध वस्तु और दडशक्ति से है । इसलिए उन्हें सब पर समान रूप से लागू किया जा सकता है । अहिंसा का संबंध अतर्जंगत् और हृदय-परिवर्तन से है इसलिए उसे सब पर समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता, समाजव्यापी नहीं बनाया जा सकता । अहिंसा दडशक्ति का स्थान नहीं ले सकती । उसके द्वारा समाज को शासित नहीं किया जा सकता । उक्त विचार अहिंसा की दुर्बलता और हिंसा के समर्थन के लिए पर्याप्त शक्तिशाली है । इसके आधार पर यह निष्कर्ष निकाला जाता है कि समाज को अहिंसा की अपेक्षा अच्छी व्यवस्था की जरूरत है ।

इस निष्कर्ष में जो सचाई है, उसे मैं उलटने का प्रयत्न नहीं कर रहा हूँ किन्तु सचाई का दूसरा पहलू, जिसकी हमेशा अपेक्षा की जाती है, उसे प्रस्तुत करना चाहता हूँ । व्यवस्था के बारे में जितना ध्यान दिया गया, उतना ध्यान व्यवस्था के संचालन करने वाले के बारे में नहीं दिया गया । व्यवस्था समाज के लिये होती है । उसे संचालित करने वाला व्यक्ति होता है । व्यवस्था बहुत अच्छी है किन्तु यदि उसे संचालित करने वाला व्यक्ति अच्छा नहीं है तो क्या अच्छी व्यवस्था अच्छा परिणाम लाएगी ? व्यवस्था को संचालित करने वाला व्यक्ति अच्छा है और व्यवस्था अच्छी नहीं है तो भी समस्या मुलभू नहीं पाएगी । अनेकान्त या समग्रता का दृष्टिकोण यह है— अच्छी व्यवस्था और उसे संचालित करने वाला अच्छा व्यक्ति—दोनों का योग । अहिंसा के प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है— अच्छे व्यक्ति का निर्माण अथवा अहिंसानिष्ठ व्यक्ति का निर्माण ।

व्यक्ति गौण नहीं है

व्यक्ति को अहिंसा से प्रशिक्षित किया जा सकता है, समाज

और राष्ट्र को नहीं। इस अवधारणा को सापेक्षदृष्टि से ही स्वीकार किया जा सकता है। व्यक्ति और समाज को विभक्त नहीं किया जा सकता। व्यक्ति समाज से प्रभावित होता है और समाज व्यक्ति से प्रभावित होता है। दोनों में अन्योन्याश्रय सबध है। व्यक्ति का अतर्जगत् उसकी वैयक्तिकता है, उसका विस्तार है समाज। सामाजिक परिवर्तन या क्रांति चाहे राजनैतिक हो या आध्यात्मिक, हम व्यक्ति को गौण नहीं कर सकते। प्रेक्षाध्यान को भले ही हम सामाजिक अहिंसा के साथ सीधा न जोड़ें किन्तु परोक्षतः सामाजिक अहिंसा से उमका सबध स्वाभाविक है।

व्यक्तित्व रूपान्तरण का मौलिक रूप

व्यक्तित्व का रूपान्तरण सरल कार्य नहीं है। हर व्यक्ति में विधायक और निषेधात्मक—दोनों भावों के स्रोत विद्यमान रहते हैं। निषेधात्मक भाव हिंसा को जन्म देते हैं और विधायक भाव अहिंसा को। सामाजिक वातावरण निषेधात्मक भावों को अधिक उभारता है, इसलिए जाने-अनजाने में हिंसा की समस्या जटिल होती रहती है। आज इसकी जटिलता शिखर पर है। प्रेक्षाध्यान निषेधक भावों से अप्रभावित रहने का प्रयोग है। यदि हम निषेधात्मक भाव के स्रोतों के साथ अपना सपर्क स्थापित कर सकें तो निषेधात्मक भावों से अप्रभावित रहना हमारे लिए सरल हो सकता है। चैतन्य-केन्द्र-प्रेक्षा का आशय है—कपाय क्षेत्र पर अपना नियंत्रण स्थापित करना। व्यक्तित्व या चेतना के रूपान्तरण का यह मौलिक रूप है।

अहिंसा का प्रशिक्षण अनुप्रेक्षा के प्रयोग

व्यक्तित्व के रूपान्तरण के लिये अनुप्रेक्षा के प्रयोग बहुत सफल रहे हैं। इस प्रयोग में मस्तिष्क और पूरे शरीर को शिथिल कर नुभाव दिये जाते हैं, साथ-साथ रगों का ध्यान भी किया जाता है। ध्वनि और रग—ये दोनों अचेतन या अवचेतन मन को प्रभावित करते हैं। इनसे पुराने सस्कारों और अजित आदतों का क्षय हो जाता है, नए सस्कारों और नई आदतों के निर्माण की भूमि प्रशस्त हो जाती है। नौ नरणों में सम्पन्न होने वाला यह प्रयोग नकल्पशक्ति, आत्मविश्वास और आत्मनिरीक्षण की क्षमता को बढ़ाता है। अहिंसा के विकसन के लिए पान्च अनुप्रेक्षाओं का ध्यान

अनिवार्य है—

- १ अभय की अनुप्रेक्षा
२. सहिष्णुता की अनुप्रेक्षा
३. करुणा की अनुप्रेक्षा
- ४ मैत्री की अनुप्रेक्षा
- ५ स्वावलम्बन की अनुप्रेक्षा ।

शिक्षा और अहिंसा

अहिंसा के प्रशिक्षण को व्यापक बनाने के लिये उसे शिक्षा के साथ जोड़ना आवश्यक है । सामाजिक स्वास्थ्य, वैयक्तिक स्वास्थ्य और मानसिक शांति के लिए अहिंसा का प्रशिक्षण सर्वाधिक आवश्यक है । शिक्षा में उसकी इतनी उपेक्षा क्यों की गई, इसका उत्तर मुझे नहीं मिल रहा है । अन्तर्राष्ट्रीय तनाव और शस्त्रीकरण ने मानव समाज को इस सचाई की ओर दृष्टिपात करने के लिए विवश किया है । इस विवशता में जो स्व-वशता निकली है, वह सुनहले भविष्य का सकेत है । १९ नवम्बर, १९९० में जो अहिंसा का अभिलेख लिया गया, वह इस युग के इतिहास की महत्त्वपूर्ण घटना है । नाटो तथा वारसा संधि देशों के चौंतीस राष्ट्राध्यक्षों ने युगान्तरकारी निःशस्त्रीकरण संधि पर हस्ताक्षर कर शीतयुद्ध को अंतिम विदाई दे दी । शीतयुद्ध का वातावरण नई साभेदारी और आपसी मैत्री में बदल गया । इसके साथ मध्यम दूरी के लघु प्रक्षेपास्त्रों के परिसीमन की संधि कर सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाच्योव और अमेरिकी राष्ट्रपति बुश ने नया अध्याय खोला था । निष्कर्ष साफ है कि शीतयुद्ध, भय, तनाव और शस्त्रीकरण के वातावरण में विश्व की व्यवस्था सम्यक् प्रकार से चल नहीं सकती । आखिर हिंसा से अहिंसा की ओर प्रस्थान करना ही होता है । यदि अहिंसा की शिक्षा स्कूली शिक्षा के साथ हो तो नए नेतृत्व की सफलता के लिए नए क्षितिज हमारे सामने उपस्थित हो सकते हैं । विद्यार्थी को प्रेक्षाध्यान के प्रयोग जीवन-विज्ञान के नाम से करवाए जाते हैं । उससे नैतिक शिक्षा और अहिंसा की शिक्षा—दोनों की संपूर्ति हो जाती है ।

अहिंसा के व्यावहारिक प्रयोग और प्रशिक्षण

विश्व के अनेक अंचलो में अहिंसक समाज की रचना की

दृष्टि से अनेक व्यावहारिक प्रयोग चलाए जा रहे हैं। उनकी सार्थकता पर कोई प्रश्नचिह्न नहीं लगा सकता। ये प्रयोग समाज को व्यावहारिक प्रशिक्षण देते हैं। यह स्वीकार करने में भी मुझे कोई कठिनाई नहीं है। फिर भी एक बात शेष रह जाती है, वह है—अहिंसा के क्षेत्र में किये जाने वाले प्रयोग कितने चिरजीवी और कितने सफल होते हैं, यह अपने आप में एक समस्या है। इस समस्या का अहिंसा के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों ने अनुभव किया होगा। प्रेक्षाध्यान अहिंसा का वस्तुनिष्ठ प्रयोग नहीं है, वह केवल आंतरिक चेतना के रूपान्तरण या हृदय-परिवर्तन का प्रयोग है। हमारा अभिमत है—हृदय-परिवर्तन के बिना सामाजिक विषमता को दूर करने और आर्थिक असमानता को मिटाने की जो बात कही जाती है, वह क्रियान्वित नहीं होती। बुराई को रोकने का शक्तिशाली माध्यम है दंडशक्ति का प्रयोग। बुराई की चेतना को बदलने का शक्तिशाली प्रयोग है—हृदय-परिवर्तन। अहिंसा में आस्था रखने वाला दंडशक्ति पर भरोसा नहीं करता। उसका विश्वास हृदय-परिवर्तन पर होता है। इस अपेक्षा से कहा जा सकता है—प्रेक्षाध्यान सामाजिक विषमता और आर्थिक असमानता के उन्मूलन का प्रयोग है।

महान् संकल्प

आचार्य श्री तुलसी द्वारा अणुव्रत आंदोलन का प्रवर्तन किया गया। उसके प्राणतत्त्व ये हैं—

- ० अनावश्यक हिंसा न हो।
- ० निरपराध की हिंसा न हो।
- ० जातीय घृणा समाप्त हो, जातिभेद और रंगभेद के आधार पर हीनता और उच्चता की भावना समाप्त हो।
- ० सांप्रदायिकता के आधार पर संघर्ष न हो।
- ० मादक वस्तुओं के सेवन की प्रवृत्ति मिटे।

यह वर्तमान की ज्वलंत समस्याओं के समाधान की दिशा में होने वाला महान् संकल्प है। इनके लिए आंतरिक चेतना के रूपान्तरण या हृदय-परिवर्तन का प्रायोगिक उपक्रम है—प्रेक्षाध्यान।

२१. अनेकान्त और अहिंसा

हमारा जगत् द्वन्द्वात्मक अथवा भेदाभेदात्मक है। अभेद छिपा रहता है और भेद सामने है। मनुष्य मनुष्य में अनेक प्रकार के भेद है —

१. मान्यता अथवा अवधारणा का भेद।
- २ विचार का भेद।
- ३ रुचि का भेद।
- ४ स्वभाव का भेद।
- ५ सवेग का भेद।

मान्यता-भेद

मान्यता-भेद के आधार पर अनेक सम्प्रदाय बने हैं, उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ है। सांप्रदायिक भेद होना वैचारिक स्वतंत्रता का लक्षण है। मनुष्य यात्रिक नहीं है। वह चिन्तनशील प्राणी है, अपने ढंग से सोचता है, सिद्धान्त का निर्धारण करता है और स्वीकार करता है।

मनुष्य चिन्तनशील होने के साथ-साथ सवेगयुक्त भी है। यदि वह केवल चिन्तनशील होता तो भेद भेद ही रहता। वह विरोध का रूप लेकर साम्प्रदायिक विद्वेष, कलह और झगड़े की स्थिति का निर्माण नहीं करता। सांप्रदायिक उत्तेजना का मूल कारण सिद्धांत-भेद नहीं है, उसका कारण है सवेगजनित आग्रह।

विचार-भेद

प्रत्येक मनुष्य का अस्तित्व स्वतन्त्र है इसलिए चिन्तन का भेद होना स्वाभाविक है। यदि वह यन्त्र होता अथवा यन्त्र द्वारा संचालित होता तो एक ही प्रकार से सोचता। वह वैसा नहीं है। सबकी अपनी-अपनी चेतना है, इसलिए अपना-अपना चिन्तन हो, यह अस्वाभाविक नहीं है। यह विचार का भेद सवेग से प्रभावित होकर सघर्ष की स्थिति का निर्माण करता है।

रुचि-भेद

इन्द्रिय सवेदना सब मनुष्यों की एक जैसी नहीं होती। एक

वस्तु किसी मनुष्य के लिए सुख के सवेदन का हेतु बनती है और किसी के लिए दुःख के सवेदन का। सवेदन की भिन्नता में कोई संघर्ष नहीं है। इसमें संघर्ष की चिनगारी डालने वाला सवेग ही है।

स्वभाव-भेद

जितने मनुष्य उतने स्वभाव, नाना प्रकार की आदतें। स्वभाव-भेद के लिए उत्तरदायी है मनुष्य के आन्तरिक व्यक्तित्व की प्ररचना। स्वभाव-भेद के कारण जो टकराव होता है, उसके लिए उत्तरदायी है सवेग।

संवेग-भेद

मनुष्य मनुष्य में होने वाले भेद का प्रमुख कारण है सवेग, किन्तु सब मनुष्यों में सवेग समान नहीं होता। उसका तारतम्य ही भेद का सृजन करता है। सवेग की तरतमता के मुख्य प्रकार तीन और अवान्तर प्रकार नौ हैं—

- १ मृदु—अल्प मात्रा वाला सवेग।
- २ मध्य—मध्य मात्रा वाला सवेग।
- ३ तीव्र—अधिक मात्रा वाला सवेग।

मृदु के तीन प्रकार हैं—मृदु, मध्यमृदु और अधिमात्र मृदु।

मध्य के तीन प्रकार हैं—मध्य, मध्यमध्य और अधिमात्र मध्य।

तीव्र के तीन प्रकार हैं—तीव्र, मध्यतीव्र और अधिमात्र तीव्र।

मृदु सवेग वाला व्यक्ति शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व में विश्वास करता है। वह तोड़-फोड़, कलह आदि प्रवृत्तियों में भाग नहीं लेता और आत्महत्या तथा परहत्या की कल्पना भी नहीं करता।

मध्य सवेग वाला व्यक्ति कलह, उपद्रव, तोड़-फोड़ आदि में प्रवृत्त होता है।

मध्य-मध्य सवेग वाला व्यक्ति वर्ण और जाति के आधार पर घृणा करता है, छुआछूत में विश्वास करता है, ऊच-नीच की भेद-रेखा को विस्तार देता है।

अधिमात्र मध्य सवेग वाला व्यक्ति साम्प्रदायिक उत्तेजना

अपने-अपने मौलिक गुणों के कारण अपनी विशिष्टता बनाए हुए हैं ।

व्यवहार-पक्ष—मनुष्य की स्वतन्त्रता अथवा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का मूल्यांकन किए बिना समाज स्वस्थ नहीं रहता । सामाजिकता के महत्त्व को स्वीकार करते हुए भी वैयक्तिक स्वतन्त्रता का मूल्य कम नहीं आकना चाहिए ।

साधना-पक्ष—एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की स्वतन्त्रता में बाधक न बने । ऐसा वही व्यक्ति कर सकता है, जो अपने विचार को सर्वोपरि सत्य नहीं मानता । अपने विचार को ही सब कुछ मानने वाला दूसरे की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप किए बिना नहीं रहता । इस हस्तक्षेपी मनोवृत्ति को बदलने के लिए स्वतंत्रता की अनुप्रेक्षा बहुत मूल्यवान् है ।

सापेक्षता

दार्शनिक-पक्ष—हमारा अस्तित्व स्वतंत्र और निरपेक्ष है किन्तु हमारा व्यक्तित्व सापेक्ष है । व्यक्तित्व की सीमा में स्वतंत्रता भी सापेक्ष है । इसलिए कोई भी व्यक्ति पूर्ण स्वतंत्र नहीं है और वह पूर्ण स्वतंत्र नहीं है इसलिए सापेक्ष है । विकासवाद का सूत्र है—जीवन का मूल आधार है संघर्ष । अनेकात का सूत्र है—जीवन का मूल आधार है परस्परवलम्बन । एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के सहारे पर टिका हुआ है ।

व्यवहार-पक्ष—एकांगी दृष्टिकोण वाले विचारक व्यक्ति और समाज को खडित कर देते हैं । कोई विचारक समाज को ही सब कुछ मानता है, तो कोई विचारक व्यक्ति को ही सब कुछ मानता है । अनेकात का दृष्टिकोण सर्वांगीण है । उसके अनुसार व्यक्ति और समाज—दोनों सापेक्ष हैं । यदि समाज ही सब कुछ है तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता अर्थहीन हो जाती है और यदि व्यक्ति ही सब कुछ है, तो सापेक्षता का कोई अर्थ नहीं होता । स्वतंत्रता की सीमा है सापेक्षता और सापेक्षता की प्रयोगभूमि है व्यक्ति एव समाज के बीच होने वाला सम्बन्ध सूत्र ।

मानवीय सम्बन्धों में जो कटुता दिखाई दे रही है, उसका हेतु निरपेक्ष दृष्टिकोण है । सकीर्ण राष्ट्रवाद और युद्ध भी निरपेक्ष दृष्टिकोण के परिणाम हैं । सापेक्षता के आधार पर सम्बन्ध-विज्ञान

को व्यापक आयाम दिया जा सकता है। मनुष्य, पदार्थ, विचार, वृत्ति और अपने शरीर के साथ सम्बन्ध का विवेक करना अहिंसा के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। मनुष्यों के प्रति क्रूरतापूर्ण, पदार्थ के प्रति आसक्तिपूर्ण, विचारों के साथ आग्रहपूर्ण, वृत्तियों के साथ असत्य, शरीर के साथ मूर्च्छापूर्ण सम्बन्ध है, तो हिंसा अवश्य-भावी है।

साधना-पक्ष—एकांगी अथवा निरपेक्ष दृष्टिकोण को बदलने के लिए अभ्यास आवश्यक है। परिवर्तन केवल जानने मात्र से नहीं होता। उसके लिए दीर्घकालीन अभ्यास अपेक्षित है। सर्वांगीण और सापेक्ष दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए सापेक्षता की अनुप्रेक्षा अपेक्षित है।

समन्वय

दार्शनिक-पक्ष—कोई भी विचार समग्र सत्य नहीं होता। वह सत्यांश होता है। जैसे अपने विचार को सत्य मानते हो वैसे ही दूसरे के विचार में भी सत्य की खोज करो। अपने विचार को सत्य ही मानना और दूसरे के विचार को असत्य ही मानना एकांगी आग्रह है। यह एकांगी आग्रह मनुष्य को असत्य की ओर ले जाता है। सत्य की खोज का मार्ग है अनाग्रह। अनाग्रही मनुष्य दो भिन्न विचारों में समन्वय साध सकता है।

व्यवहार-पक्ष—आग्रही मनोवृत्ति सांप्रदायिक उत्तेजना के लिये उत्तरदायी है। एक सम्प्रदाय दूसरे सम्प्रदाय द्वारा सम्मत नृत्याण को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है। आचार्य विनोबा ने लिखा 'मैं कबूल करता हूँ कि मुझ पर गीता का गहरा असर है। उन गीता को छोड़कर महावीर से बटकर किसी का असर चित्त पर नहीं है। उसका कारण यह है कि महावीर ने जो आज्ञा दी है, वह वाचा को पूर्ण मान्य है। आज्ञा यह है कि सत्याग्रही बनो। आज जहाँ-जहाँ जो उठा नो सत्याग्रही होता है। वाचा को भी व्यक्तिगत सत्याग्रही के नाते गांधीजी ने पेश किया था लेकिन वाचा जानता था 'वह कौन है?' वह सत्याग्रही नहीं, सत्यग्राही है। हर मानव के पास सत्य का अंश होता है इसलिए मानव-जन्म नार्थक होता है। तो नव धर्मों में, पन्थों में नव मानवों में सत्य का जो अंश है, उसको ग्रहण करना चाहिए। हमको सत्यग्राही बनना चाहिये,

यह जो शिक्षा है महावीर की, बाबा पर गीता के बाद उसी का असर है ।'

साधना-पक्ष—रैंटेलियम मस्तिष्क से प्रभावित व्यक्ति सांप्रदायिक और जातीय घृणा फैलाने में तत्पर रहता है । साधना के द्वारा उसके प्रभाव को कम किया जा सकता है । समन्वय की चेतना के विकास के लिए समन्वय की अनुप्रेक्षा बहुत उपयोगी है ।

२२. लोकतंत्र और अहिंसा

लोकतंत्र वर्तमान मानस को सर्वाधिक आकर्षित करने वाला एक शब्द है, एक प्रयोग है। व्यक्ति जिसे सबसे अधिक चाहता है, वह है स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता लोकतंत्र का प्राणतत्त्व है। अधिनायकवादी प्रणाली में उसका हनन होता है। इसलिये वह केवल अधिनायक को प्रिय लगती है, शेष सबको अप्रिय। सबके लिये समान अवसर और सबको मत देने का अधिकार—ये लोकतंत्र के अपने विशिष्ट मूल्य हैं। इन मूल्यों का फलित है कि लोकतंत्र अहिंसा का व्यावहारिक प्रयोग है।

अहिंसा के पांच मौलिक सूत्र हैं—

- | | |
|----------------|---------------|
| १. स्वतंत्रता, | ४. समानता, |
| २. सापेक्षता, | ५ सहअस्तित्व। |
| ३. समन्वय, | |

इनका अस्तित्व लोकतंत्र का अस्तित्व, इनकी उपेक्षा लोकतंत्र का उन्मूलन। हिंसा की बढ़ती प्रवृत्ति और लोकतंत्र में विरोधाभास है। लोकतंत्र हो और नैतिक मूल्यों का विकास न हो, यह सम्भव नहीं। लोकतंत्र हो और प्रामाणिकता तथा दायित्व-बोध न हो, यह सम्भव नहीं। लोकतंत्र हो और अहिंसात्मक प्रतिरोध की शक्ति न हो, यह सम्भव नहीं।

लोकतंत्र की प्रक्रिया

लोकतंत्र की गाड़ी चुनाव की पटरी पर चलती है। अधिनायकवादी मनोवृत्ति पर अंकुश लगाने का और जनता की शक्ति की अभिव्यक्ति का शक्तिशाली माध्यम है चुनाव। चुनाव के दौरान जातिवाद का ज्वालामुखी फूटता है। वह आपसी सौहार्द को लील जाता है। सांप्रदायिक कटुता फुफकारती है और यदा-कदा डसती भी है। वह राष्ट्रीय एकता की जड़ को हिला देती है। येन-केन प्रकारेण मत (वोट) पाने की मनोवृत्ति बनती जा रही है। उसमें लोकतंत्र का प्रतिचिम्ब नहीं देखा जा सकता। बहुत बार यह निम्नतम प्रखर और स्वर मुखर हो जाता है—चुनाव की प्रणाली

में परिवर्तन हो, अन्यथा यह लोकतन्त्र के लिए राहु-केतु बन जाएगी ।

परिवर्तन का प्रारम्भ बिंदु

परिवर्तन कहा से शुरू हो ? पहले लोकतंत्र के प्रति सुसगत दृष्टिकोण का निर्माण करें अथवा चुनाव का तरीका बदलें ? लोकतंत्र का घटक है लोक । उसकी चेतना सुषुप्त रहे, तब अगला कोई भी चरण सफल नहीं हो सकता । शासन अधिक, आत्मानुशासन कम, इसका नाम है राजतंत्र । शासन कम और आत्मानुशासन अधिक, इसका नाम है—लोकतंत्र । आत्मानुशासन और सयम—दोनों के बीच भेद-रेखा खींचना कठिन है । अणुव्रत का प्रमुख घोष है—‘सयम ही जीवन है ।’ सयम के बिना आत्मानुशासन जीवन्त नहीं रहता और आत्मानुशासन के बिना लोकतंत्र सफल नहीं होता । गणाधिपति तुलसी ने लोकतंत्र को परिभाषित करते हुए कहा—‘कानून कम और आत्मानुशासन अधिक, यह है लोकतंत्र का स्वरूप ।’ लोकतंत्र के नागरिकों में आत्मानुशासन की अपेक्षित मात्रा है या नहीं ? इस पर चिन्तन होना आवश्यक है । यदि वह है तो लोकतंत्र विफल नहीं होगा । यदि नहीं है, तो उसकी सफलता का स्वप्न दुःस्वप्न होगा ।

अपेक्षित है प्रशिक्षण

अणुव्रत आत्मानुशासन की आचार-सहिता है । उससे प्रस्फुटित होता है जीवन-दर्शन । अनावश्यक हिंसा का वर्जन, मानवीय एकता, जातिवाद का अस्वीकार तथा सांप्रदायिक-वैचारिक सहिष्णुता का दृष्टिकोण बनता है, तो लोकतंत्र की पृष्ठभूमि अपने आप सुस्थिर और सुदृढ़ बन जाती है । चुनाव की प्रक्रिया को बदलने का प्रयत्न करना अत्यन्त आवश्यक है । उसे बदलने के लिए अपेक्षित है प्रशिक्षण । अणुव्रत के प्रशिक्षण का अर्थ है—लोकतंत्र का प्रशिक्षण । लोकतन्त्र के प्रशिक्षण का अर्थ है—अणुव्रत का प्रशिक्षण ।

हिन्दुस्तान में लोकतंत्र चार दशक से चल रहा है । उसका प्रशिक्षण सभवतः अभी भी नहीं चल रहा है । मतदाता को मत देने का अधिकार प्राप्त है, पर जिसके संचालन के लिए वह मत देता है, उससे वह अनजान है । लोकतंत्र के नागरिकों को अर्हता

क्या है ? और मत लेने वाले की अर्हता क्या है ? इन दोनों का बोध नहीं होता तब मतों का विक्रय होता है, छीना-भपटी (बूथ केप्चरिंग) होती है, और भी बहुत कुछ होता है। लोकतंत्र के प्रति जन-चेतना जागृत हो तो वैसा नहीं हो सकता।

लोकतंत्र : द्वंद्वात्मक भूमिका

लोकतंत्र में सत्ता के सिंहासन पर वह दल बैठता है, जिसे बहुमत मिलता है। जिसे अल्पमत मिलता है, वह प्रतिपक्ष के आसन पर बैठता है। यह एक स्वस्थ प्रणाली है। जैन न्याय का एक सिद्धान्त है—यत् सत् तत् सप्रतिपक्षं—जिसका अस्तित्व है, उसका प्रतिपक्ष है। जिसका प्रतिपक्ष नहीं है, उसका अस्तित्व नहीं है। निरंकुश शासन के वादलों को चीर कर लोकतंत्र का सूर्य उगता है। यदि प्रतिपक्ष न हो तो निरंकुश शासन के घटाटोप को सभावना फिर बन जाती है, इसलिए प्रतिपक्ष का उतना ही मूल्य है, जितना पक्ष का है। स्वस्थ पक्ष और स्वस्थ प्रतिपक्ष हो, तभी स्वस्थ लोकतंत्र की परिकल्पना की जा सकती है। इस स्वास्थ्य का रहस्य है समन्वय। अपने विचार और अपनी नीति का आग्रह सबमे होता है, किन्तु वह इस सोमा तक न हो कि मनुष्य दूसरे के विचार में सत्य न देख सके, दूसरे की नीति के यथार्थ को न समझ सके। समन्वय अणुव्रत की जीवन शैली का एक महत्त्वपूर्ण अंग है।

अणुव्रत : अतीत और भविष्य

अणुव्रत का उदय नैतिक विकास या चरित्र विकास के आन्दोलन के रूप में हुआ। उसकी आचार-सहिता ने प्रत्येक वर्ग को प्रभावित किया। उसका कार्यक्षेत्र व्यपारशुद्धि, भ्रष्टाचार उन्मूलन, चुनावशुद्धि आदि में रहा। उसका जीवन-दर्शन या जीवन-शैली के रूप में मूल्यांकन नहीं किया गया। अब दिशा परिवर्तन की अपेक्षा अनुभव की जा रही है। अणुव्रत का जीवन-दर्शन लोकतंत्र का जीवन-दर्शन है। उसकी जीवन-शैली लोकतंत्र की जीवन-शैली है। उसे केवल व्यवहार शुद्धि की नीमा में सीमित कर नहीं देखा जाना चाहिए।

एक नामाजिक प्राणी के लिए हम अहिंसा की पूर्णता की वान नहीं मोच सकते। वह केवल हिंसा के सहारे चने, यह

वांछनीय नहीं है। मध्यम मार्ग है—हिंसा से अहिंसा की ओर प्रस्थान, अनावश्यक हिंसा का परित्याग। अणुव्रत की जीवन-शैली एक मध्यम मार्ग है। उसमें हिंसा और अहिंसा—दोनों की अति नहीं है।

एक सामाजिक प्राणी के लिए हम अपरिग्रह की बात नहीं सोच सकते। वह केवल सग्रह और परिग्रह में आसक्त रहे, यह वांछनीय नहीं है। वह व्यक्तिगत स्वामित्व या व्यक्तिगत सग्रह की सीमा करे। व्यक्तिगत भोग की भी सीमा करे। अणुव्रत की जीवन-शैली में इस सीमाकरण का बहुत मूल्य है। इसमें पदार्थ के प्रति होने वाली सघन भूच्छा का जाल टूटता है।

शिक्षा जीवन की ओर मुड़े

लोकतंत्र को चिरायु बनाने के लिए दो दिशाओं में प्रस्थान करना जरूरी है। हिंसा और परिग्रह के प्रति जनता का दृष्टिकोण बदले, ऐसा प्रशिक्षण शिक्षा के साथ चले। वर्तमान में शिक्षा केवल व्यवसाय, शिल्प, यांत्रिक विकास और शारीरिक-स्वास्थ्य के साथ जुड़ी हुई है। उसका मार्ग बदलना आवश्यक है। उसका प्रवाह केवल जीविका की ओर है, वह जीवन की ओर भी मुड़े। आर्थिक स्पर्धा और सुविधावादी दृष्टिकोण ने अपनी गहरी जड़ें जमा ली हैं। उनका उन्मूलन करना सम्भव नहीं है, किन्तु चेतना की उर्वरा में यदि हिंसा और परिग्रह की सीमा के बीज बोए जाए तो एक स्वस्थ विकल्प प्रस्तुत हो सकता है। लोकतंत्र को उसकी बहुत अपेक्षा है। अणुव्रत का प्रयत्न इस दिशा में चले और वह शिक्षा-जगत् को भी अपना सहभागी बना सके तो मानवता का भविष्य उज्ज्वल होगा।

वर्तमान में व्यक्ति, समाज, राष्ट्र और विश्व के सामने अनेक समस्याएँ हैं, जैसे—मानसिक तनाव, हिंसा, आतंकवाद, नशाखोरी, असहिष्णुता आदि। अणुव्रत का बोध और प्रयोग उनके समाधान का एक मार्ग है। लोकतंत्र का प्रशिक्षण केवल सिद्धांतों से नहीं होगा, वह होगा सिद्धांतों के साथ अभ्यास और आचरण के द्वारा। यह छोटी-सी बात महत्त्वपूर्ण है, मव लोग इसका अनुभव करें।

२३. पर्यावरण-विज्ञान और अहिंसा

अहिंसा का अध्ययन बहुत प्राचीन काल से चल रहा है। हजारो-हजारो वर्षों से उसकी चर्चा और अनुशीलन हो रहा है। अहिंसा की समग्रता को जानने के लिए पहले शास्त्र पढ़े जाते थे। आज उसके साथ पर्यावरण-विज्ञान को पढ़ना जरूरी है। अहिंसा का अर्थ इतना ही नहीं है कि किसी जीव को मत मारो। उसका अर्थ यह भी है—मारने की स्थिति भी पैदा मत करो। ऐसा वातावरण मत बनाओ, जिससे जीव मर जाए। ऐसी परिस्थितियाँ भी पैदा मत करो, जिससे अजीव भी अस्त-व्यस्त हो जाये। अहिंसा के साथ जितना जीव जुड़ा है, उतना ही अजीव जुड़ा है। एक व्यक्ति क्रोध में आया और उसने पत्थर उठाकर फेंक दिया। कोई प्राणी नहीं मरा परन्तु वह भी हिंसा है।

निमित्त-विज्ञान

भगवान् महावीर ने प्रत्येक घटना के साथ वातावरण और निमित्त को जोड़ा। इसे निमित्तविज्ञान भी कहा जा सकता है। निमित्तों को नष्ट मत करो। किसी जीव को मत मारो, इस निर्देश के साथ-साथ यह भी कहा, जीव की उत्पादक शक्ति को भी नष्ट मत करो। चाहे जीव निर्जीव बन गया है फिर भी उसे नष्ट मत करो। इस बात पर बहुत सूक्ष्मता से विचार किया गया द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, पुद्गल परिणाम—ये सब परिवर्तन के निमित्त बनते हैं। अहिंसा का सिद्धांत केवल न मारने से ही नहीं जुड़ा है, निमित्तों में भी जुड़ा हुआ है। यह निमित्त-विज्ञान का अध्ययन ही पर्यावरण विज्ञान है।

पर्यावरण के भौतिक मूल

आज पर्यावरण-विज्ञान नारे विश्व को प्रभावित कर रहा है। उसका मूल सिद्धांत यह है—जीव और पदार्थ एक दूसरे को प्रभावित करते हैं।

उनका दूसरा मूल है—हमारा भौतिक वातावरण जीवों पर और जीव भौतिक वातावरण पर आश्रित हैं।

उसका तीसरा सूत्र है—एक कडी का परिवर्तन शेष कडियों में परिवर्तन ला देता है। भूमि, पानी, हवा ईन्धन—ये सब इस अखिल जगत् की कडियां हैं। एक कडी के अस्त-व्यस्त होने पर सब कडियां अस्त-व्यस्त हो जाएंगी।

उसका चौथा सूत्र है—जीव अमुक प्रकार की स्थिति में ही बच सकते हैं। यदि वह स्थिति और वातावरण बदल जाये तो जीव समाप्त हो जाये। एक निश्चित तापमान में ही जीव जी सकता है। आज एक खतरा पैदा हो गया—ओजोन की परत टूटती जा रही है। यदि पराबैंगनी किरणें सीधी धरती पर पड़नी शुरू हो गईं तो जीव का जीवित रहना मुश्किल है। तापमान से जलस्तर इतना बढ़ जायेगा कि बड़े-बड़े नगर समुद्र बन जाएंगे।

उसका पांचवां सूत्र है—प्रकृति का सन्तुलन न विगड़े, कोई भी तत्त्व असन्तुलन की अवस्था को प्राप्त न हो जाये।

ध्रुव नियम

पर्यावरण-विज्ञान के ये पांच सिद्धांत हैं। हम इन पांच सिद्धांतों के सदर्थ में अहिंसा पर चिन्तन करें। अहिंसा का भी यह सिद्धांत है—अकेला कोई जी नहीं सकता। एक ध्रुव नियम बतलाया गया—द्रव्यनिमित्त हिंसा सारिणां वीर्यमुपजायते—हमारा सारा वीर्य/शक्ति द्रव्य के निमित्त पैदा होती है, पर्यावरण के निमित्त से पैदा होती है। यदि पर्यावरण विगड़ गया तो हमारा वीर्य समाप्त हो जायेगा। जो अहिंसक इस सिद्धांत को मानता है—द्रव्य के निमित्त से अस्तित्व बचता है, प्राणी बचता है—वह पर्यावरण की उपेक्षा कैसे कर सकता है? जीव पुद्गल से प्रभावित होता है और पुद्गल जीव से प्रभावित होता है। यदि एक में परिवर्तन आता है तो दूसरा प्रभावित हो जाता है। यह परिवर्तन और प्रभाव का सिद्धांत लोकस्थिति का सिद्धांत है।

वर्तमान की भाषा

यह सृष्टि-सन्तुलन की बात है, इसे हम अहिंसा विज्ञान की दृष्टि से भी स्वीकार करते हैं। पर्यावरण-विज्ञान में इसकी विस्तार से व्याख्या हुई है। पर्यावरण-विज्ञान का अध्ययन अहिंसा विज्ञान का अध्ययन है। यदि हम केवल प्राचीन ग्रन्थों के आधार पर ही अहिंसा की व्याख्या करें तो आज का आदमी नमस्क नहीं पायेगा।

केवल पारलौकिक दृष्टि से जुड़ी यह व्याख्या वर्तमान मनुष्य के महज बुद्धिगम्य नहीं होती— हिंसा करोगे तो नरक में जाओगे, कर्म का बन्ध होगा। यह बात आदमी जल्दी समझ लेता है—हिंसा करोगे तो पर्यावरण का सन्तुलन गड़बड़ा जायेगा, फिर आदमी का जीना कठिन हो जाएगा। यह भाषा समझना आसान है—दूसरो को प्रदूषित कर तुम कैसे बच पाओगे? इस आतक को देखने वाला हिंसा से बच सकता है। आज प्रतिमान और प्रतीक बदलने की जरूरत है। सन्दर्भ वही है। सयुक्त-राष्ट्रसंघ ने पर्यावरण-विज्ञान पर बहुत सगोष्ठियां आयोजित की, उनमें अहिंसा-शास्त्र की ही चर्चा थी।

पर्यावरण का प्रदूषण क्यों ?

पर्यावरण-विज्ञान का एक पहलू है—पर्यावरण का सन्तुलन। उसका दूसरा पहलू है—पर्यावरण का प्रदूषण। पर्यावरण का प्रदूषण हिंसा है। हम यह जानते हैं—पर्यावरण का सन्तुलन रहेगा तो मनुष्य भी जीयेगा, पशु-पक्षी भी जीएंगे और भौतिक वातावरण भी शुद्ध रहेगा। यदि पर्यावरण प्रदूषित हुआ तो न जीव-जन्तु जी सकेंगे और न भौतिक वातावरण शुद्ध रह पायेगा। आज वैज्ञानिक चिंतित हैं—पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है, भूमि, वायु, जल—सब प्रदूषित बनते जा रहे हैं। इसका कारण क्या है? एक कारण है गरीबी। आजीविका की समस्या इसका एक हेतु है। आदमी जंगल काट रहा है। वह उसके लिये आजीविका का साधन है। वे लकड़ी काटते हैं आजीविका के लिये किन्तु उनके इस कृत्य से जंगल साफ हो रहे हैं, पर्यावरण-प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। अमीर लोग भी प्रदूषण बढ़ा रहे हैं। हम कागज का उदाहरण लें। आज कागज का कितना प्रचलन हो गया है और उसका अपव्यय भी कितना हो रहा है। हम देखते हैं—दो-दो पंक्तियां लिखते हैं और पूरा पन्ना खाली छोड़ देते हैं। यह कोई फैशन हो गया है। श्री छोगमलजी चौपड़ा बहुत लिखते थे लेकिन वे पूरा पन्ना अक्षरो से भर देते। कागज का पूरा उपयोग करते। आज कहा है वह उपयोग। आज पूरे पेज में दो चार लाइनें ही लिखी जाती हैं। परिणाम यह है—कागज के बड़े-बड़े कारखाने लग रहे हैं और उनके लिये जंगलों का कटना भी जरूरी बन गया है। यह जरूरत पर्यावरण के प्रदूषण का हेतु बन

रही है ।

गभीर संकट

आज वैज्ञानिकों के सामने समस्या है— एटमी कचरे को कहा डाले ? यदि समुद्र में डाला जाता है तो समुद्री जीव मर जाए । समुद्र में जहाँ यह एटमी कचरा डाला गया है वहाँ जीव मर भी रहे हैं । कहीं अवकाश नहीं है । यह समस्या मानव के लिये गभीर संकट बन गई है । प्रदूषण को पैदा करने वाले ऐसे अनेक कारण आज विश्व मानस को आदोलित कर रहे हैं किन्तु इन सबके पीछे जो मूल कारण है, वह है भावात्मक/मानसिक प्रदूषण । प्रदूषण का खतरा मनुष्य के अपने असयम के कारण उत्पन्न हुआ है । आज प्रत्येक बात में असयम है । जब हम महात्मा गांधी की बातों को पढ़ते हैं, रूपचन्दजी सेठिया के जीवन को देखते हैं तब यह चिन्तन उभर आता है—वे लोग छोटी-सी बात पर भी कितना ध्यान देते थे । दातुन करने के लिए नीम की छोटी टहनी तोड़नी थी । विदेशी महिला बड़ी टहनी तोड़कर ले आई । महात्मा गांधी ने उसे डाटते हुए कहा—जो काम छोटी टहनी से हो सकता है उसके लिए बड़ी टहनी क्यों तोड़ी ? यह अपव्यय है ।

उनका क्या होगा ?

रूपचन्दजी सेठिया वावन तोला पानी से स्नान करते थे । उन्होंने स्नान में उससे अधिक पानी का प्रयोग नहीं किया । और आज क्या हो रहा है ? आज व्यक्ति नल के नीचे बैठ जाता है और स्नान करता चला जाता है । कितना पानी व्यर्थ बहता है । स्नान पानी ज्यादा डालने से नहीं होता, घर्षण से होता है पर मनुष्य इस तथ्य को अनदेखी कर पानी का अपव्यय कर रहा है । यह भावात्मक असयम एक बीमारी है । जब तक इसका इलाज नहीं होगा, प्रदूषण बढ़ता ही चला जाएगा । आज आदमी में लोभ-लालच बढ़ गया है । यह माना जा रहा है—जितने कारखाने बढेंगे उतना ही विकास होगा । ऐसा लगता है—आज इस विषय पर गम्भीरता से नहीं सोचा जा रहा है । कितना भूमि का दोहन हो रहा है ? कितना पदार्थ का उपभोग और निर्माण हो रहा है ? आने वाली पाचवीं-सातवीं पीढ़ी की सोच आज किसी को नहीं है । यह कोई नहीं सोच रहा है— उनका क्या होगा ? उनके लिए क्या

वचेगा ?

संयम ही जीवन है

वस्तुतः यह चिन्ता का विषय है। हम इस पर गंभीरता से सोचें। हम पर्यावरण-विज्ञान की इस सचाई को समझे—पदार्थ की सीमा है, वह असीम नहीं है। उपभोक्ता ज्यादा है और पदार्थ कम। इस स्थिति में संघर्ष की बात आयेगी। हम इस बात पर ध्यान दें पदार्थ की सीमा है तो उपभोक्ता की इच्छा को भी सीमा होनी चाहिए। हम अनावश्यक इच्छा को न बढ़ाएँ। पदार्थ की सीमा, उपभोक्ता की इच्छा की सीमा और पदार्थ का संयम—इस सिद्धांत को समझ कर ही प्रदूषण की चिन्ता को मिटाया जा सकता है। इस सन्दर्भ में अणुव्रत का घोष महत्त्वपूर्ण है—संयमः खलु जीवनम्—संयम ही जीवन है। लोग पूछते हैं—संयम जीवन कैसे है ? पदार्थ जीवन हो सकता है, अन्न-पानी जीवन हो सकते हैं, संयम जीवन कैसे हो सकता है ? आज की समस्या पर विचार करें तो यह घोष बहुत सटीक प्रतीत होता है। वास्तव में संयम ही जीवन है। संयम रखेंगे तो जीवन चलेगा। यदि असंयम बढ़ता चला गया तो एक आदमी की ही नहीं, पूरी सृष्टि की हिंसा का प्रसंग आ सकता है। आज आवश्यकता है—हम पर्यावरण, अहिंसा और संयम का मूल्य आके। यह केवल धार्मिक जगत् का ही नहीं, पूरी मानव जाति और प्राणी जगत् का प्रश्न है। इस पर गंभीर चिन्तन-मन्यन, अनुशीलन और प्रयोग कर असन्तुलन और पर्यावरण-प्रदूषण की समस्या को समाहित किया जा सकता है।

२४. शिक्षा और अहिंसा

स्वतंत्रता और अनुशासन—ये दोनो नैसर्गिक मूल्य है। इन मूल्यों के आधार पर ही अन्य मूल्य विकसित होते हैं। मूल्य का अर्थ है आचरण और व्यवहार। आचरण पर-निरपेक्ष और पर-सापेक्ष—दोनों प्रकार का होता है। व्यवहार केवल पर-सापेक्ष होता है। केवल अनुशासन की चेतना में मूल्यों की आंतरिक चेतना प्रस्फुटित नहीं होती। केवल स्वतंत्रता की चेतना में आंतरिक मूल्यों को प्रस्फुटित करने का विवेक जागृत नहीं होता।

मूल्य की व्याख्या

मनुष्य का व्यवहार त्रिहेतुक होता है :—

- १ प्रवृत्तिहेतुक
- २ निवृत्तिहेतुक
- ३ उपेक्षाहेतुक।

उपादेय के लिए प्रवृत्ति करना, हेय से निवृत्ति करना और उपेक्षणीय की उपेक्षा करना प्रमाण का फल है। यह प्रमाण-शास्त्र का सिद्धांत है।

मूल्य की व्याख्या के लिए यह प्रमाणशास्त्रीय सिद्धांत पर्याप्त है। उपादेय में प्रवृत्ति न करना, हेय से निवृत्ति न होना और उपेक्षणीय की उपेक्षा न करना—यह व्यवहार का विपर्यय है। इस विपर्यय को मिटाने तथा सम्यक् चेतना को जागृत करने के लिए मूल्य-चेतना को जागृत करने का प्रशिक्षण आवश्यक है। यह शिक्षा का अनिवार्य अंग है। जो शिक्षा मूल्य-चेतना को न जगा सके, उसे शिक्षा के पवित्र सिंहासन पर आसीन होने का अधिकार भी नहीं है।

चेतना के तीन स्तर

मानवीय चेतना के तीन स्तर हैं :—

- १ पदार्थ चेतना
- २ नैतिक चेतना
- ३ आध्यात्मिक चेतना।

इनकी तीन क्रीडाभूमिया है —

१. पदार्थ चेतना की क्रीडाभूमि गुदा से नाभि तक का प्रदेश ।
२. नैतिक चेतना की क्रीडाभूमि नाभि से ऊपर कण्ठ तक का प्रदेश ।
३. आध्यात्मिक चेतना की क्रीडाभूमि ठुड़ी से सिर तक का प्रदेश ।

चेतना का स्तर बदलने पर ही नैतिक चेतना और आध्यात्मिक चेतना का विकास हो सकता है ।

लोभ, कामवासना, क्रोध, अहंकार आदि कपायो अथवा कर्मशियो का सम्बन्ध नाभि या उससे निम्न केन्द्रो से है । इन केन्द्रो मे चेतना की पुनरावृत्ति स्वार्थ, आवेश, उत्तेजना, सत्ता, अधिकार, विषय-लोलुपता आदि को जन्म देती है ।

नाभि से ऊपर के केन्द्रो मे चेतना की पुनरावृत्ति प्रामाणिकता, सत्यनिष्ठा, नि स्वार्थभाव, विनम्र व्यवहार, सरलता, सन्तोष, करुणा आदि को जन्म देती है ।

कण्ठ से ऊपर के केन्द्रो मे उपस्थित चेतना आत्मानुभूति, नैसर्गिक सुख, समता, मैत्री, प्रमोद, तटस्थभाव, आत्म-निरीक्षण आदि को जन्म देती है ।

आध्यात्मिक चेतना

आध्यात्मिक चेतना का स्तर विकसित होने पर व्यक्ति मे एक विशेष प्रकार के जीवन के लक्षण अभिव्यक्त होते है, जैसे—

- १ अपनी असमर्थता को स्वीकार करने की क्षमता ।
- २ अपनी गलती को स्वीकार करने की क्षमता ।
- ३ अह-मम के परिष्कार की क्षमता ।
- ४ अपनी गलती के परिष्कार की क्षमता ।
- ५ आग्रह के परिष्कार की क्षमता ।
- ६ लक्ष्य पर एकाग्र होने की क्षमता ।
- ७ दूसरे की विशेषता को स्वीकार करने की क्षमता ।
- ८ सिद्धांत को त्यागने वाले घनिष्ठ व्यक्ति को छोटने की क्षमता ।

मन की आवाज आत्मा की आवाज

पदार्थ चेतना के स्तर पर जीने वाला व्यक्ति प्रिय-अप्रिय सवेदन से सकुल रहता है। वह सवेदन से निकली मन की आवाज को आत्मा की आवाज मानने लग जाता है। वास्तव में मन की आवाज को आत्मा की आवाज मानना भ्रांति है।

नैतिक चेतना के स्तर पर जीने वाला व्यक्ति प्रिय-अप्रिय सवेदन से ऊपर उठकर अपने व्यवहार का सपादन करता है। वह आत्मा की आवाज के निकट पहुँच जाता है।

आध्यात्मिक चेतना के स्तर पर जीने वाला व्यक्ति आंतरिक अनुभूति में रहता है। आत्मा की आवाज का अधिकार उसी को प्राप्त होता है। वास्तव में समता या वीतरागता की आवाज ही आत्मा की आवाज है।

शिक्षा की चतुष्पदी

आज की सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक परिस्थितियों ने शिक्षा के सामने ही प्रश्न उपस्थित नहीं किए हैं किन्तु स्वयं शिक्षा को ही प्रश्नचिह्न बना दिया है। जिस शिक्षा का फलित सामाजिक जीवन में सामंजस्य, आर्थिक जीवन में कृपा और राजनैतिक जीवन में त्याग नहीं होता, क्या उस शिक्षा को सार्थक माना जाए? शिक्षा की सार्थकता की खोज मानवीय अस्तित्व की खोज है। यह किसी भी वैज्ञानिक खोज से कम महत्त्वपूर्ण नहीं है। शिक्षा की खोज के लिए हम शिक्षा की चतुष्पदी पर चिन्तन करें। आदर्श, उद्देश्य, पद्धति और सामग्री—ये चार शिक्षा-पद हैं।

आदर्श

शिक्षा का आदर्श है—स्थितप्रज्ञता। लाभ-अलाभ, सुख-दुःख, निन्दा-प्रशंसा, मान-अपमान, जीवन-मरण आदि द्वन्द्वों की स्थिति में जिसकी प्रज्ञा समत्व की अनुभूति करने लग जाती है, वह स्थितप्रज्ञ होता है। स्थितप्रज्ञता को आध्यात्मिक चेतना का जागरण, आत्मानुभूति अथवा आत्मोपलब्धि कहा जा सकता है।

उद्देश्य

शिक्षा का उद्देश्य है—सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास।

उसके चार अंग हैं—शारीरिक विकास, बौद्धिक विकास, मानसिक विकास और भावात्मक विकास ।

आदर्श की दिशा में आगे बढ़ने के लिए सर्वांगीण व्यक्तित्व का विकास अनिवार्य अपेक्षा है ।

पद्धति

शिक्षा-पद्धति के अनेक विकल्प मिलते हैं । व्याख्या विधि, वाद-विवाद विधि, तर्क विधि, प्रश्न विधि आदि । हमारी दृष्टि में शिक्षा की पद्धति समन्वित होनी चाहिए । उसमें सिद्धांत और प्रयोग - दोनों का सन्तुलन अपेक्षित है । केवल सिद्धांत से ज्ञान विकसित होता है, कर्मजाशक्ति और चरित्र का विकास नहीं होता ।

सामग्री

शिक्षा की सामग्री के चार महत्त्वपूर्ण अंग हैं—

१. उद्देश्य की पूर्ति करने वाली पुस्तकें ।
२. उद्देश्य की दिशा में सहायता करने वाला शिक्षक ।
३. उद्देश्य की पूर्ति में सहायक वातावरण ।
४. उद्देश्य की पूर्ति में प्रेरक बनने वाले अभिभावक ।

शिक्षा की यह चतुष्पदी अहिंसक वातावरण बनाने में सक्षम है । इसी के आधार पर अहिंसक समाज-रचना का स्वप्न सजोया जा सकता है ।

सामाजिक जीवन का मूल आधार

सामाजिक जीवन का मूल आधार है—शान्तिपूर्ण सह-अस्तित्व । वह अहिंसा के द्वारा ही सम्भव हो सकता है । वर्तमान की शिक्षा-प्रणाली में अहिंसा की मानसिक संरचना के तत्त्व बहुत कम हैं । अत्यल्प मात्रा प्रभावी ढंग से काम नहीं करती । उसीलिए शिक्षा की पुनर्व्यवस्था की अपेक्षा निरंतर अनुभव की जा रही है । शिक्षा-संस्थानों में भी हिंसात्मक प्रतिरोध की प्रवृत्ति बढ़ रही है । तोड़-फोड़ की घटना एक साधारण बात बन गई है । मादक वस्तुओं का विस्तार होता जा रहा है । इन प्रकार की शिक्षा ने अहिंसक समाज-रचना की परिकल्पना कैसे की जा सकती है ।

हिंसा के प्रकार

अहिंसक समाज और अहिंसक व्यक्ति -- ये दोनों नापेक्ष शब्द

है। जीवन यात्रा के साथ हिंसा जुड़ी हुई है। इस स्थिति में क्या अहिंसक समाज और अहिंसक व्यक्ति की कल्पना की जा सकती है? इस पहिली को सुलभाने के लिए सापेक्ष शब्द को परिभाषित करना जरूरी है। भगवान् महावीर ने हिंसा के दो प्रकार बतलाए हैं :—

१ अर्थहिंसा—प्रयोजनवश की जाने वाली हिंसा।

२ अनर्थहिंसा—प्रयोजनशून्य अथवा आक्रामक सकल्प से की जाने वाली हिंसा।

उत्तरवर्ती आचार्यों ने हिंसा को तीन भागों में विभक्त कर दिया—

१. आरम्भजा-हिंसा—जीवन को चलाने के लिए की जाने वाली हिंसा।

२ विरोधजा-हिंसा—प्रतिरक्षात्मक हिंसा।

३. सकल्पजा-हिंसा—आक्रामक हिंसा।

अहिंसक समाज

अहिंसक समाज वह होता है, जिसमें सकल्पजा अथवा आक्रामक हिंसा के दरवाजे बन्द हो जाए। जातीय उन्माद, सांप्रदायिक अभिनिवेश, शोषण, दूसरे की स्वतंत्रता का अपहरण, अधिकार और स्वत्व का अपहरण, जीविका का विच्छेद और साम्राज्यवादी मनोवृत्ति—यह सारा आक्रामक हिंसा का परिवार है। आक्रामक हिंसा से मुक्त समाज को अहिंसक समाज की अभिधा से अभिहित किया जा सकता है। प्रतिरक्षात्मक हिंसा से बचने के लिए अहिंसात्मक प्रतिरोध का प्रशिक्षण दिया जा सकता है, किन्तु आक्रामक हिंसा से मुक्ति की भांति प्रतिरक्षात्मक हिंसा से मुक्ति की शर्त उसके साथ नहीं जोड़ी जा सकती।

परिग्रह हो और प्रतिरक्षात्मक हिंसा न हो, यह बहुत जटिल प्रश्न है। इसकी जटिलता को कम करने के लिए अहिंसात्मक प्रतिरोध का प्रशिक्षण प्रतिरक्षा के विकल्प के रूप में दिया जाना चाहिए। जीवन-यापन में हिंसा अनिवार्य रूप से जुड़ी हुई है किन्तु उसमें भी अनावश्यक हिंसा न हो, इसका प्रशिक्षण आवश्यक है। भूमि, जल और पेड़-पौधों के प्रति की जाने वाली अनावश्यक प्रवृत्ति ने पर्यावरण-प्रदूषण की समस्या पैदा की है, मृष्टि-सन्तुलन को

विनष्ट किया है।

अहिंसा : अस्तित्व और विकास

शिक्षा मानवीय विकास के लिए है। अहिंसा का प्रश्न मानवीय अस्तित्व से जुड़ा हुआ है। अस्तित्व के सुरक्षित रहने पर ही विकास की सम्भावना की जा सकती है। इसलिए शिक्षा और अहिंसा में एक गहन सम्बन्ध जरूरी है, जिससे अस्तित्व और विकास—दोनों की परम्परा सुरक्षित रह सके। इस सन्दर्भ में मूल्य-परक शिक्षा अथवा जीवन विज्ञान वर्तमान युग की अनिवार्यता है। अहिंसा सर्वोपरि मूल्य है। अहिंसा के प्रतिष्ठित होने पर शेष सब मूल्य प्रतिष्ठित हो जाते हैं। अहिंसा के अभाव में शेष सब मूल्य विघटित हो जाते हैं। भारतीय दर्शन में पांच मूल्यों का स्वीकार मिलता है। वास्तव में सत्य आदि चार मूल्य अहिंसा की सुरक्षा के लिए हैं। कहा भी है—अहिंसा पयस पालिभूतान्यन्यप्रतानि यत् ।

असत्य वचन हिंसा है, चोरी हिंसा है, कामवासना हिंसा है, और सग्रह हिंसा है। अहिंसा का विकास होने पर सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह का अपने आप में विकास होता है।

मूल्य का स्रोत

मूल्यपरक शिक्षा में क्या मूल्य के स्रोत पर विचार करना आवश्यक नहीं है? सहिष्णुता, मृदुता, अहंकार विलय, ऋजुता, अमूर्च्छा या अनासक्ति—ये पांच मूल्य के स्रोत हैं। हिंसा के मूल हेतु चार हैं—क्रोध, मान, माया और लोभ। इनका परिष्कार ही अहिंसा की प्रतिष्ठा का मूल हेतु बनता है।

जहरी है समन्वय

मूल्यपरक शिक्षा केवल बौद्धिक विकास को प्रशिक्षण में सम्भव नहीं है। इसके लिए अस्तित्व के उन प्रकोष्ठों को जागृत करना आवश्यक है, जो आध्यात्मिक अथवा ज्ञानप्रिय विकास के लिए उत्तरदायी हैं। वर्तमान शिक्षा-पध्दती में उन प्रकोष्ठों के जागरण पर ध्यान नहीं दिया गया है। पृथ्वी के वातावरण और मानवीय अस्तित्व की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि उन विषय पर हमारा ध्यान केन्द्रित हो और मूल्यपरक शिक्षा के द्वारा

नए समाज और नए मनुष्य की रचना की दिशा में हमारे चरण आगे बढ़ें ।

नए मनुष्य का निर्माण का लक्ष्य सवेग-सन्तुलन की अभ्यास-पद्धति-पर निर्भर है । दूसरे की स्वतंत्रता का सम्मान, दूसरे की समस्या को समझने का प्रयत्न और सबके साथ समानता का व्यवहार वही व्यक्ति कर सकता है, जिसने अपने सवेगो को संतुलित करने का अभ्यास किया है । केवल सिद्धांत लक्ष्य तक नहीं पहुँचाते इसलिए सैद्धांतिक शिक्षण के साथ प्रायोगिक प्रशिक्षण का समन्वय अपेक्षित है । आत्म-निरीक्षण, आत्म-परीक्षण और आत्म-दर्शन सबके लिए जरूरी है । उन लोगो के लिए अधिक जरूरी है, जो समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, सत्ता और शक्ति के सिंहासन पर आसीन है ।

२५. अहिंसा और समाज

बीसवी सदी का सध्याकाल और इक्कीसवी सदी का प्रभात सामने दिखाई दे रहा है। वह कैसा होगा ? यह प्रश्न लोगो के मानस में उभर रहा है। आज जो रक्तरजित वातावरण दिखाई दे रहा है। उससे कुछ आशकाए उमड़-धुमड़ रही हैं। सम्भवत हिंसा तो मनुष्य की प्रकृति में सदा से रही है पर आज हिंसा के प्रशिक्षण के अनेक सेन्टर चल रहे हैं, ऐसे विद्यालय चल रहे हैं, जहां आतक का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, उग्रवादी तैयार किये जा रहे हैं, एक समय था, तब युद्ध तो होता था पर युद्ध की कुछ मर्यादाए थी, आचार-सहिता थी। सूर्यास्त के बाद युद्ध बन्द हो जाता, कोई किसी को मारता नहीं था, निहत्थे व्यक्ति को नहीं मारा जाता था। दिन में युद्ध लड़ते और रात में परस्पर गले मिलते। आज कोई मर्यादा नहीं है। निरपराध हो या निहत्था—किसी को भी मारा जा रहा है। यह मारने की प्रवृत्ति इतनी बढ़ गई है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। प्रश्न होता है—शायद मारते-मारते कोई बचेगा कि नहीं ? आज एक ऐसा उन्माद और पागलपन छा गया है, जिससे पूरा परिवेश प्रभावित है। इस वातावरण में अहिंसा की बात करना बहुत प्रासंगिक है।

अहिंसा के संवर्ध

अहिंसक का पहला लक्षण है, अभय होना। व्यक्ति अहिंसक हो और भयभीत भी हो, यह सम्भव नहीं है। यदि ऐसा है तो मानना चाहिए मूरज भी है और गहरा अन्धकार भी है। भगवान् महावीर ने अहिंसा के नाथ जो सबसे पहली शर्त रखी, वह थी अभय। कही कायरता नहीं। जब हिंसा के नाथ आज तारा ननाज भर रहा है तो अहिंसा के रहते हुए कोई व्यक्ति मर जाए तो क्या कठिनाई है ?

अहिंसा का विस्तार अनेक मन्दिरों में होता है। कुछ मन्दिरों में हैं : -

- आत्महत्या न करना ।
- पर-हत्या न करना ।
- भ्रूण-हत्या न करना ।
- क्रूर हिंसा से निर्मित प्रसाधन-सामग्री का प्रयोग न करना ।

बढ़ती हिंसा

आत्महत्या और परहत्या आज बड़ी बीमारी है। जापान आज आर्थिक स्थिति में अगुआ देश है किन्तु जापान की समस्या यह है कि वहाँ पर हर पांचवे सेकंड में एक आत्महत्या होती है। हत्या की घटनाएँ भी इसी तथ्य को रेखांकित कर रही हैं। पंजाब, कश्मीर, असम, विहार आदि क्षेत्रों में हिंसा की जो स्थिति है, उससे ऐसा लगता है—आदमी को तोड़ना किसी तिनके को तोड़ने जैसा हो गया है।

तीसरी समस्या है भ्रूणहत्या की। आज भ्रूणहत्या जिस तेजी से बढ़ रही है, वह एक गम्भीर स्थिति है। आश्चर्य होता है—बड़े-बड़े शहरो में क्लिनिक खुल रहे हैं, उनमें भ्रूणहत्या का चक्र-सा चल रहा है। अमेरिका में एक फिल्म बनी है सायलेट क्राइज। उस फिल्म ने अमेरिकी नागरिकों को हिला दिया। उससे देखकर अमेरिका में तहलका मच गया। उसमें यह दिखाया गया है कि भ्रूणहत्या से क्या होता है? तीन माह के भ्रूण को जब मारा जाता है, तब वह रोता है, चीखता और चिल्लाता है। इतना करुणाप्रद दृश्य कि आदमी देखते ही विचलित हो जाता है। अमेरिकी सरकार ने भ्रूणहत्या पर प्रतिबन्ध लगा दिया किन्तु आज भी गर्भपात का प्रश्न प्रत्येक देश और समाज के सामने गम्भीर चुनौती के रूप में प्रस्तुत है।

पर्यावरण-विज्ञान का रहस्य

जीवनशैली के सन्दर्भ में महावीर का यह दृष्टिकोण बहुत महत्वपूर्ण है—अनर्थ हिंसा से बचो। यह माना कि हिंसा जीवन की अनिवार्यता है किन्तु मनुष्य विवेक से काम ले तो अनर्थ हिंसा से बहुत बचा जा सकता है। जहाँ अनर्थ हिंसा की बात आती है, वहाँ पर्यावरण-प्रदूषण की बात भी आ जाती है। यह पर्यावरण की समस्या अनर्थ हिंसा से उपजी समस्या है। प्राचीनकाल में कहा

अहिंसा और समाज

गया—पन्द्रह कर्मादान का त्याग करो। यह आंदोलन भी चला—
 बड़े कारखाने मत खोलो, लघु उद्योगों को प्रोत्साहन दो। बड़े-बड़े
 कारखाने बहुत खतरे का कारण बनेंगे। महात्मा गांधी ने विकेन्द्रित
 अर्थ-व्यवस्था और विकेन्द्रित शासन-सत्ता पर जो बल दिया, वह
 कर्मादान-निषेध या पर्यावरण-विज्ञान का महत्त्वपूर्ण फार्मूला बन
 सकता है।

प्रसाधन सामग्री का विवेक

जीवन शैली का एक महत्त्वपूर्ण अंग होना चाहिए—
 क्रूरतापूर्ण ढंग से तैयार की गई प्रसाधन सामग्री का प्रयोग न हो।
 कुछ लोग फर की टोपी पहनते हैं। क्या वे नहीं जानते कि ये कैसे
 बनती हैं? न जाने कितने प्राणियों की हत्या होती है, तब ये
 टोपियां बन पाती हैं। आज कुछ ऐसी सस्याए बनी हैं, जो
 अमेरिका, यूरोप, हिन्दुस्तान आदि देशों में सक्रिय हैं, वे इस बात पर
 बल दे रही हैं—क्रूरतापूर्ण प्रसाधन सामग्री के निर्माण को बढ़ा दिया
 जाए।

आज की बदली हुई परिस्थितियों में अहिंसा को समझने के
 लिए इन सारे सदस्यों को समझना होगा। हिंसा ने क्या रूप लिए
 हैं और किस प्रकार अभिव्यक्त हो रही है, इस पर ध्यान देना
 जरूरी है। शुद्ध जीवनशैली में विश्वास रखने वाला अहिंसा को इस
 रूप में अपनाए, इस हिंसा की जलती हुई ज्वाला में कोई शीतल
 जल की फुहार डालने वाला जन्मे, जिससे हिंसा की उष्मा कम हो,
 यह आग चारों ओर न फैल पाए। अहिंसा के द्वारा हिंसा के शमन
 का यह अभिक्रम चले तो इक्कीसवीं शताब्दी में श्यान लेने
 वाला मनुष्य अहिंसक समाज संरचना के सपने को आकार दे
 सकेगा।

२६. समाज व्यवस्था के मौलिक आधार

यदि हम समाज का सदर्थ छोड़ दे तो चरित्र, आचार और नैतिकता की व्याख्या सिमट जाएगी और इतना छोटा-सा बिंदु बन जाएगा कि उसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी। आचार और नैतिकता का विकास समाज के सदर्थ में हुआ है। कोई दूसरा है तो अहिंसा है, सत्य है। जहां दूसरा नहीं है, वहां सत्य, असत्य का प्रश्न ही नहीं है। अचौर्य, अपरिग्रह का मूल्य भी समाज के संदर्भ में है। अब्रह्मचर्य का भी बहुत व्यापक रूप समाज के सदर्थ में है।

चरित्र का संदर्भ

अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह—ये पांच हमारे चरित्र के मूल आधार माने जाते हैं। इनकी व्याख्या जैनागमों में की गई है, बौद्ध-दर्शन, पातजल योग-दर्शन और महात्मा गांधी ने भी की है। दो-तीन हजार वर्षों से लेकर अब तक जिसकी व्याख्या चरित्र या आचार के रूप में होती आई है, वह चरित्र समाज के संदर्भ में है। अठारह पाप बतलाए गए हैं। यदि समाज का संदर्भ छोड़ दे तो एक ही पाप है, वह भी बहुत छोटा रह जाएगा।

हम चरित्र और आचार के विकास की बात करे, यह जरूरी है पर इसके लिए समाज को समझना जरूरी है, समाज व्यवस्था को समझना जरूरी है। समाज क्या है? सामाजिक व्यवस्था का आधार क्या है? समाज कैसे चलता है? यदि हम समाज के मूलभूत आचार को न समझें तो चरित्र और आचार को समझना भी कठिन होगा। नैतिकता तो पूर्णतः समाज पर आधारित है। एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ कैसा व्यवहार करे, यह है नैतिकता। पुराना शब्द है—चरित्र। नैतिकता शब्द इन शताब्दियों में व्यवहृत होने लगा है। नीति शब्द से बना है नैतिकता। नैतिकता समाज-सापेक्ष है इसलिए समाज के मूल आधार को जानना जरूरी है। इस युग

में इस विषय पर काफी चिन्तन हुआ है। अणुव्रत के परिप्रेक्ष्य में उसकी मीमांसा से एक नया पक्ष सामने आ सकता है।

स्वतंत्रता और नियन्त्रण

अणुव्रत के विचारक से पूछा जाये—समाज-व्यवस्था का मूल आधार क्या है तो उसका उत्तर होगा—समाज व्यवस्था का मूल आधार है अनेकान्तवाद। हम इस सचाई को समझें। व्यक्तियों से समाज बना या जंगल से समाज बना? अरण्य से नगर बना है। अरण्य में समाज नहीं था। अरण्यवास छूटा और समाज बना तब कहा गया—जंगल में सब स्वतन्त्र थे। समाज बन रहा है पर हमारी स्वतन्त्रता अक्षुण्ण रहनी चाहिए। यह थी समाज व्यवस्था की पहली शर्त। समाज व्यवस्था का पहला आधार बनता है स्वतन्त्रता, पर इससे समस्या पूरी हल नहीं होती। प्रश्न आया—जहाँ हजार आदमी मिले, वहाँ स्वतन्त्रता में बाधा आएगी। उस स्थिति में क्या करना चाहिए? समाधान मिला—स्वतन्त्रता के साथ नियन्त्रण भी जरूरी है। अनेकान्त का पहला सूत्र बन गया—स्वतन्त्रता और नियन्त्रण। नियन्त्रण इसलिए कि सभी को स्वतंत्रता रहे। स्वतंत्रता की भी एक सीमा होनी चाहिए। जहाँ नियन्त्रण नहीं होगा, वहाँ स्वतंत्रता टिक नहीं पायेगी। नियन्त्रण का मतलब है—एक शक्तिशाली व्यक्ति भी किसी कमजोर की स्वतन्त्रता में बाधा न डाले। यह स्वतन्त्रता और नियन्त्रण का सन्तुलन समाज-व्यवस्था का पहला मौलिक आधार है।

समानता और अतमानता का सामंजस्य

समाज-व्यवस्था का दूसरा आधार खोजा गया—समानता, सबके प्रति समान व्यवहार होना चाहिए। समानाधिकार शब्द मधुर लगता है पर यह बात ऐकान्तिक नहीं हो सकती। भगवान् महावीर ने कहा—'णो हीणे णो अहरित्ते'—कोई हीन नहीं है, कोई अतिरिक्त नहीं है, यह निश्चयनय की बात हो सकती है किन्तु व्यवहारवाद में यह नियम संभव नहीं है। व्यवहार के क्षेत्र में हीनता और अतिरिक्तता प्रकृति के नियम जैसा है। जहाँ हम शरीर के नाथ जीते हैं, प्राण-यात्रा के साथ जीते हैं, मस्तिष्क के नाथ जीते हैं, वहाँ अतमानता भरी पड़ी है। समानता की बात सर्वत्र एकमपत्ता में कैसे लागू हो सकती है? जहाँ न्याय और अर्थात् का प्रश्न है,

वहां समानता भी है, असमानता भी है। जब आर्थिक दृष्टि से समानता की बात सोची गई तब यह सोचा गया—एक मजदूर को न्यूनतम इतना मिलना चाहिए, जिससे उसके परिवार का भरण-पोषण हो सके। यह न्यूनतम आय का निर्धारण तो कर दिया गया पर अधिकतम का निर्धारण नहीं किया गया। साम्यवादी व्यवस्था में भी जहां एक मजदूर को पांच सौ, हजार रुबल मिलते थे, वहां एक साहित्यकार-विचारक को दस-पन्द्रह हजार रुबल मिलते थे। यह न्यूनतम मर्यादा तो की जा सकती है कि प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम आय इतनी मिलनी चाहिए किन्तु समानता की बात सर्वत्र लागू नहीं होती। समाज व्यवस्था में समानता और असमानता—दोनों का मूल्य है। जीवन की जो मूल आवश्यकताएँ हैं, वे सबकी समान हैं और उनकी पूर्ति समानता के आधार पर होनी चाहिए। जहां व्यवस्था का प्रश्न है, न्याय का प्रश्न है, बुद्धि और कौशल का प्रश्न है, वहां समानता की बात कभी सम्भव नहीं बन सकती। अनेकान्तवाद पर आधारित समाज व्यवस्था का महत्त्वपूर्ण अभ्युपगम है—समानता और असमानता का औचित्यपूर्ण सामजस्य।

सहयोग

समाज-व्यवस्था का तीसरा सूत्र है—सहयोग। यदि सहयोग नहीं है, तो समाज क्या है? दो साथ रहे तो एक दूसरे का योग होना चाहिए। यह समाज-व्यवस्था का मूल आधार है। पांच व्यक्ति साथ रहते हैं और परस्पर सहयोग नहीं है तो प्रत्येक के आगे कोमा लग जाएगा। हम इस भाषा में समझें—१, १, १—ये कोमा लगने से तीन बनते हैं। यदि कोमा हटा तो १११ हो जाएंगे। जहाँ अर्ध-विराम और पूर्णविराम लगता चला जाए, वहां समाज नहीं बनता। जहाँ समाज होगा, वहां कोमा या पूर्णविराम नहीं होगा। वहाँ एकसूत्रता होगी, सहयोग होगा। यह चिन्तनीय प्रश्न है—दो व्यक्ति साथ रहे और एक दूसरे को योग न दे। इसका अर्थ है—वे समाज का मूल्य नहीं जानते, साथ रहने की उपयोगिता नहीं जानते। जैन दर्शन की भाषा है—एक परमाणु एक आकाश प्रदेश में अवगाढ है किन्तु वह स्कन्ध नहीं है। एक आकाश प्रदेश में अनन्त प्रदेशी स्कन्ध भी होते हैं और परमाणु भी। अनन्त परमाणु हैं पर वह स्कन्ध नहीं बनता। जब तक योग नहीं होता, बंध नहीं होता तब तक परमाणु

स्कध नहीं बन सकता । समाज तभी बनता है जब योग होता है, सहयोग होता है ।

जरूरी है असहयोग भी

सम्यक् समाज-व्यवस्था के लिए जितना सहयोग जरूरी है, असहयोग भी उतना ही जरूरी है । महात्मा गांधी ने कहा था— असहयोग करो, विनयपूर्वक असहयोग करो । एक साधक का शरीर यदि सयम की यात्रा के लिए चलता है, तो वह उसका सहयोग करता है । यदि वह सयम में बाधक बने तो उसके साथ असहयोग भी करो । शरीर को पोषण देना बन्द कर दो । ऊनोदरी, उपवास आदि तपस्या करो । तपस्या के प्रयोग के साथ असहयोग के प्रयोग है । उसे इतना सहयोग मत दो कि शरीर सयम में बाधक बन जाए । बुराई के साथ असहयोग करना समाज-व्यवस्था का मुख्य सूत्र है । जैसे एक व्यक्ति दहेज के लिए एक युवती को जिंदा जला देता है । ऐसे क्रूरकर्मों व्यक्ति के साथ समाज को असहयोग करना चाहिए । उसके विवाह-शादी आदि प्रसंगों का बहिष्कार कर असहयोग किया जाता है । मृत्युदण्ड, आजीवन कारावास आदि दंड-विधान बुराई के प्रतिकार और असहयोग के लिए ही हैं ।

सहानुभूति असहानुभूति

समाज-व्यवस्था का चौथा सूत्र है—सहानुभूति । समाज में सहानुभूति का बहुत विकास हुआ है । किसी एक व्यक्ति के दर्द होता है, तो सौ व्यक्ति दर्दों बन जाते हैं, सहानुभूति व्यक्त करने चले आते हैं । व्यक्ति मर जाता है तो संवेदना और सहानुभूति जताने के लिए सैकड़ों व्यक्ति उपस्थित हो जाते हैं । दूसरे की सहानुभूति से व्यक्ति का दुःख-दर्द हल्का हो जाता है । उम्ने लगता है—उसका दुःख-दर्द केवल उसका ही नहीं है, समाज भी उसके साथ जुड़ा हुआ है । एक ओर सहानुभूति की चेतना विकसित है तो दूसरी तरफ असहानुभूति की चेतना भी विकसित है । वह व्यक्ति जो गलत और अनैतिक कार्यों में निपट है, समाज की सहानुभूति खो देता है ।

सहिष्णुता : असहिष्णुता

समाज-व्यवस्था का पाचवा आधारसूत्र है—सहिष्णुता । समाज में किन्तने प्रकार के लोग हैं । विभिन्न रुचियाँ और विभिन्न

मूल्य बाह्य मूल्य है। भूख लगी है तो रोटी का मूल्य होगा। यह पदार्थ-सापेक्ष मूल्य है। भूख है तब रोटी का मूल्य ज्यादा है और भूख न हो, तब उसका मूल्य घट जाता है। राजस्थान की प्रचलित कहावत है—भूख मीठी या लापसी। मीठी होती है भूख। ये बाह्य मूल्य—साधन-मूल्य बदलते रहते हैं। जब जरूरत होती है, साधन के रूप में काम आ जाते हैं और जब जरूरत नहीं रहती है तब बहुत मूल्यवान् नहीं रहते। अनेकांत की दृष्टि से देखें तो ये मूल्य हैं भी और नहीं भी। आवश्यकता और उपयोगिता है तो मूल्य है। आवश्यकता और उपयोगिता नहीं है, तो मूल्य नहीं है। मूल्य का आधार है उपयोगिता। एक आदमी के पैर में चोट लग गई। उसके लिए वैशाखी का बहुत मूल्य है। कुछ दिन दवा ली, पैर ठीक हो गया, पैरो में ताकत आ गई। पूर्ण स्वस्थ हो गया। यदि उस समय उसके पास वैशाखी ले जाए तो वह कहेगा—यह बीच में खोड़ा लाकर किसने रख दिया? पदार्थ-सापेक्ष मूल्य का यह एक निदर्शन है।

जो आंतरिक मूल्य है, आचार या चरित्र से संबंधित मूल्य हैं, वे साध्य-मूल्य हैं, साधन-मूल्य नहीं। अहिंसा, सत्य, अचौर्य आदि साध्य-मूल्य हैं। ऐसा नहीं है कि इनकी कभी जरूरत होती है और कभी नहीं होती। इन्हें जीवन में सदा उपलब्ध करना है, इनका सदा विकास करना है। ये मूल्य ही जीवन को सदा उन्नत बनाते हैं। व्यक्ति और समाज के विकास में ये मूल्य ही सहायक बनते हैं इसलिए प्रत्येक क्षेत्र में मूल्यों की चर्चा है।

मूल्यों का वर्गीकरण

जीवन विज्ञान में मूल्यों का वर्गीकरण इस प्रकार किया गया है—

१. सामाजिक मूल्य—कर्तव्यनिष्ठा और स्वावलम्बन—ये सामाजिक मूल्य हैं।
२. बौद्धिक मूल्य—सत्य, समन्वय, सप्रदाय निरपेक्षता और मानवीय एकता—ये बौद्धिक मूल्य हैं।
३. मानसिक मूल्य—मानसिक सतुलन और धैर्य—ये मानसिक मूल्य हैं।
४. नैतिक मूल्य—प्रामाणिकता, कर्षणा और सह-अस्तित्व—ये नैतिक मूल्य हैं।

५. आध्यात्मिक मूल्य —अनासक्ति, सहिष्णुता, मृदुता, अभय और आत्मानुशासन ये आध्यात्मिक मूल्य हैं ।

मूल्य का सदमं

कुछ मूल्य ऐसे होते हैं, जो समाज के लिए जरूरी हैं । आचार्य भिक्षु का यह दृष्टिकोण बहुत उपयोगी है— जहा समाज-व्यवस्था को चलाना है, समाज के आधार पर चिंतन करना है, वहा नैतिकता और धर्म को बीच में लाने की जरूरत नहीं । वहा सामाजिक दृष्टि से ही सोचना होगा । जहा राष्ट्रीय हित की दृष्टि है, वहां राष्ट्रीय दृष्टि से ही सोचना होगा । एक सदमं है युद्ध का । युद्ध करे या नहीं ? राष्ट्रीय हित की दृष्टि से युद्ध करना जरूरी है । यदि वहा धार्मिक दृष्टि से सोचा जाएगा तो मूर्खतापूर्ण बात होगी । वहां भूमिका से हटकर ही सोचना होगा । यदि धर्म के सिद्धांत को लेकर अटक जाएंगे तो राष्ट्र की समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा । राष्ट्रीय घरातल पर खड़े होकर सोचने से ही राष्ट्रीय विकास की बात सम्भव बन पाएगी । सामाजिक संदर्भ में जहा विवाह आदि का प्रसंग है, वहा आध्यात्मिक दृष्टि से सोचेंगे तो समस्या प्रस्तुत हो जाएगी । अध्यात्म का स्वर होगा—व्यक्ति अकेला आया है, अकेला जाएगा । विवाह का क्या करना है ?

समस्या है मिश्रण

समस्या यह हो गई—हमने मूल्यों का मिश्रण कर दिया । मूल्यों का मिश्रण नहीं होना चाहिए । जिस भूमिका में जो मूल्य हैं, उनको उनी भूमिका में काम में लिया जाना चाहिए । मूल्यों का मिश्रण समस्या को उलझा देता है । एक व्यक्ति ने किसी घरातल पर साहित्य लिखा, दूसरे व्यक्ति ने उसे किसी घरातल पर ले लिया, तो समस्या पैदा हो जाती है । साहित्य का अपना दर्शन और मूल्य होता है । उसमें धर्म को फसा दे तो समस्या खड़ी हो जाती है । जहा सामाजिक और राष्ट्रीय समस्या का प्रश्न है, वहा धर्म को बीच में लाना कहा तक नगत है ? इन विषय में जैन आचार्यों का दृष्टिकोण बिल्कुल साफ रहा— नौकिक और नौकोत्तर—ने दो नियम हैं । नौकोत्तर नियम नौकिक नियम का मनर्षन नहीं करते और उसमें बाधा भी नहीं लाते । दोनों नियम अपने क्षेत्र में काम

२८. समाज और समानता

धर्म को समझने के लिए जितना व्यक्ति को समझना जरूरी है, उतना ही जरूरी है समाज को समझना । धर्म के साथ कर्म का सिद्धान्त जुड़ा हुआ है । कर्म की व्याख्या व्यक्ति और समाज—दोनों के सदर्थ में होती है । जैन कर्म-विज्ञान के अनुसार गोत्र कर्म आठ प्रकार से भोगा जाता है—जाति, कुल, बल, रूप, तप, श्रुत, लाभ और ऐश्वर्य । रूप, बल, श्रुत, तप—ये व्यक्ति से संबधित हैं । जाति, कुल, लाभ, ऐश्वर्य—ये समाज से संबधित हैं । कर्म-प्रकृतियों का विश्लेषण करें तो पता चलेगा कि कुछ कर्म-प्रकृतिया समाज सापेक्ष बताई गई है । एकेन्द्रिय से लेकर असंज्ञी पचेन्द्रिय तक जिन कर्म-प्रकृतियों का कोई विशेष अर्थ नहीं होता, अकेले आदमी में भी उनका विशेष अर्थ नहीं होता, परन्तु समाज के सदर्थ में वे कर्म-प्रकृतिया सार्थक बन जाती हैं ।

कर्मविपाक और समाज

आठ कर्मों में एक कर्म है—मोहकर्म । मोहकर्म की कुछ प्रकृतियां समाज-सापेक्ष हैं । क्रोध के लिए कोई दूसरा चाहिए । अहंकार के लिए तो पूरा समाज चाहिए । दूसरा न हो तो क्रोध उदय में नहीं आएगा । समाज न हो तो अहंकार उदय में नहीं आएगा । कर्म के विपाक में सामग्री बनता है समाज । यदि समाज है तो अहंकार है । समाज नहीं है तो अहंकार नहीं है । कपट के लिए भी यही बात है । लोभ के बढ़ने का कारण भी समाज है । एक स्पर्धा होती है, व्यक्ति सोचता है—उसने इतना धन कमा लिया, मैंने कम कमाया है । उसने इतना बड़ा मकान बना लिया, मैं इससे भी बड़ा बनाऊंगा । अहं के विस्तार में समाज निमित्त बनता है । जुगुप्सा, घृणा आदि की अभिव्यक्ति भी समाज-सापेक्ष है । समाज न हो तो शायद घृणा का प्रसंग ही न आए । कर्म की ऐसी अनेक प्रकृतिया हैं, जिन्हें समझने के लिए समाज की स्थितियों को समझना जरूरी है ।

विकास के साथ

समाज-विज्ञान का ज्ञान सामाजिक व्यक्ति के लिए ही नहीं, धार्मिक व्यक्ति के लिए भी आवश्यक है। यदि समाज की सारी स्थितियों को पढ़े तो पता चलेगा—समाज में क्या स्थितियाँ हैं? वे कैसे बनती हैं? रूढ़ियाँ और धारणाएँ कैसे बनती हैं। हम प्रागैतिहासिक युग को देखें। उस समय समाज में घृणा का विकास नहीं था। घृणा किससे हो? एक बहुत छोटा-सा वर्ग, एक जोड़ा (युगल) घूमता रहता। न कोई कुल, न गाँव, न नगर, न समाज और न जाति। कोई बडप्पन और छुटपन नहीं था। अहंकार का विपाक कम था। घृणा कहा से आती? धीरे-धीरे मनुष्य-जाति का विकास हुआ, समाज बना। केवल वस्तु और पदार्थ जगत् का ही विस्तार नहीं हुआ, किन्तु वृत्तियों का भी विकास हुआ। बहुत सारे कर्मों को उदय में आने का अवसर मिला। मोहनीय कर्म को उदय में आने का अवसर समाज में ज्यादा मिलता है। यदि समाज न हो तो मोहनीय कर्म का विपाक कहा होगा? यदि अकेला आदमी पहाड़ की गुफा में बैठ जाए, वर्षों तक वही जीवन बिताए तो कौन-सा मोहनीय कर्म विपाक में आएगा? वहाँ अवस्थित व्यक्ति किसने प्रतिस्पर्धा करेगा? किसका लोभ करेगा? किस पर अहंकार करेगा? घृणा किसमें होगी? बहुत नारी प्रकृतियाँ ज्ञान रहेगी।

आत्म-कर्तृत्व

यह हमारा ही आत्म-कर्तृत्व है कि हम निमित्तों को बना लेते हैं, स्थितियों को भी बदल देते हैं, तो कर्म के विपाक का मदीकरण भी कर सकते हैं। विपाक में उदय में आने वाला कर्म प्रदेशोदय में आकर समाप्त हो जाता है। यह आत्म-कर्तृत्व का सूत्र है—जो विपाक में आने वाला है, उसे प्रदेशोदय में भुगत देना। उन कर्तृत्व का खतरे बड़ा प्रमाण है। कर्म को बदलने का सामर्थ्य। नष्ट हो बदली जा सकती है, मरान नए बनाए जा सकते हैं, पदार्थ को आकृति या प्रकृति को बदला जा सकता है, किन्तु कर्म जैसे सूक्ष्म जगत् में प्रवेश करना और उसे बदल देना, किन्तु बड़ा कर्तृत्व है। विराटोदय का प्रदेशोदयोकरण आत्म-कर्तृत्व का न्ययमू प्रमाण है।

यह देखा जाता है—सामान्य परिवार में जो व्यक्ति जन्म लेता है, वह परिश्रमी और सहनशील होता है। जो आर्थिक संकट में पलता-पुषता है, वह शायद अधिक अच्छा होता है। दुनिया में जितने बड़े-बड़े लोग हुए हैं, वे प्रायः साधारण गांवों के बहुत साधारण घरों में जन्मे। जहाँ दूसरे का शोषण नहीं होता, दूसरों के लिए कुछ करने की बात होती है, वह समाज अपने आप में अनूठा समाज होता है, विकास के शिखर को छूने वाला समाज होता है।

शोषण : धार्मिक दृष्टि

शोषण न करें—इस सूत्र का धार्मिक दृष्टि से भी मूल्यांकन करें। धार्मिक दृष्टि यह है—दूसरे के श्रम का शोषण करना हिंसा है, अहिंसा का अतिचार है। दूसरे की वृत्ति का छेद न करना, अहिंसा व्रत का एक नियम है। जिसने अहिंसा का व्रत स्वीकार किया है, यदि वह यह सकल्प स्वीकार करता है—मैं किसी प्राणी का सकल्पपूर्वक वध नहीं करूंगा। यदि व्यक्ति दूसरे का शोषण करता है तो इस व्रत को बाधा पहुंचाता है। शोषण एक प्रकार से दूसरे के प्रति घात हो जाती है। किसी के घर में पाच-सात आदमी हैं। वह पूरा श्रम करता है। और उसे २०० रुपये प्रति मास मिलते हैं। क्या यह संकल्पपूर्वक घात नहीं है? भगवान् महावीर ने इस तथ्य को सूक्ष्मता से देखा। उन्होंने कहा—यह एक प्रकार से मारने का ही प्रयत्न है। पूरा काम लेना और आजीविका का शोषण करना, अहिंसा व्रत का दोष है।

व्रत व्यवस्था

प्रश्न हो सकता है—भगवान् महावीर ने व्रतों पर इतना जोर क्यों दिया? कारण यही हो सकता है—ये व्रत धार्मिक दृष्टि से जितने मूल्यवान् हैं, सामाजिक दृष्टि से उससे कम मूल्यवान् नहीं हैं। यद्यपि समाजशास्त्र, आचारशास्त्र आदि लिखे गए और उनमें अरस्तु, सुकरात आदि यूनानी दार्शनिकों को आधार बनाया गया। पता नहीं क्या बात है—किसी हिन्दुस्तानी लेखक ने महावीर की व्रत व्यवस्था को कभी आधार नहीं बनाया। इसका क्या कारण हो सकता है? उनका दृष्टिकोण सकीर्ण रहा है अथवा उन्हें सामग्री ही प्राप्त न हुई हो? प्राकृत भाषा का व्यवधान भी कारण हो सकता है। कारण कुछ भी हो लेकिन इतना स्पष्ट है—महावीर की

व्रत-व्यवस्था आज भी अज्ञात है, अघरे मे है। आज उसे प्रकाश में लाने की आवश्यकता है।

श्रम का विभाजन

अहिंसा व्रत का एक उपव्रत है—मैं दूसरे का शोषण नहीं करूंगा। दूसरे का शोषण नहीं होगा तो अपना श्रम बढेगा। आज श्रम के प्रति थोड़ा वैकल्य पैदा हो गया है। इसका एक कारण है—आदमी आराम चाहता है। दूसरा कारण यह मनोवृत्ति है—मैं आराम करू और फल भी मुझे मिल जाए। यह एक मिथ्या धारणा बन गई—श्रम करने वाला छोटा होता है और श्रम न करने वाला बड़ा होता है। इस दृष्टिकोण ने श्रम की व्यवस्था और महत्त्व को भुला दिया। हम इस सच्चाई को भुला रहे हैं—दुनिया में जितने भी महान् आदमी हुए हैं, वे प्रायः श्रमिक हुए हैं। आचार्यश्री निरन्तर १५-१६ घण्टे श्रम करते हैं। क्या ये श्रमिक नहीं हैं? जो श्रमिक नहीं है, वह मन्चा शामक भी नहीं हो सकता। कहा गया - पृथ्वी रूपी गाय का लाभ तीन व्यक्ति उठा पाते हैं। उनमें एक है श्रमिक। श्रमिक का अर्थ यह नहीं है कि वह फावडा ही चलाए। यह श्रम का विभाजन है। कुछ लोग मानते हैं जो उत्पादक श्रम नहीं करता, उसका श्रम नहीं माना जा सकता। यह अपना-अपना दृष्टिकोण है। व्यावहारिक दृष्टि में समाज में श्रम का विभाजन होता है। उस विभाजन के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति अपना-अपना काम करे, कोई निकम्मा न रहे तो श्रम का मूल्यांकन संभव बन सकता है।

प्रगति का सूत्र

श्रम की प्रतिष्ठा का यह सूत्र जीवनशैली का अनिवार्य अंग होना चाहिए। जिनने भी पुष्पायेंवादी हुए हैं, उनमें प्रथम पक्ति में गिने जाते हैं भगवान् महावीर। बहुत लोग नियतिवादी हैं। पुष्पायेंवादी ईश्वरवादी नहीं हो सकते। ईश्वरवाद नियतिवाद है। जो होगा, वह ईश्वर के द्वारा ही होगा। उनकी रज्जा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिन सकता। यह है—ईश्वरीय नियतिवाद। इसमें पुष्पायें की ज्वाला को प्रज्वलित नहीं किया जा सकता। भगवान् महावीर ने नियतिवाद का घण्टन कर पुष्पायेंवादी का प्रतिपादन किया। जहाँ आत्मगतत्वं त्वयाद मान्य है वहाँ कोई भी

व्यक्ति श्रम किए बिना रह नहीं सकता। जिसमें श्रम की निष्ठा नहीं होती, जो श्रम नहीं करता, वह सचमुच पिछड़ जाता है। श्रम-निष्ठा प्रगति और विकास का रहस्य-सूत्र है।

चारी सजीवनी न्याय

आचार्य हेमचन्द्र जा रहे थे, साथ में राजा सिद्धराज भी चल रहे थे। राजा सिद्धराज ने पूछा—‘कौन सा धर्म अच्छा है?’

‘राजन् ! बहुत सारे धर्म हैं और अच्छे भी हैं, पर धीरे-धीरे समझ में आ जाएगा—कौन-सा धर्म अच्छा है।’

‘महाराज ! कैसे समझ में आएगा?’

‘राजन् ! श्रम करोगे तो समझ में आ जाएगा।’

‘महाराज ! यह कैसे होगा?’

‘राजन् ! चारी-संजीवनी न्याय से पकड़ में आएगा।’

‘महाराज ! यह चारी-संजीवनी न्याय क्या है?’

‘राजन् ! एक महिला को ऐसी औषधि मिली, जिसे किसी मनुष्य को खिला दे तो वह पशु बन जाए। एक दूसरी औषधि भी मिली, जिसे खिलाने पर पशु पुनः मनुष्य बन जाए। उसके मन में प्रयोग करने की भावना जागी। किस पर उसका प्रयोग करे? उसने अपने पति पर ही उस दवा का प्रयोग किया। पति वैल बन गया। संयोग ऐसा मिला—पुनः मनुष्य बनाने वाली औषधि गुम हो गई। अब क्या करे? उसे इतना ज्ञात था—अमुक बड़ के पास ही वह औषधि है, जिसे खिलाने पर पुनः मनुष्य बनाया जा सकता है पर यह पता कैसे चले कि अमुक औषधि वही है। कुछ क्षण विमर्श कर उसने निश्चय किया—प्रत्येक औषधि का परीक्षण करना होगा। उसने एक-एक जड़ी को काट-काट कर खिलाना शुरू किया। काटते-काटते वह जड़ी भी आ गई। उसे खाते ही वैल पुनः पुरुष बन गया।

महिला ने पूरा श्रम किया, उसे पति उपलब्ध हो गया। यदि वह इतना श्रम नहीं करती तो उसका पति वैल ही बना रह जाता।’

आचार्य हेमचन्द्र ने कहा—इसी प्रकार अनेक धर्मों का परीक्षण करते-करते तुम्हें वह धर्म मिल जाएगा, जो सबसे अच्छा है।

जीवनशैली का प्रमुख तत्त्व

मनुष्य ने जिन सचाइयों का पता लगाया है, जितने रहस्यों का अनावरण हुआ है, वह मानवीय श्रम और पुरुषार्थ के द्वारा ही हुआ है। आराम और निराशा से किसी भी सचाई को अनावृत नहीं किया जा सकता। जरूरी है श्रमनिष्ठा और श्रम का अनुशीलन। किन्तु हमारे शरीर की न जाने कौसी रचना है कि मनुष्य श्रम कम करना चाहता है, आराम ज्यादा चाहता है। श्रमनिष्ठा का सिद्धान्त जीवनशैली का मुख्य अंग होना चाहिए। जिसने पुरुषार्थ-वाद के सिद्धान्त को स्वीकार किया है, जो नियतिवाद को एकान्ततः स्वीकार करता, उसकी जीवनशैली स्वावलम्बन और श्रम-प्रधान होनी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति के दिमाग में श्रम और स्वावलम्बन की छवि अंकित होनी चाहिए। जिसे अपने कर्तृत्व और पुरुषार्थ पर विश्वास है, वह श्रम और स्वावलम्बन की उपेक्षा नहीं कर सकता। जिसका दिमाग श्रमनिष्ठा का नहीं होता है, वह परिवार, समाज और राष्ट्र के लिए बहुत कल्याणकारी नहीं होता। लोकतंत्र का आधार है व्यक्ति। उसके मन में यदि श्रम के प्रति निष्ठा नहीं है, स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कैसे संभव होगा? प्रत्येक व्यक्ति की जीवनशैली का प्रमुख तत्त्व है स्वावलम्बन। स्वावलम्बन का तात्पर्य है—दूसरे के श्रम का शोषण न करना। उसके प्रति निष्ठा धनीभूत बन जाए तो वह समाज और राष्ट्र के लिए उपयोगी एवं वरदान जैसी सिद्ध हो सकती है।

३०. वासना पर वृद्धि का नियंत्रण

अहिंसा की लौ इसलिए प्रज्वलित है कि हिंसा मनुष्य के लिए वाञ्छित नहीं है। वह हिंसा करता है पर चाहता नहीं है। वह अपने लिए हिंसा विलकुल नहीं चाहता, अपने आपको सकट की स्थिति में डालना नहीं चाहता। इस स्थिति में अहिंसा की बात सूझती है। आज कोई ऐसा विचित्र प्रकार का सौर विकिरण हो रहा है कि पूरे वातावरण में हिंसा समा रही है। मनुष्य ने यह धारणा बना ली—समस्याओं का एक मात्र समाधान है हिंसा। उसने निर्विकल्प रूप में इस आस्था को स्थान दे दिया इसलिए वह प्रत्येक समस्या का समाधान करने के लिए हिंसा का सहारा ले रहा है।

जहरत है आस्था बदलने की

हम वर्तमान विश्व की स्थिति को देखें, हिन्दुस्तान के परिपार्श्व को देखें। पूर्वांचल, पश्चिमांचल और उत्तरांचल को देखें। चारों ओर हिंसा उग्र रूप धारण कर रही है। कहीं गोलियाँ, कहीं पथराव, कहीं बम विस्फोट और कहीं वारूदी सुरंगें। ऐसा लगता है - समाज में हिंसा के प्रति बहुत गहरी आस्था हो गई है और वह बहुत अच्छा समाधान प्रतीत हो रही है। ऐसी स्थिति में कुछ लोग ऐसे भी हैं, जो दूसरी आस्था लिए हुए हैं। उनके चिन्तन का कोण भिन्न है। उनका चिन्तन है—यदि हिंसा इसी प्रकार बढ़ी तो पूरा समाज सन्नस्त और भयभीत हो जाएगा। जीवन का रस सूख जाएगा। प्राणी भयभीत और आशक्ति बना रहेगा। पता नहीं, कब क्या हो जाए? हिंसा में बढ़ती आस्था को बदलने की जरूरत है।

शरण है अहिंसा

इस आस्था को बदलने और मिटाने के लिए दवा ले। ऐसी दवा, जो नई बीमारी पैदा न करे। यदि दवा नई बीमारी पैदा करती है तो उसे समस्या का समाधान नहीं माना जा सकता।

आयुर्वेद में दवा के सन्दर्भ में कहा गया—दवा वह है, जो नए रोग को पैदा न करे। औषध उसी का नाम है। आदमी दवा ले और उसका इतना रिएक्सन हो जाए कि जीवन से हाथ धोना पड़े तो वह क्या दवा है? हिंसा की यही समस्या है। वह ऐसी दवा है, जिससे ऐसा लगता है—समस्या सुलभ रही है, बीमारी मिट रही है किन्तु उसकी प्रतिक्रिया इतनी भयकर होती है कि अनेक नई बीमारियां पैदा हो जाती हैं। हम ऐसी दवा की खोज करें, जो नई बीमारी पैदा न करे। वह दवा है अहिंसा। कितनी ही लड़ाइयां लड़ें, वैर-विरोध करें, युद्ध और हिंसक वारदातें करे, समस्या सुलभती नहीं है। व्यक्ति को अन्ततः अहिंसा की शरण में जाना पड़ता है, शान्ति के लिए समझौता करना पड़ता है।

अन्तर मनुष्य और पशु में

अहिंसा की आस्था को जगाने का एक उपक्रम है अणुव्रत आन्दोलन। व्यक्ति और समाज—दोनों में अहिंसा की आस्था जागे। सबसे पहले व्यक्ति को केन्द्र में रखना होगा। नैतिकता का दृष्टिकोण हमेशा व्यक्तिपरक रहा है। अणुव्रत का महत्त्वपूर्ण घोषणा सूत्र है—व्यक्ति का निर्माण। व्यक्ति में दो तत्त्व होते हैं—वासना और बुद्धि। पशु में वासना होती है, बुद्धि नहीं होती। मनुष्य और पशु में यह अन्तर है—पशु अपनी वासना पर नियन्त्रण नहीं कर सकता, मनुष्य अपनी बुद्धि से वासना पर नियन्त्रण कर सकता है। व्यक्ति-निर्माण का एक अर्थ है—बुद्धि द्वारा वासना पर नियन्त्रण करना। जिसने बुद्धि के प्रयोग द्वारा वासना पर नियन्त्रण करना सीख लिया, उस व्यक्ति का निर्माण शुरू हो गया। हम इस सचार्ई को स्वीकार करें—वासना प्रत्येक व्यक्ति में होती है। यदि वासना क्षीण हो जाती है तो निर्माण की बात ही नहीं है, हिंसा अहिंसा का प्रश्न ही नहीं है। जिसकी वासना क्षीण हो गई, वह इन सब प्रश्नों से अतीत हो गया। एक सामान्य आदमी भी बुद्धि द्वारा वासना पर इतना नियन्त्रण अवश्य करे, जिससे वह दूसरे के हित का विखंडन कर अपने हित की साधना में न लगे। दूसरे के हितों को चोट पहुंचा कर अपना हित साधने की बात वासना की प्रवृत्तता में ही उपजती है। यदि वासना पर बुद्धि का नियन्त्रण हो जाए, मनुष्य का जीवन नैतिकता, आचार और चरित्र से अनुस्यूत हो जाए तो व्यक्ति

निर्माण की बात सभव बन जाती है ।

सुख, वासना और बुद्धि

समस्या यह है - प्रत्येक व्यक्ति सुख चाहता है । वह सुखवाद की अवधारणा से प्रभावित है इसलिए वह अपनी वासना पर नियन्त्रण नहीं करना चाहता । वह अधिकाधिक सुख बटोरना चाहता है, सम्पदा बटोरना चाहता है । यह बटोरने की भावना प्रत्येक व्यक्ति में है इसलिए वासना पर नियन्त्रण नहीं हो पाता । तीन तत्त्व हैं सुख, वासना और बुद्धि । नियन्त्रण करने में बाधक है सुख । यहाँ आदमी की शक्ति कुठित हो जाती है । प्रत्येक व्यक्ति की शक्ति की एक सीमा होती है । कोई भी असीम शक्ति वाला नहीं है । समस्या यह है—सुख की लालसा में डूबा मनुष्य अनित्य और अशाश्वत की दौड़ में लगा रहता है । उसने दूसरे पहलू को देखा ही नहीं । वह पहलू है—दुनिया में एक शाश्वत सत्य होता है, कालातीत सत्य होता है । उसकी शरण में जाने पर ही आदमी स्थायी सुख की ओर जा सकता है, अपने व्यक्तित्व को प्रकट कर सकता है, नैतिकता की जो आंतरिक वृत्ति है, उसे बाहर ला सकता है । नैतिकता को प्रकट करने का एक साधन है शाश्वत के प्रति आस्था । जब तक नित्य के प्रति गहरी आस्था नहीं जुड़ती तब तक स्थायी सुख की कल्पना अधूरी रह जाती है ।

नई आस्था का सूत्र

अणुव्रत के सदर्थ में एक नई आस्था को जगाने का प्रयत्न करना होगा । जो आस्था हिंसा के साथ जुड़ी हुई है, परिग्रह, सुख-सुविधा और लोभ के साथ जुड़ी हुई है, उसे अहिंसा के साथ, इच्छा-परिणाम और आनन्दमय जीवन के साथ जोड़ दें । सुख और आनन्द में बहुत अन्तर है । सुख वह है, जो बाह्य पदार्थ की प्राप्ति से मिलता है । आनन्द हमारी सहज वृत्ति है, जो भीतर से प्रस्फुटित होती है । यह बात समझ में आ जाए तो सुख की बात स्वतः कमजोर हो जाए । आज सुख की मनोवृत्ति बढी है । इसका कारण यही है—आनन्द को बात समझ से परे बनी हुई है । जब समाज को एक नई दृष्टि देनी है तो नए विकल्प और नए प्रकल्प प्रस्तुत करने होंगे । अरविन्द और मां—आज दोनों ही जीवित नहीं हैं किन्तु आज भी

सैकड़ो-सैकड़ो विद्वान् अरविद के चैत्यपुरुष पर कार्य कर रहे हैं। अरविद ने एक नया सिद्धान्त दिया—अतिमानव का निर्माण किया जा सकता है। भू-मण्डल पर ऐसा वातावरण बनाया जा सकता है, जिससे एक दिन चैत्यपुरुष जग जाए, अतिमानव का निर्माण संभव बन जाए। अणुव्रत को भी एक ऐसी आस्था का आधार देना चाहिए, जिससे बुद्धिजीवी और चिन्तक वर्ग का ध्यान आकृष्ट हो। वह आस्था-सूत्र है—वासना का रूपान्तरण किया जा सकता है। क्षयीकरण की बात प्रत्येक व्यक्ति के लिए संभव नहीं है। जो वीतरागता की साधना में लगे, उसके लिए वासना के क्षयीकरण या उन्मूलन की बात कही जा सकती है किन्तु आम सामाजिक आदमी के लिए यही सूत्र हो सकता है—वासना का रूपान्तरण संभव है।

स्वस्थ वैयक्तिकता

यदि समाज में वासना के रूपान्तरण की बात व्यापक बन जाए तो समाज का सारा ढांचा बदल जाए। आकृति और कृति—दोनों बदल सकते हैं। आज सबसे बड़ी आवश्यकता है वासना के रूपान्तरण की। यह व्यक्तित्व का रूपान्तरण है। इससे व्यक्ति और समाज में समन्वय सधेगा। आज व्यक्ति और समाज—दोनों अलग-अलग पड़े हुए हैं। यद्यपि व्यक्ति में वैयक्तिकता और सामुदायिकता—दोनों के अंश विद्यमान हैं किन्तु आज वैयक्तिक चेतना अधिक प्रखर है। जहाँ सुख-सुविधा की लालसा है, वहाँ सामाजिकता या सामुदायिकता कहा है? आज वैयक्तिकता को जगाने का प्रयत्न भी कहा है? जब तक व्यक्ति का सम्यक् निर्माण नहीं होता तब तक समाज का सही निर्माण नहीं हो सकता। गत वर्षों में घटी कुछ घटनाओं ने इस तथ्य को और अधिक पुष्ट कर दिया। जो लोग अग्रणी बने, समाजवाद या साम्यवाद के मुखिया बने, साम्यवादी कम्यून के सूत्रधार कहलाए, उनका जीवन देखा तो लोग आश्चर्य से भर उठे। आज भी एक विशाल साम्यवादी देश में लोकतंत्र की हवा चल रही है। उसका कारण यही है—सत्ता पर जो आसीन हैं, वे सुख भोग रहे हैं, विलास और ऐश्वर्य में डूबे हुए हैं और आम जनता त्रासदी भोग रही है। यदि स्वस्थ वैयक्तिकता का निर्माण किया गया होता तो यह स्थिति कभी नहीं बनती। जहाँ स्वस्थ

व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता और प्रचुर साधन, सत्ता एव सामग्री आ जाती है, वहा कौन अविचल रहेगा, यह कहा नहीं जा सकता ।

वासना के दास न बनें

आज समाज का ध्यान सबसे ज्यादा इस बात पर केन्द्रित होना जरूरी है—व्यक्तित्व का निर्माण पहले होना चाहिए । समाज का जो मुखिया बने, वह ऐसा व्यक्ति हो, जिसने अपनी वासना पर नियंत्रण करना सीखा है । यदि उसके हाथ में सत्ता केन्द्रित हो तो खतरा नहीं होगा । यह अणुव्रत का आधार सूत्र है—बुद्धि के द्वारा वासना पर नियंत्रण करना सीखें । व्यक्ति वासना का दास न बने, वासना के पीछे बुद्धि को न चलाए, किन्तु बुद्धि के द्वारा वासना पर नियन्त्रण करे । महावीर का यह सूत्र बहुत मार्मिक है—अप्पा च्चव दमेयव्वो, अप्पा ह्णु ष्णु इह्मो—सबसे कठिन है अपनी आत्मा को जीतना, अपनी वासना को जीतना । अपनी वासना पर नियन्त्रण करो, सुख मिलेगा और वह परलोक में नहीं, इसी जीवन में मिलेगा ।

अणुव्रत आदर्श

महावीर का यह सूक्त अणुव्रत का आदर्श है । इसमें अणुव्रत का पूरा दर्शन समाया हुआ है । इस आधार पर व्यक्ति और समाज में समन्वय स्थापित किया जा सकता है । सब लोग समाज के निर्माण की बात करते हैं किन्तु समाज-निर्माण से उनका तात्पर्य है—बड़े-बड़े कारखाने लगा दो, मजदूरी दे दो, यह कर दो, वह कर दो । यह आश्चर्य है—व्यक्ति-निर्माण की बात कोई नहीं करता । क्या व्यक्ति का निर्माण किए बिना कोई योजना सफल हो पाएगी ? जब तक यह स्थिति नहीं बदलेगी, तब तक परिवर्तन की बात सम्भव प्रतीत नहीं होगी, अणुव्रत की यह गहरी आस्था और निष्ठा है । हम इस आधार पर समाज रचना की बात करें तो ऐसे समाज और व्यक्ति का उदय होगा, जो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए ही नहीं, पूरे विश्व के लिए उपयोगी होगा, कल्याणकारी और मंगलकारी होगा ।

३१. अणुव्रत का दर्शन

व्यक्ति-निर्माण का महत्त्वपूर्ण सूत्र है—संकल्प-शक्ति का विकास। सकल्प-शक्ति कमजोर होती है तो व्यक्ति नीचे उतरता चला जाता है। सकल्प-शक्ति बलवान् होती है तो वह ऊपर उठता चला जाता है। निर्माण का सूत्र है—मनोबल, सकल्प-शक्ति। इस सचाई का हमारे पूर्वजो ने अनुभव किया और उसी आधार पर व्रतो की व्यवस्था की।

आवश्यक है श्रद्धा

आंतरिक सकल्प-शक्ति का एक प्रतिबिम्ब है व्रत। भीतर में चेतना जागृत होती है। उसका बाह्य बिम्ब है व्रत। केवल व्रत को पकड़ लिया गया किन्तु उसके परिपार्श्व में जो था, उसे भुला दिया गया। यह सदा होता रहा है—जो तत्त्व चलता है, उसकी एक बात रह जाती है, परिपार्श्व विलुप्त हो जाता है। भगवान् महावीर ने बारह व्रतो की व्यवस्था दी। यह आचार-शास्त्र का विषय है किन्तु भगवान् महावीर का मूल दृष्टिकोण आचार से प्रारम्भ नहीं होता। उसका प्रारम्भ बिन्दु है—सम्यग्-दर्शन। महावीर ने तत्त्व का प्रतिपादन किया। लोगो ने सुना, समझा और इस भाषा में निवेदन किया—देव ! मैं निर्ग्रन्थ प्रवचन पर रुचि करता हूँ, श्रद्धा करता हूँ, प्रीति और विश्वास करता हूँ इसलिए मैं इस धर्म को स्वीकार करता हूँ। धर्म को स्वीकार करना दूसरे नम्बर की बात है। पहली बात है श्रद्धा और प्रीति करना। सम्यग्-दर्शन विहीन व्रत का स्वीकार बहुत आगे नहीं बढ़ता। सबसे पहले आवश्यक है श्रद्धा और प्रीति। यदि प्रीति नहीं है तो स्वीकृत बात भी टिक नहीं पाएगी। दो तत्त्व हैं—श्रद्धा का स्वीकार और व्रत का स्वीकार। अणुव्रत के सदर्भ में सम्यग्-दर्शन की बात पर कम बल दिया गया। जो व्यक्ति अणुव्रत को स्वीकार करता है, उसमें पहले श्रद्धा पैदा की जाए, सम्यग्-दर्शन जागे, इस ओर ध्यान केन्द्रित होना आवश्यक है।

अणुव्रत : वारह व्रत

यह प्रश्न स्वाभाविक है—अणुव्रत और वारह व्रत में अन्तर क्या है ? जब पहले से वारह व्रत की व्यवस्था थी तब अणुव्रत को चलाने की जरूरत क्या थी ? यह स्पष्ट है—गारह व्रत का जो सम्यग् दर्शन है, वह जैन तत्त्व-ज्ञान पर आधारित है । जैन तत्त्व-ज्ञान में श्रद्धा होती है तो वारह व्रतो का स्वीकार होता है, इसलिए वारह व्रतो की व्यवस्था जैनो तक ही सीमित रही । जो महावीर के अनुयायी थे या जिन्होंने वाद में जैन धर्म स्वीकार किया, उनमें श्रद्धा जागी और वारह व्रत स्वीकार किए गए । इन वारह व्रतो की पृष्ठभूमि में षट्द्रव्य, आत्मा, पुनर्जन्म, कर्म आदि का पूरा दर्शन जुड़ा हुआ है । यदि पूछा जाए—अहिंसा का व्रत क्यों स्वीकार किया जाता है तो जैन व्यक्ति का उत्तर होगा—आश्रव के द्वारा कर्म का वध होता है । मैं अहिंसा अणुव्रत को इसलिए स्वीकार कर रहा हूँ कि आश्रव का निरोध हो, सवर की चेतना जागे । जब तक व्यक्ति आश्रव और सवर को नहीं जानता तब तक व्रत के स्वीकरण का कोई अर्थ नहीं होता और उसे स्वीकार किया भी नहीं जाता । जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रव, सवर, निर्जरा, वध, मोक्ष—इन नौ तत्त्वों को जानने के बाद ही व्रतो की स्वीकृति होती है । कहा गया—जो इन तत्त्वों को नहीं जानता, वह व्रतो को कैसे स्वीकार करेगा ? इसका तात्पर्य है—व्रत-स्वीकृति से पहले जरूरी है तत्त्वज्ञान ।

असांप्रदायिकता का रहस्य

अणुव्रत के साथ यह शर्त जुड़ी हुई नहीं है, उसे कोई भी स्वीकार कर सकता है । व्यक्ति ने देखा—आचार-सहिता अच्छी है, उद्देश्य कल्याणकारी है और वह अणुव्रती बन गया । यह अन्तर स्पष्ट है—वारह व्रत जैन तत्त्वज्ञान के आधार पर स्वीकृत व्रत है और अणुव्रत सामाजिक सदर्थ में स्वीकृत व्रत । यद्यपि अणुव्रत का भी अपना एक सम्यग् दर्शन है, तत्त्वज्ञान है । जब तक अणुव्रत का सम्यग् दर्शन स्पष्ट नहीं होगा, अणुव्रती बनने वाला भी कमजोर होगा और अणुव्रत का सम्यक् परिपाक भी नहीं होगा । अणुव्रत का सम्यग् दर्शन किसी सम्प्रदाय पर आधारित नहीं है । उसके लिए न चार आर्य सत्य का ज्ञान जरूरी है और न नवतत्त्व का । अणुव्रत

की असाप्रदायिकता का रहस्य यही है कि वह किसी सप्रदाय विशेष के दर्शन पर आधारित नहीं है। यदि अणुव्रत के साथ जैन दर्शन का तत्त्वज्ञान जोड़ दिया जाता तो यह केवल जैनो के लिए ही उपयोगी होता। हम इसे जैन-अजैन सबके लिए मानते हैं, इसलिए जैन तत्त्वज्ञान इसके साथ जुड़ नहीं सकता। इस दृष्टि से अणुव्रत किसी का नहीं है और जब किसी का नहीं है तो वह सबका है। यद्यपि अहिंसा, सत्य, अचौर्य ब्रह्मचर्य, इच्छा परिमाण आदि शब्द लिये हैं किन्तु तत्त्वज्ञान नहीं लिया, दर्शन और आचार नहीं लिया इसीलिए अणुव्रत असाप्रदायिक उपक्रम है।

सांप्रदायिक का तात्पर्य

सांप्रदायिकता का मतलब क्या है? जिस किसी सप्रदाय की पूजा पद्धति, उपासना पद्धति और तत्त्वज्ञान के साथ जो पद्धति जुड़ी होती है, वह सांप्रदायिक होती है। अणुव्रत के साथ ऐसा कुछ भी जुड़ा हुआ नहीं है। समस्या यह है—यदि जैनो का होता तो जैन लोग इसे सभाल लेते। लाभ यह है—यदि जैनो का होता तो अन्यान्य लोगो को सकोच होता। अणुव्रत के साथ जो व्यापक जनमत जुड़ा है, वह उसकी असांप्रदायिक दृष्टि से प्रभावित होकर जुड़ा है।

ज्ञान का सार है आचार

सबसे पहले अणुव्रत का तत्त्वज्ञान स्पष्ट होना चाहिए। एक ग्रन्थ लिखा गया 'अणुव्रत दर्शन'। इसी श्रृंखला में 'अणुव्रत गति प्रगति', 'अणुव्रत के आलोक में' आदि ग्रन्थ प्रकाश में आए। इन ग्रन्थो का गम्भीर अध्ययन जरूरी है। जिस काम को हम करना चाहते हैं, उसका पूरा ज्ञान नहीं है तो कोई फायदा नहीं होगा। जब तक कार्य के प्रति श्रद्धा नहीं होगी, कार्य आगे नहीं बढ़ेगा। श्रद्धा और प्रीति को पैदा किए बिना आचरण की सभावना नहीं की जा सकती। पहले आचरण की बात मत करो, उसका ज्ञान करो। यह किसी अपेक्षा से कहा गया था—आचारः प्रथमो धर्मः—आचार प्रथम धर्म है किन्तु एक अपेक्षा यह है—पढम नाणं तमो वया। पहले ज्ञान और फिर आचार। ज्ञान का सार है आचार। जो आचार फलित होता है, उसके लिए दृष्टिकोण का निर्माण करना चाहिए। दृष्टि का निर्माण नहीं होगा तो व्रत का स्वीकार नहीं

होगा। यदि होगा भी तो बहुत ढीला-ढाला होगा। यदि दृष्टिकोण स्पष्ट होगा तो उसके प्रति प्रीति और श्रद्धा उत्पन्न होगी। वह जीवन की आस्था बन जाएगी। वह ब्रत टूटेगा नहीं, जीवन का अग बन जाएगा।

अणुव्रत का सम्यग् दर्शन

प्रश्न है—अणुव्रत का तत्त्वज्ञान क्या है? इस संदर्भ में पदार्थ और चेतना—इन दो बातों को समझना होगा। यदि दृष्टिकोण में पदार्थ प्रधान है और चेतना गौण है तो उसका परिणाम होगा—मानसिक तनाव, अपराध, हिंसा, अशांति आतक आदि। जिसने पदार्थ को प्रधान मान लिया, उसके आकर्षण का विषय वही बनेगा। पदार्थ प्रधान और चेतना गौण, यह अणुव्रत तत्त्वज्ञान का मिथ्या दर्शन है। आज की सारी समस्याओं का कारण है पदार्थ को प्रधान मान लेना। जमीन के छोटे से भू-भाग के लिए दो भाई लड़ते हैं, पांच-दस हजार रुपये के लिए कोर्ट में मामले-मुकदमें कर देते हैं। ऐसा क्यों होता है? इसलिए कि उन्होंने पदार्थ को प्रधान मान लिया, चेतना पर आवरण डाल दिया। जहां दृष्टिकोण पदार्थमय होता है, वहां संघर्ष होता है, विवाद, कलह तथा नाना प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं। एक आदमी चोरी करता है। चोरी से चेतना नीचे जाती है, इसका उसकी दृष्टि में कोई मूल्य नहीं है, किन्तु उससे धन मिलता है, इसका मूल्य है। जितने भी अपराध हैं, उनकी पृष्ठभूमि में यह पदार्थवादी दृष्टिकोण है।

अणुव्रत का सम्यग् दर्शन है—जहां चेतना प्रधान और पदार्थ गौण होता है, वहां समस्या का समाधान है। चेतना शुद्ध रहे, पवित्र रहे, यह दृष्टिकोण प्रमुख होगा तो मानसिक शांति बड़ेगी, अपराध कम होंगे, हिंसा कम होगी।

माक्स और महावीर की कल्पना

माक्स ने दृष्टिकोण दिया व्यक्तिगत स्वामित्व न हो। उन्होंने राज्यविहीन समाज (Stateless society) की कल्पना प्रस्तुत की। यह अहिंसात्मक दृष्टिकोण था। शक्ति और दण्ड के बल पर ऐसी कल्पना कभी नहीं की जा सकती। ऐसी ही कल्पना भगवान् महावीर ने की। उन्होंने इसके लिए कल्पातीत शब्द का प्रयोग किया। एक शब्द है—अहमिन्द्र—में इन्द्र हू। यह कल्पना की

गई—कोई स्वामी नहीं है। वही सेवक है और वही इन्द्र। इस व्यवस्था का नामकरण किया गया—अहमिन्द्र। ऐसी ही कल्पना साधु के लिए प्रस्तुत की गई। मुनि साधना करता है, कल्प में रहता है। साधना करते-करते ऐसी स्थिति में पहुँच गया, कल्पातीत हो गया। तीसरी स्थिति है, यौगलिक मनुष्यों की। वे भी कल्पातीत हैं। कोई व्यवस्था नहीं, सब कुछ स्वतः संचालित। यह अपना अनुशासन, आत्मानुशासन का जो दर्शन महावीर ने दिया, उसका आधार यह था—जिनका कषाय उपशान्त होता है, अल्प संक्लेश होता है, वहाँ ऐसी स्थिति बन सकती है।

स्वार्थ और परार्थ का सामंजस्य

महावीर और मार्क्स के चिन्तन में अन्तर हो सकता है किन्तु उसका जो निष्कर्ष है, वह शासनविहीन राज्य की कल्पना है। ऐसी कल्पना करना भी अपने आपमें बहुत बड़ी बात है। यह अणुव्रत के साथ जुड़ा हुआ दर्शन है—व्यक्तिगत स्वामित्व न हो, स्वार्थ का विलीनीकरण हो जाए। अणुव्रत के तत्त्वज्ञान का सम्यग् दर्शन है स्वार्थ और परार्थ का सामंजस्य। व्यक्तिगत स्वामित्व व्यक्ति की एक मौलिक मनोवृत्ति है। अणुव्रत के सदर्भ में स्वार्थ को परमार्थ की भूमिका तक ले जाएं और उसे विस्तार देकर पदार्थ के साथ जोड़ दें। वेदान्त में एक ब्रह्म की बात कही गई। चेतना को इतना व्यापक बना लो कि ब्रह्म एक है। यदि यह दृष्टिकोण बन गया तो बुराई के लिए अवकाश नहीं रहेगा। जैन दर्शन में आत्म-तुला की बात कही गई—सबको अपने समान समझो। इसमें भी बुराई के लिए कोई अवकाश नहीं है। ये स्वार्थ से परार्थ की ओर ले जाने वाले तत्त्व थे, पर इन दर्शनों के प्रति प्रीति पैदा नहीं की गई। सब जीव समान हैं पर सब जीवों के प्रति श्रद्धा कितनी है! क्या यह प्रश्न मन में कभी उभरता है? यदि इनके प्रति श्रद्धा गहरी हो जाए तो क्या किसी के प्रति अप्रिय व्यवहार हो सकता है?’

दृष्टि : सृष्टि

किसी सिद्धान्त को मानना अलग बात है किन्तु उसमें प्रीति या श्रद्धा होना अलग बात है। आज मूल आवश्यकता है—प्रीति

पैदा की जाए, चेतना के प्रति श्रद्धा और आकर्षण पैदा किया जाए। व्यक्ति ने अपनेपन की सीमा अपने परिवार तक ही बना ली, उसका दायरा बहुत छोटा बन गया है। उस सीमा को विस्तार दिया जाए। अणुव्रत के तत्त्वज्ञान का सम्यग्-दर्शन है—स्वार्थ और परार्थ का सामंजस्य। चेतना और स्वार्थ के विस्तार के प्रति श्रद्धा जागेगी तो व्रत को ग्रहण करने की भावना स्वतः जाग जाएगी। बारह व्रत का स्वीकार उन लोगो ने किया, जिनके मन में महावीर के दर्शन के प्रति श्रद्धा पैदा हुई। अणुव्रत को भी वह स्वीकार करेगा, जिससे मन में अणुव्रत के तत्त्वज्ञान के प्रति प्रीति जगेगी। हम एक नई दृष्टि का निर्माण करें। दृष्टि का निर्माण होगा, तो सृष्टि का निर्माण अपने आप हो जाएगा। व्यक्तित्व के निर्माण का यही रहस्य-सूत्र है।

३२. धर्म और आज का युवा मानस

एक युवक से पूछा—धर्म की आराधना करते हो ? उत्तर मिला—मैं आवश्यक नहीं मानता ।
दूसरे युवक से पूछा—धर्म की आराधना करते हो ? उसने तपाक से कहा मेरी इसमें रुचि नहीं है ।
तीसरे युवक से वही प्रश्न पूछा । उसका उत्तर था—मैं धर्म को आवश्यक मानता हूँ । मेरी उसमें रुचि भी है, पर क्या करूँ । बहुत व्यस्त हूँ । धर्म की आराधना के लिए समय नहीं निकाल पाता ।

त्रिपदी

अनास्था, अरुचि और व्यस्तता—इन तीनों समस्याओं में उलझा हुआ है आज का युवा-मानस । तीसरी समस्या जटिल नहीं है । प्रथम दो समस्याएँ जटिल हैं । समय के नियोजन का सूत्र हाथ लग जाए तो व्यस्तता की समस्या का समाधान हो जाता है ।

मैंने एक युवक से पूछा—तुम्हारे पास शरीर और मन—ये दो प्राण-तत्त्व हैं । शरीर बहुत सबल है और मन दुर्बल है । क्या यह स्थिति वाछनीय है ?

युवक—कभी नहीं, यदि मन दुर्बल है तो शरीर कोई बड़ा काम नहीं कर पाएगा ।

मैंने इस बात को आगे बढ़ाया—किसी व्यक्ति का शरीर दुर्बल है और मन सबल एवं प्रबल है । इस स्थिति में क्या होगा ?

युवक—यदि मन प्रबल है, तो शरीर की दुर्बलता उतना कष्ट नहीं देगी जितना कष्ट दुर्बल मन वाले को देती है ।

अगला प्रश्न था—तुम शरीर को बलवान् रखने के लिए कितना समय लगाते हो ?

वह बोला—शरीर की देखभाल में घटो का समय लगता है, मन के लिए कुछ भी समय नहीं लगता ।

‘क्या यह उचित है ?’

इस प्रश्न के उत्तर में युवक ने कहा—अब बात समझ में आ गई। मैं मन को स्वस्थ रखने के लिए भी समय लगाऊंगा। उसने आगे कहा—मैं बहुत व्यस्त हूँ, मेरे पास समय नहीं है। ये सब वहाने हैं। मूल बात यह है—धर्म की आवश्यकता समझ में नहीं आती तो उसके लिए समय का नियोजन नहीं होता।

बोध हो उपयोगिता का

धर्म का अर्थ है अपने कषायों (क्रोध, मान, माया, लोभ, भय आदि) पर नियंत्रण करना, नियंत्रण की शक्ति के विकास की साधना करना। अदृश्य या अगम्य के प्रति अनास्था हो सकती है। अपनी वृत्तियों पर नियंत्रण करना जीवन के लिए श्रेयस्कर है। यह दृश्य और बुद्धिगम्य है। मानसिक तनावमुक्ति और मानसिक शांति का जीवन जीने के लिए यह आवश्यक है। इसमें अनास्था का प्रश्न कहा है? जो लोग धर्म के प्रति अनास्था की बात कहते हैं, वे धर्म का हार्द समझे बिना ही कहते हैं। आत्मा, परमात्मा जैसी बुद्धि से अगम्य तत्त्वों के प्रति अनास्था हो सकती है किन्तु मन और भावना के स्तर पर धर्म की बात करते हैं, वहाँ अनास्था का प्रश्न कैसे हो सकता है? अरुचि को रुचि में बदला जा सकता है। उपयोगिता का बोध और सम्यग् सम्पर्क—ये दोनों अरुचि को रुचि में बदल देते हैं। पर्यावरण का प्रदूषण न हो, हिंसा की वृद्धि रुके, आतंकवादी प्रवृत्तियाँ न हो, शोषण न हो—समाज की भूमिका में ये सारी बातें कही जा रही हैं, क्या ये धर्म की बातें नहीं हैं? कोई भी व्यक्ति और समाज अहिंसा, अपरिग्रह और अनेकात्मक धर्म के बिना स्वस्थ नहीं रह सकता, इसलिए धर्म का नाम लें या न लें, धर्म की सच्चाई को स्वीकार करना ही होता है।

ऋग्वेदोपनिषद् के दो मार्ग

जैन दर्शन का एक महत्त्वपूर्ण अवदान है—अनेकात्मक। उसे हृदयगम्य कर सत्य को जाना जा सकता है, जीया जा सकता है। जीवन एक सच्चाई है। सब लोग जी रहे हैं। उस सच्चाई को समझने के लिए अनेकान्त की दृष्टि का प्रयोग आवश्यक है। एक सामाजिक प्राणी काम और अर्थ के महासागर का एक द्वीप है। यदि जीवन की यही सीमा हो तो चारों ओर कामनाओं का जल है और वह

द्वीप तूफानी तरंगों से आक्रांत होने के लिए विवश है।

जीवन गतिशील है। उसमें विकास की अनंत संभावनाएँ और असीम क्षमताएँ हैं। वह कामना के जल से ऊपर उठ सकता है, ऊर्ध्वारोहण कर सकता है। ऊर्ध्वारोहण के दो पथ हैं— धर्म और मोक्ष। इनके द्वारा जीवन का उन्नयन होता है।

जीवन की समग्रता : चार आयाम

सामाजिक प्राणी के जीवन की समग्रता को चार आयामों में देखा जा सकता है —

- (१) कामना का जीवन
- (२) अर्थ का जीवन
- (३) धर्म का जीवन
- (४) मोक्ष का जीवन

इन चारों आयामों में जीने वाला सामाजिक प्राणी समग्रता का जीवन जीता है। वह कोरा धार्मिक नहीं है, सामाजिक भी है। वह कोरा सामाजिक नहीं है, धार्मिक भी है। उसे दोनों क्षेत्रों में काम करना पड़ता है। उसके लिए अपेक्षित है—धार्मिक चेतना के साथ सामाजिक चेतना का विकास और सामाजिक चेतना के साथ धार्मिक चेतना का विकास। यह है जीवन का सतुलित विकास। वैदिक आचार्यों ने काम, अर्थ, धर्म और मोक्ष की सीमा का निर्धारण किया है। समग्रता की दृष्टि से वह बहुत सार्थक है। काम की सीमा है—वह अर्थ को वाधित न करे। अर्थ की सीमा है—वह काम को वाधित न करे। अर्थ और काम की सीमा है—वे धर्म को वाधित न करे। धर्म की सीमा है—वह काम और अर्थ को वाधित न करे। ये तीनों पुरुषार्थ परस्पर अवाधित होकर वाधा उत्पन्न नहीं करते। यह पुरुषार्थ चतुष्टय के विषय में वैदिक व्यवहार है। सामाजिक प्राणी इन चारों की सापेक्षता से ही स्वस्थ और सतुलित जीवन जी सकता है।

समस्या है असंतुलित जीवन-शैली

वर्तमान जीवन-शैली असंतुलित है। वह काम और अर्थ से अधिक प्रभावित है। धर्म और मोक्ष उपेक्षित हो रहे हैं। उसी का परिणाम है स्वार्थ का एकछत्र साम्राज्य। युग है समाजवाद का। सामाजिक चेतना और सहकारिता की वृत्ति को बढ़ाने का स्वर

मुखर हो रहा है । दिये के तले अघेरा है । व्यक्तिगत स्वार्थ अधिक पनप रहा है । धर्म की चेतना का सतुलित विकास होता तो स्वार्थ इतना निरकुश नहीं होता । अर्थ इतना प्रधान हो गया है कि उसके लिए व्यक्ति करणीय और अकरणीय की भेदरेखा को भुला चुका है । मानवीय संबंधों की मधुरिमा अम्लता में बदल गई है । करुणा का स्रोत सूखता जा रहा है । क्रूरता ने सब दिशाओं में अपने पैर पसारे है । परिणामस्वरूप पारिवारिक कलह बढ़े हैं । समर्थ के द्वारा असमर्थ का शोषण हो रहा है । मालिक और कर्मचारियों के संबंधों में तनाव व्याप्त है । मनुष्य का स्तर इतना नीचे चला गया है कि उसे पर्याप्त दहेज न मिलने पर एक जीवित युवती को जलाने में भी सकोच नहीं होता । जहाँ अर्थ की प्रधानता हो, वहाँ सब कुछ हो सकता है, कुछ भी असंभव नहीं है । स्वार्थ ने अर्थ-प्रधान दृष्टिकोण का निर्माण किया है अथवा अर्थ-प्रधान दृष्टिकोण ने स्वार्थ का निर्माण किया है, इसकी खोज करनी होगी ।

